सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन
2019-2020

बौद्धिक
सम्पदा भारत

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प,
व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन
2019-2020

बौद्धिक
सम्पदा भारत

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प,
व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन
भारत

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	03
अध्याय I	बौद्धिक सम्पदा अधिकार की प्रवृत्ति - एक झलक	06
अध्याय II	जन सेवा प्रदान - दक्षता और पारदर्शिता	13
अध्याय III	पेटेंट	24
अध्याय IV	पेटेंट सहयोग संधि	48
अध्याय V	डिजाइन	56
अध्याय VI	व्यापार चिह्न	72
अध्याय VII	चिह्नों के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण हेतु मेड्रिड प्रणाली	86
अध्याय VIII	भौगोलिक उपदर्शन	93
अध्याय IX	कॉपीराइट	100
अध्याय X	अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन	106
अध्याय XI	राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) एवं पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस)	108
अध्याय XII	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	117
अध्याय XIII	(बौद्धिक सम्पदा अधिकार) आईपीआर में प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं बर्हि-क्रियाकलाप	128
अध्याय XIV	मानव संसाधन	134

वर्ष 2019-20 के दौरान, कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न ने देश में बौद्धिक सम्पदा अधिकार ढांचे को सुदृढ़ बनाने और वैश्विक मानकों के अनुसार संतुलित और पारदर्शी बौद्धिक सम्पदा अधिकार पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के प्रयास जारी रखे। राष्ट्रीय आईपीआर नीति उद्देश्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, सभी हितधारकों को पहुंच में आसानी सुनिश्चित करने के लिए व बौद्धिक सम्पदा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए कदम उठाए गए। पेटेंट और व्यापार चिह्न में बौद्धिक सम्पदा प्रक्रियाओं को और अधिक सरलीकृत किया गया है और पिछले शेष कार्य (बैकलॉग) को कम करने और आईपी आवेदनों के प्रक्रम के लिए समयसीमा में सुधार करने के लिए पेटेंट व व्यापार चिह्न की तकनीकी जनशक्ति में वृद्धि की गई है।

पेटेंट नियमों को दिनांक 17-09-2019 से और संशोधित किया गया है। संशोधित पेटेंट नियमों ने शीघ्र परीक्षण को 8 और श्रेणियों में विस्तारित करके (अब तक स्टार्ट-अप एवं वे आवेदन जहां आवेदक ने अपने संबंधित पीसीटी आवेदनों के लिए भारतीय पेटेंट कार्यालय को आईएसए/आईपीईए के रूप में चुना है के लिए अनुमत्त), इसके दायरे को बढ़ा दिया है। इसके अंतर्गत शामिल हैं वे सूक्ष्म, मध्यम उद्यम (एस एम ई), जब प्रकृत व्यक्ति अथवा संयुक्त आवेदक होने की स्थिति में, सभी आवेदक प्रकृत व्यक्ति हैं, तब आवेदक अथवा आवेदकों में से कम से कम एक महिला, सरकारी विभाग, केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित संस्थान, सरकारी कंपनी, सरकार द्वारा पूर्णतया या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित संस्थान और आवेदक - जो भारतीय पेटेंट कार्यालय तथा विदेशी पेटेंट कार्यालय के बीच हुई किसी व्यवस्था के अनुसार पेटेंट आवेदन को प्रक्रियागत करने हेतु योग्य हैं।

वर्ष के दौरान, भारतीय पेटेंट कार्यालय ने राष्ट्रीय चरण के आवेदनों की जांच के दौरान वायपो सीएएसई में उपलब्ध जानकारी का उपयोग करने के लिए अपने परीक्षण मॉड्यूल में वायपो डिजिटल एक्सेस सर्विसेज (डीएएस) और वायपो सेंट्रलाइज्ड एक्सेस टू सर्च एंड एग्जामिनेशन (सीएएसई) को एकीकृत किया है ताकि ऐसे दस्तावेजों को दाखिल करने के लिए आवेदकों पर पड़ने वाले बोझ को कम किया जा सके। भारतीय पेटेंट कार्यालय ने वाइपो डीएएस सेवाएँ प्रारम्भ की हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो भारत और अन्य प्रतिभागी देशों के बीच पूर्विक्ता दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से रखने की अनुमति देती है।

2019-20 के दौरान कार्यालय ने आईपी सेवाओं के वितरण व आईटी-सक्षम कार्यप्रणाली के संदर्भ में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। गत वर्ष भर्ती किए गए 220 परीक्षक एकस्व एवं अभिकल्प में से 181 का विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और उनका संबंधित परीक्षण समूहों में समावेशन किया गया है।

कार्यालय ने हितधारकों की शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु प्रक्रियाओं की स्थापना की है। विभिन्न बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों (आईपीओ स्थानों) पर हितधारकों की नियमित बैठकों का आयोजन किया गया ताकि प्रक्रियात्मक और तकनीकी मुद्दों पर प्रतिक्रिया/सुझाव प्राप्त हो सके और उनका तुरंत समाधान करने के लिए शीघ्रता से कार्रवाई की गई। आईपीओ को सुझाव देने और किसी भी कठिनाई में राहत पाने के लिए हितधारकों द्वारा वेबसाइट में उपलब्ध ऑनलाइन प्रतिक्रिया तंत्र की सुविधा का तेजी से उपयोग किया जा रहा है।

आईपी प्रशासन में सुधार, डिजिटल सुधार और आईपी प्रक्रियाओं की पुनर्रचना के परिणामस्वरूप प्रदर्शन बेहतर, लंबितता में कमी और आईपी आवेदनों के निपटान की दर उच्च हुई है। हालांकि कोविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन के कारण, मार्च 2020 के दौरान प्रदर्शन प्रभावित हुआ है, कुशल ऑनलाइन गतिविधियों के लिए, प्रक्रियात्मक समयसीमा बढ़ाने व अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए घर से कार्य करने की प्रणाली लागू करने के लिए, आईपीओ कार्यों को पुनर्जीवित करने के लिए अपेक्षित कदम उठाए गए।

वर्ष के दौरान, दाखिल पेटेंट आवेदनों में 11.1% की वृद्धि हुई है, घरेलू फाइलिंग 2018-19 के 33.6% से बढ़कर 37.05% हो गई है जबकि पेटेंट अनुदान व निपटान में क्रमशः 63.16% व 9.95% की वृद्धि हुई है।

व्यापार चिह्न में, फाइलिंग में वृद्धि के बावजूद परीक्षण में लंबितता 1 माह से कम रही। नियमों में संशोधन और प्रक्रियाओं की पुनर्रचना द्वारा लाए गए प्रक्रियात्मक सुधारों के परिणामस्वरूप प्रारंभिक चरण में व्यापार चिह्न आवेदनों की स्वीकृति में लगभग 50% की वृद्धि हुई है।

डिजाइन में, नए आवेदनों का परीक्षण समय एक माह से कम होना जारी रहा। 2019-20 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में डिज़ाइन आवेदन दाखिल करने में 13.55% की वृद्धि देखी गई है और परीक्षण में 7.76% की वृद्धि हुई है, जबकि डिज़ाइन आवेदनों के पंजीकरण और निपटान में गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 29.2% और 28.8% की वृद्धि हुई है।

कॉपीराइट कार्यालय ने कम्प्यूटरीकरण और प्रक्रिया की पुनर्रचना के कारण बेहतर प्रदर्शन जारी रखा। वर्ष के दौरान, नए आवेदनों का परीक्षण एक माह के तुरंत बाद किया गया, जो नए आवेदनों के संबंध में आपत्तियों को आमंत्रित करने के लिए अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि है। कॉपीराइट आवेदनों को दाखिल करने में 20.02% की वृद्धि हुई है और कॉपीराइट के पंजीकरण में 9.6% की वृद्धि हुई है।

आईएसआर / आईपीईआर के लिए संदर्भित लगभग सभी आवेदनों में पीसीटी समय सीमा का पालन करते हुए अंतरराष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए) के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय और मैड्रिड प्रोटोकॉल प्रणाली के तहत व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है।

भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ करने के लिए, दो देशों के बीच पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे (पीपीएच) का पायलट कार्यक्रम दिसंबर 2019 से लागू किया गया है। भारत ने वाइपो के पीसीटी कार्यकारी समूह में पीसीटी विनियमों के तहत न्यूनतम दस्तावेज़ीकरण के हिस्से के रूप में भारत के पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) को शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा है।

वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के आगे के अध्यायों में दिया गया है। अद्यतन बौद्धिक सम्पदा विधान, विभिन्न समारोहों के मुख्यांश व अन्य उपयोगी सूचना हमारी शासकीय वेबसाइट (http://www.ipindia.nic.in) पर उपलब्ध है।

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न आईपी प्रक्रियाओं का पारदर्शी और आवेदक-अनुकूल तरीके से समय पर वितरण सुनिश्चित करने के साथ-साथ आईपी प्रक्रियाओं को सरल बनाने, डिजिटल वातावरण बनाने और सार्वजनिक शिकायतों को प्रभावी ढंग से हल करने का प्रयास करता है।

(राजेन्द्र रत्नू, आईएएस)
महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न

अध्याय - I

बौद्धिक सम्पदा अधिकार की प्रवृत्ति - एक झलक

परिचय

कार्यालय महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प तथा व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों में विभिन्न बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण हेतु आवेदन दाखिल करने में विगत वर्षों के दौरान उतरोत्तर विकास देखा गया है। विभिन्न बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आईपीआर) हेतु दाखिल कुल आवेदनों में गत वर्ष के **(405324)** की तुलना में इस वर्ष **(427309)** वृद्धि हुई है, जो समग्र 5.42% की वृद्धि दर्शाता है। गत वर्ष की तुलना में पेटेंट, डिजाइन, व्यापार चिह्न व कॉपीराइट व भौगोलिक उपदर्शन में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गयी है।

बौद्धिक सम्पदा आवेदन दाखिल करने के संदर्भ में विगत पाँच वर्षों की प्रवृत्ति निम्नवत है:

आवेदन	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
पेटेंट	46904	45444	47854	50659	**56267**
डिजाइन	11108	10213	11837	12585	**14290**
व्यापार चिह्न	283060	278170	272974	323798	**334805**
भौगोलिक उपदर्शन	14	32	38	32	**42**
कॉपीराइट	कॉपीराइट का प्रशासन 2016-17 में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग/ कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न में स्थानांतरित किया गया।	16617	17841	18250	**21905**

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन (एससीआईएलडी)	अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन का प्रशासन 2016-17 में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग/ कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिहन मे स्थानांतरित किया गया।	शून्य	02	शून्य	शून्य
कुल	**355898**	**350467**	**350546**	**405324**	**427309**

बौद्धिक सम्पदा गतिविधियों के संबंध में प्रवृत्ति :

क. पेटेंट: इस वर्ष के दौरान, कुल **56267** पेटेंट आवेदन दाखिल किए गए जो विगत वर्ष दाखिल आवेदनों की तुलना में लगभग **11.1%** की वृद्धि दर्शाता है। पेटेंट आवेदनों की घरेलू फाइलिंग भी बढ़ कर 20843 हो गई है, जो कुल दाखिल का, 2018-19 में 33.6% की तुलना में 37.05% है।

दाखिल, परीक्षित, अनुदानित तथा निपटान किए गए पेटेंट आवेदनों के संदर्भ में विगत पाँच वर्षों की प्रवृत्ति निम्नवत् है। आवेदनों के निपटान में पेटेंट कार्यालय द्वारा अनुदानित व अस्वीकृत तथा आवेदकों द्वारा आहरित व परित्यक्त आवेदन शामिल हैं।

पेटेंट आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
दाखिल	46904	45444	47854	50659	**56267**
परीक्षित	16851	28967	60330	85426	**80080**
अनुदानित	6326	9847	13045	15283	**24936**
निपटान	21987	30271	47695	50884	**55945**

ख. डिजाइन: वर्ष के दौरान, कुल 14290 डिज़ाइन आवेदन दाखिल किए गए जो गत वर्ष की तुलना में 13.55% की वृद्धि दर्शाता है। परीक्षित आवेदनों की संख्या **13642** रही जो 7.76% की वृद्धि दर्शाता है, जबकि गत वर्ष की तुलना में, 2019-20 के दौरान, डिजाइन आवेदनों के पंजीकरण व निपटान में क्रमशः 29.2% व 28.8% की वृद्धि हुई।

डिजाइन आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
दाखिल	11108	10213	11837	12585	**14290**
परीक्षित	9426	11940	11850	12661	**13642**
पंजीकृत	7904	8276	10020	9483	**12256**
आवेदनों का निपटान	8023	8332	10788	11414	**14701**

ग. व्यापार चिह्न: इस वर्ष के दौरान, व्यापार चिह्न के पंजीकरण हेतु **334805** आवेदन दाखिल किए गए। इस अवधि के दौरान, परीक्षित आवेदनों की संख्या दाखिल आवेदनों से अधिक थी तथा इस क्षेत्र में लंबितता एक माह से भी कम हो गई है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष व्यापार चिह्न पंजीकरण व निपटान की संख्या कम है क्योंकि पिछले तीन वर्षों के दौरान पुरानी लंबितता को खत्म कर दिया गया है।

व्यापार चिह्न आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
दाखिल	283060	278170	272974	323798	**334805**
परीक्षित	267861	532230	306259	337541	**338551**
पंजीकृत	65045	250070	300913	316798	**294172**
निपटान	116167	290444	555777	519185	**419566**

घ. भौगोलिक उपदर्शन: प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, **42** आवेदन दाखिल किए गए, **51** आवेदन परीक्षित किए गए व **22** भौगोलिक उपदर्शन पंजीकृत किए गए। विगत पाँच वर्षों के दौरान दाखिल, परीक्षित एवं पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की प्रवृत्ति निम्नवत हैं।

भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
दाखिल	17	32	38	32	**42**
परीक्षित	200	28	18	43	**51**
पंजीकृत	26	34	**25**	23	**22**

ङ. **कॉपीराइट:** वर्ष के दौरान कॉपीराइट के पंजीकरण हेतु कुल **21905** आवेदन प्राप्त हुए। कुल **29670** का परीक्षण किया गया व **16029** कॉपीराइट के पंजीकरण (आरओसी) किए गए, जबकि निपटान किए गए कुल आवेदनों की संख्या 22516 रही।

कॉपीराइट आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	कुल प्राप्त आवेदन	कुल परीक्षित आवेदन	उत्पन्न किए गए कॉपीराइट के पंजीकरण (आरओसी)	कुल निपटान
2016-17	16617	16584	3596	5444
2017-18	17841	34388	19997	39799
2018-19	18250	22658	14625	25943
2019-20	**21905**	**29670**	**16029**	**22516**

च. अनुदानित/पंजीकृत बौद्धिक सम्पदा अधिकार की प्रवृत्ति:

विगत 5 वर्षों के दौरान बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) के अनुदान/पंजीकरण की तुलनात्मक प्रवृत्ति निम्नवत् है। कोष्ठक में प्रदत्त संख्या कुल निपटान प्रदर्शित करती है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार की तुलनात्मक प्रवृत्ति - अनुदानित/पंजीकृत (और निपटान किए गए)

आईपीआर/वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
पेटेंट	6326 (20429)	9847 (30271)	13045 (47695)	15283 (50884)	**24936** **(55945)**
डिज़ाइन	7904 (8023)	8276 (8332)	10020 (10788)	9483 (11332)	**12256** **(14701)**
व्यापार चिह्न	65045 (116167)	250070 (290444)	300913 (555777)	316798 (519185)	**294172** **(419566)**
भौगोलिक उपदर्शन	26	34	25	23	**22**

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन (एससीआईएलडी)	2016-17 में अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन का औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग/ कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न में स्थानांतरण।	शून्य	शून्य	शून्य	**शून्य**
कॉपीराइट	2016-17 में कॉपीराइट का औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग/ कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न में स्थानांतरण।	3596	19807 (39799)	14625 (25943)	**16029 (22516)**

छ. प्रकाशन एवं अनुदान-पूर्व विरोध:

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, पेटेंट अधिनियम,1970 की धारा 11क के तहत 50823 पेटेंट आवेदन प्रकाशित किए गए तथा धारा 25(1) के तहत 800 अनुदान-पूर्व विरोध दाखिल हुए जो कुल प्रकाशित आवेदनों का लगभग 1.6% है। प्रकाशित तथा अनुदान-पूर्व विरोध के लिए दाखिल आवेदनों का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	**प्रकाशन**	**अनुदान-पूर्व विरोध**
2015-16	41752	290
2016-17	86766	206
2017-18	46899	260
2018-19	41776	426
2019-20	**50823**	**800**

ज. राजस्व और व्यय: वर्ष 2019-20 के दौरान अर्जित कुल राजस्व रु. 981.35 करोड़ था, जो विगत वर्ष की तुलना में लगभग 13.7% अधिक है, जबकि कुल व्यय रु. 212.59 करोड़ था।

पेटेंट कार्यालय द्वारा अर्जित कुल राजस्व रु. 621.77 करोड़ था (इसमें आईबी द्वारा आईएसए फीस के रूप में रु. 0.49 करोड़ शामिल हैं), जबकि डिजाइन कार्यालय से रु. 6.9 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ।

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री ने रु. 352.30 करोड़ का राजस्व अर्जित किया (इसमें आईबी से मेड्रिड प्रणाली के तहत अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण हेतु फीस के रूप में रु. 31.66 करोड़ शामिल हैं), जबकि भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री ने रु. 0.13 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस) और राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) ने रु. 0.24 करोड़ का राजस्व अर्जित किया।

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान बौद्धिक सम्पदा (आईपी) प्रशासन से संबंधित राजस्व और व्यय का विवरण निम्न सारणी में प्रदर्शित है:

(i) राजस्व का तुलनात्मक विवरण (2017-18, 2018-19 व 2019-20)

वर्ष	2017-18 (लाख में रु.)	2018-19 (लाख में रु.)	2019-20 (लाख में रु.)
पेटेंट	47706.62	**51518.03**	62177.00
डिज़ाइन	615.92	605.77	690.00
व्यापार चिह्न	28611.35	34119.17	35230.95
जीआईआर	8.31	7.31	13.73
पीआईएस/आरजीएनआईआईपीएम	30.91	42.70	24.15
कुल	**76973.12**	**86292.98**	**98135.83**

धन वापसी के प्रावधान के प्रारम्भ होने के उपरांत पिछले चार वर्षों के दौरान पेटेंट नियम के नियम 7 (4क) के तहत **परीक्षण हेतु अनुरोध की फीस वापसी का विवरण** इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वापस की गई राशि (लाख में रु.)	176.30	456.50	472.94	434.41

(ii) 2017-18, 2018-19 व 2019-20 के व्यय की तुलना:

वर्ष	2017-18 (लाख में रु.)			2018-19 (लाख में रु.)			2019-20 (लाख में रु.)		
कार्यालय	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
सीजीपीडीटीएम	9561.51	5417.49	14979.00	10867.45	7526.48	18393.9	12254.29	8484.94	20739.23
पीआईएस/आरजीएनआईआईपीएम	122.49	199.89	322.38	178.78	189.89	368.67	253.68	202.82	456.5
जीआई रजिस्ट्री	-	57.42	57.42	-	68.74	68.74	-	63.95	63.95
कुल	9684.00	5674.80	15358.80	11046.2	7785.12	18831.4	12507.97	8751.71	**21259.68**

जन सेवा प्रदान - दक्षता और पारदर्शिता

वर्ष 2019-20 के दौरान, आईपी प्रणाली को मजबूत करने और बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर वैश्विक विकास के साथ तालमेल बनाए रखने के उद्देश्य से कार्यालय महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प तथा व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) द्वारा कम्प्यूटरीकृत कार्य-प्रवाह, आईपी सूचना का प्रसार, उत्पादकता और आईपी से संबंधित ऑनलाइन सेवाओं में और सुधार करने के लिए कदम उठाए गए हैं। जन सेवा प्रदान को व्यवस्थित बनाने, बौद्धिक संपदा कार्यालयों की कार्यप्रणाली में दक्षता व पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए, वर्ष के दौरान उठाए गए कदमों का सारांश निम्नलिखित पैराग्राफ में दिया गया है:

1. पेटेंट:

1.1. पेटेंट नियमों में संशोधन:

(i) 2016 में लागू किए गए पेटेंट (संशोधन) नियमों के क्रम में, जिसके परिणामस्वरूप पेटेंट कार्यालय के कामकाज में कई सकारात्मक बदलाव हुए जिनके फलस्वरूप पेटेंट प्रक्रियाओं का सरलीकरण हुआ व आईटी सक्षमता में सुधार हुआ, **1 दिसंबर, 2017** को स्टार्टअप की संशोधित परिभाषा प्रदान करने के लिए पेटेंट नियमों में और संशोधन किया गया है।

(ii) वर्ष के दौरान, शीघ्र परीक्षण की सुविधा को मौजूदा दो श्रेणी के अलावा अन्य आवेदकों की श्रेणियों में विस्तारित करने के लिए पेटेंट नियमों में पेटेंट (संशोधन) नियम, 2019 द्वारा और संशोधन किए गए:

- यह कि आवेदक एक स्टार्ट-अप है; अथवा
- यह कि आवेदक एक लघु अस्तित्व है; अथवा
- यह कि यदि आवेदक प्रकृत व्यक्ति है अथवा संयुक्त आवेदकों के संबंध में, सभी आवेदक प्रकृत व्यक्ति हैं, तो आवेदक अथवा आवेदकों में कम से कम एक महिला है; अथवा

- यह कि आवेदक सरकारी विभाग है; अथवा
- यह कि आवेदक केंद्रीय, प्रांतीय अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित संस्थान है, जो सरकार के स्वामित्व में है अथवा उसके द्वारा नियंत्रित है; अथवा
- यह कि आवेदक कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा (2) के खंड (45) में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी है; अथवा
- यह कि आवेदक सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा सारवान रूप से वित्तपोषित संस्थान है; अथवा
- यह कि आवेदन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सेक्टर से संबंधित है, जो केंद्रीय सरकार के विभागाध्यक्ष के अनुरोध पर आधारित है, परंतु ऐसी किसी भी अधिसूचना से पहले सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की जाएंगी; अथवा
- यह कि अन्य प्रतिभागी पेटेंट कार्यालय और भारतीय पेटेंट कार्यालय के बीच करार के अनुरूप पेटेंट आवेदन पर कार्यवाही हेतु आवेदक पात्र है।

(iii) अंतरराष्ट्रीय आवेदन के लिए पारेषण शुल्क (ई-पीसीटी फाइलिंग के लिए) और वायपो डीएएस के माध्यम से पूर्विक्ता दस्तावेज और ई-ट्रांसमिशन की प्रमाणित प्रति की तैयारी में लगने वाले शुल्क को माफ किया जाना प्रस्तावित किया गया।

(iv) पेटेंट नियमों में और संशोधन करने का प्रस्ताव अंतिम चरण पर है, जिसमें क्रियान्वित पेटेंट का कथन (अर्थात फॉर्म 27) का पुनरीक्षण व पूर्विक्ता दस्तावेज़ के अंग्रेजी अनुवाद को समय पर प्रस्तुत करने के प्रावधान को शामिल करना ताकि पीसीटी विनियमों के अनुसार पूर्विक्ता की तारीख सुनिश्चित की जा सके, शामिल हैं।

1.2. प्रक्रियात्मक सुधार:

वर्ष के दौरान, कार्यालय ने और डिजिटल पहलों, पारदर्शिता में सुधार व प्रयोक्ता- अनुकूलता को शामिल करके पेटेंट कार्यालय के कामकाज को प्रक्रियाओं की पुनर्रचना द्वारा सुव्यवस्थित करने के अपने मिशन को जारी रखा।

वर्ष के दौरान किए गए **प्रक्रियात्मक सुधारों** में शामिल हैं:

- कार्यालय ने पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी प्रथम परीक्षण रिपोर्ट (एफईआर) की सूची का आवधिक प्रकाशन प्रारम्भ किया है;
- पेटेंट अनुदान के प्रमाणपत्र को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा आवेदक के ई-मेल पर वितरण प्रारम्भ किया गया है;
- हितधारकों के लाभ के लिए आईपीओ वेबसाइट पर कार्यालय की कार्यपद्धति से संबंधित मुद्दों के संबंध में प्रतिपुष्टी / सुझाव / शिकायतें दर्ज करने के लिए तंत्र स्थापित किया गया है;
- वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग: वर्ष के दौरान, सुनवाई के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा को आवेदक / एजेंट के स्थान से सीधे पेटेंट कार्यालय में सुनवाई की सुविधा के लिए उन्नत किया गया। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक अब अपने डेस्कटॉप / लैपटॉप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई का संचालन कर सकते हैं; और
- मैनुअल ऑफ पेटेंट ऑफिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को अद्यतन किया गया व आईपीओ की वेबसाइट पर 26 नवंबर, 2019 को प्रकाशित किया गया।

1.3. प्रक्रियात्मक सुधारों और नियमों में संशोधन का भारत के पेटेंट ढांचे पर प्रभाव:

- 2018-19 के दौरान, 2018-19 की तुलना में भारत में पेटेंट गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सुधार देखा गया। जहां पेटेंट आवेदन दाखिल करने में 11.1% की वृद्धि हुई, वहीं पेटेंट आवेदनों की घरेलू फाइलिंग में 2018-19 के 33.6% की तुलना में 2019-20 में 37.05% की वृद्धि हुई। गत वर्ष की तुलना में पेटेंट आवेदनों के अनुदान व निपटान में क्रमशः 63.16% व 9.95% की वृद्धि हुई है।
- अद्यतन इलेक्ट्रॉनिक कार्य-प्रवाह और तकनीकी जनशक्ति के संवर्धन की मदद से आउटपुट बढ़ाकर पेटेंट आवेदनों के प्रसंस्करण में लंबितता को कम करने के लिए वर्ष 2018-19 के दौरान व्यवस्थित प्रयास किए गए हैं। फलस्वरूप, प्रौद्योगिकी के कुछ क्षेत्रों में पेटेंट आवेदनों के परीक्षण की लंबितता लगभग 12 माह तक कर दी गई है और प्रौद्योगिकी के अन्य क्षेत्रों में से अधिकतम में, गत वर्ष में परीक्षण हेतु अनुरोध दाखिल

करने की तिथि से 36-52 माह की लंबितता को 24-30 माह तक लाया गया है तथा अगले वित्त वर्ष के अंत तक प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में इसे 12 माह तक करना अपेक्षित है।

- पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) के तहत भारतीय पेटेंट कार्यालय का अंतरराष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए) व अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण (आईपीईए) के रूप में चयन करने वाले अंतरराष्ट्रीय पेटेंट आवेदनों के संबंध में उच्च गुणवत्ता वाली अंतरराष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण रिपोर्ट (आईएसआर और आईपीईआर) जारी करने के लिए निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन किया गया। 99% से अधिक आवेदनों में, अंतरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट (आईएसआर) जारी करने में समय सीमा प्राप्त की गई।

2. व्यापार चिह्न:

2.1. प्रक्रियात्मक सुधार:

- व्यापार चिह्न हेतु माल और सेवाओं के वर्गीकरण की ऑनलाइन खोज सुविधा को वर्ष के दौरान अद्यतन किया गया है ताकि खोज प्रणाली को और कारगर बनाया जा सके।
- परीक्षण के लिए आवेदनों का आवंटन उनकी दाखिल करने की तिथि के क्रम में स्वचालित रूप से किया जाता है।

2.2. पंजीकरण हेतु प्रक्रिया का स्वचालन:

- पूर्व मानवीय प्रक्रिया द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रेषण में लंबितता से बचने के लिए, व्यापार चिह्न की पंजीकरण प्रक्रिया को स्वचालित कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, प्रकाशन के बाद निर्धारित समय पूरा होने के उपरांत, पंजीकरण प्रमाणपत्र स्वचालित रूप से संसाधित होते हैं और आवेदक के निर्दिष्ट ईमेल-आईडी पर भेज दिए जाते हैं और यह व्यापार चिह्न रजिस्ट्री (टीएमआर) द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर में भी अपलोड हो जाता है। इस परिवर्तन ने इस स्तर पर लंबितता को एक महीने से कम करने में मदद की है और आवेदकों को भी काफी हद तक मदद की है।
- **नवीनीकरण की प्रक्रिया** को भी स्वचालित कर दिया गया है, जहां नवीकरण अनुरोध (निर्धारित समय में दाखिल), संसाधित हो जाता है और वैधता तिथि अद्यतन हो जाती है।

- आधिकारिक वेबसाइट www.ipindia.nic.in में प्रत्येक सोमवार को व्यापार चिह्न रजिस्ट्री (टीएमआर) जर्नल में पंजीकृत व्यापार चिह्न आवेदनों के विवरण का ऑनलाइन प्रकाशन इस वर्ष के दौरान और सुव्यवस्थित किया गया।

3. डिजाइन :

- बेहतर कामकाज की सुविधा के लिए नए डिजाइन आवेदनों की ई-फाइलिंग सुविधा को और अद्यतन किया गया।
- नए आवेदनों के परीक्षण में लंबितता, दाखिल करने की तिथि से एक माह के भीतर लायी गयी है।
- वर्ष के दौरान, संशोधित आवेदनों की लंबितता को काफी हद तक कम करने के उपाय किए गए हैं।

4. भौगोलिक उपदर्शन:

- परीक्षण और पंजीकरण में लंबितता हटाने के लिए वर्ष के दौरान आवश्यक कदम उठाए गए। परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान 51 भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों का परीक्षण किया गया और 22 भौगोलिक उपदर्शन पंजीकृत किए गए हैं।

5. कॉपीराइट:

- वर्ष के दौरान, नए आवेदनों के परीक्षण की लंबितता एक माह तक जारी रही, जो नए आवेदनों के लिए आपत्तियों को आमंत्रित करने के लिए अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि है।
- डिजिटलीकरण, पंजीकरण प्रक्रियाओं की पुनर्रचना और जनशक्ति के उन्नयन और वेबसाइट को अद्यतन करने के माध्यम से कॉपीराइट कार्यालय की कार्यपद्धति को सुदृढ़ बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
- **सार्वजनिक इंटरफ़ेस में सुधार करना और वेबसाइट को अद्यतन करना -** पारदर्शिता और हितधारकों की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए तथा आवेदकों को उनके आवेदन की स्थिति देखने में सक्षम बनाने के लिए, कॉपीराइट कार्यालय ने माह के दौरान प्राप्त आवेदन, उनके निपटान और लंबितता को कार्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना

प्रारम्भ कर दिया है। दाखिल किए गए आवेदनों की स्थिति, अनुदानित पंजीकरण और पंजीकृत कार्य की खोज प्रदान करने के लिए डैशबोर्ड तैयार किया गया है।

- कॉपीराइट कार्यालय ने कार्यों के निर्बाध पंजीकरण की सुविधा के लिए अपने ऑनलाइन पोर्टल पर साहित्यिक / नाटकीय और कलात्मक कार्यों की सॉफ्ट कॉपी अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ अपलोड करने का प्रावधान समाविष्ट किया है।
- **प्रारूप कॉपीराइट (संशोधन) नियम की अधिसूचना** - हितधारकों की टिप्पणी के लिए कॉपीराइट नियम के प्रारूप संशोधन 30 मई, 2019 को अधिसूचित किए गए। संशोधनों का उद्देश्य वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा किए गए परिवर्तनों को प्रभावी बनाना, संचार के इलेक्ट्रॉनिक साधनों को अपनाना, जवाबदेही, पारदर्शिता और कॉपीराइट सोसाइटी के सुचारू कामकाज से संबंधित प्रावधानों को लाना और कंप्यूटर प्रोग्राम के पंजीकरण की प्रक्रिया में सुधार या सुगमता प्रदान करना है।

6. आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और बौद्धिक सम्पदा कार्यालय में महत्वपूर्ण सुधार:

6.1. आईटी सेवाओं का उन्नयन: -

- वर्ष के दौरान, सभी आईपीओ स्थलों पर भौतिक व आईटी अवसंरचना और संबंधित सेवाओं को उन्नत किया गया ताकि वह बढ़ी हुई जनशक्ति और कम्प्यूटरीकरण, बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों की आईटी-सक्षमता की मांगो का सामना कर सके जिससे आईपी आवेदनों के प्रसंस्करण में तेज़ी लायी जा सके।
- कोविड महामारी की अवधि के दौरान, कार्यालय ने बौद्धिक सम्पदा कार्यालय (आईपीओ) के अधिकारियों को घर से काम करने के लिए ई-मेल और अन्य माध्यमों से हितधारकों के साथ निर्बाध ऑनलाइन संचालन और ई-संचार सुनिश्चित करने के लिए आईसीटी अवसंरचना को नया रूप दिया है।

6.2. व्यापक ई-फाइलिंग सुविधाएं:-

- पेटेंट, व्यापार चिह्न व डिज़ाइन के लिए व्यापक ई-फाइलिंग सुविधा 24x7 आधार पर भुगतान गेटवे सुविधा के साथ उपलब्ध है।

- व्यापार चिह्न नियम, 2017 के माध्यम से पेटेंट के समान, व्यापार चिह्न हेतु फीस में 10% की छूट उपलब्ध कराई गई है।
- आईपीओ की कुशल ऑनलाइन फाइलिंग सेवाओं ने कार्यालयों को प्रदर्शन में सुधार करने के लिए सक्षम बनाया है। पेटेंट व व्यापार चिह्न में ऑनलाइन फाइलिंग 90% से अधिक है।

6.3. बहु-आयामी वेबसाइट और सूचना प्रसार:-

- विषयवस्तु को सुधारने और पहुंच में आसानी के लिए आईपीओ वेबसाइट को पुनः बदल दिया गया है और इसे अधिक अन्योन्यक्रियात्मक (इंटरेक्टिव), सूचनात्मक और नेविगेट करने में आसान बना दिया गया है। पेटेंट, डिजाइन, व्यापार चिह्न व भौगोलिक उपदर्शन की फाइलिंग व कार्यवाही के संबंध में वास्तविक समय आधार पर आईपी डाटा उपलब्ध कराया जाता है।
- आईपीओ वेबसाइट आवेदनों की फाइलिंग, परीक्षण, अनुदान/पंजीकरण, प्रकाशन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लॉगिन-मुक्त खोज सुविधा प्रदान करती है।
- वेबसाइट पर प्रकाशित व अनुदानित/पंजीकृत आईपी आवेदनों के संबंध में जानकारी साप्ताहिक रूप से ई-जर्नल में प्रकाशित की जाती हैं।
- आईपीओ वेबसाइट में आईपी-संबंधित उपयोगी जानकारी जैसे आईपी अधिनियम, नियम, नियमावली, दिशानिर्देश, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और गतिशील उपयोगिताओं की जानकारी शामिल है।

7. हितधारक परामर्श बैठकें:

- हितधारकों के साथ नियमित बैठकें विभिन्न आईपीओ स्थानों पर आयोजित की जाती हैं ताकि आईपी नियमों में संशोधनों से संबंधित प्रक्रियात्मक और तकनीकी मुद्दों को समझने और हल करने, प्रक्रियाओं की पुनर्रचना, मॉड्यूल-आधारित कार्य-प्रवाह, प्रणालीगत उन्नयन, हितधारकों के साथ संचार और सार्वजनिक शिकायतों का समाधान हो सके।

8. प्रतिक्रिया तंत्र:

आईपीओ वेबसाइट पर प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित किया गया है, जिससे हितधारकों को आईपी कार्यालयों की कार्यप्रणाली से संबंधित मुद्दों के संबंध में प्रतिक्रिया और सुझाव दर्ज करने, शिकायत व सामान्य प्रश्नों में मदद मिलती है। हितधारकों के सुझाव/ शिकायतों को तुरंत सुलझाने के लिए विशिष्ठ समूह तुरंत कार्यवाही करता है और ई-मेल के माध्यम से जवाब सूचित करता है।

9. बौद्धिक सम्पदा अधिकार के बारे में जागरूकता:

- बौद्धिक सम्पदा कार्यालय नियमित रूप से आईपी प्रक्रियाओं के संबंध में वास्तविक और संभावित आईपी हितधारकों के लिए देश में सीआईपीएएम (डीपीआईआईटी) और औद्योगिक संगठनों जैसे सीआईआई, फिक्की (एफ़आईसीसीआई), असोचम, पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, सीडबल्यूईआई आदि के सहयोग से बौद्धिक सम्पदा अधिकार के बारे में जागरूकता और सार्वजनिक बहिर्क्रियाकलाप गतिविधियों में भागीदारी के माध्यम से सूचना और ज्ञान के प्रसार में व्यस्त हैं।

- आईपीओ अधिकारी नियमित रूप से इन कार्यक्रमों में संसाधन व्यक्तियों के रूप में भाग लेते हैं और विश्वविद्यालयों और अन्य हितधारकों के साथ आयोजित कार्यशालाओं / संगोष्ठियों में भी भाग लेते हैं।

- आईपीआर हेल्प-डेस्क व ई-मेल के माध्यम से ऑनलाइन मार्गदर्शन प्रणाली भी प्रत्येक बौद्धिक सम्पदा कार्यालय स्थल पर उपलब्ध है।

10. स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के लिए पहल:

- स्टार्टअप आवेदकों को उनके बौद्धिक सम्पदा आवेदनों के संबंध में पर्याप्त शुल्क रियायत प्रदान की जाती है। हाल में हुए पेटेंट और व्यापार चिह्न नियमों में संशोधनों के माध्यम से, पेटेंट आवेदनों के लिए 80% शुल्क रियायत तथा व्यापार चिह्न आवेदनों के लिए 50% शुल्क रियायत दाखिल करते वक्त व बाद की सभी प्रक्रियाओं में उपलब्ध है।

- भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया पहल के अनुरूप, उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने "स्टार्ट अप बौद्धिक सम्पदा संरक्षा (एसआईपीपी) सुविधा हेतु योजना" की

शुरुआत बौद्धिक सम्पदा अधिकार संरक्षा प्रोत्साहित करने के लिए की। इस योजना में स्टार्टअप को उनके पेटेंट, डिज़ाइन व व्यापार चिह्न आवेदन को दाखिल करने/आगे की प्रक्रिया हेतु सुविधा प्रदाता प्रदान करना व सुविधा उपलब्ध के व्यावसायिक शुल्क की प्रतिपूर्ति शामिल है। पेटेंट, डिज़ाइन व व्यापार चिह्न के सुविधा प्रदाताओं की अद्यतन सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गयी है। कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न ने एसआईपीपी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

- स्टार्ट अप के प्रश्नों का हल करने के लिए ई-मेल व हेल्प डेस्क के माध्यम से आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है।

11. अंतरराष्ट्रीय पेटेंट दाखिल करने के लिए सुविधाएं:

अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो और अंतरराष्ट्रीय खोज प्राधिकरणों को पीसीटी आवेदनों के लिए शुल्क के प्रसारण में देरी से बचने के लिए पीसीटी आवेदन शुल्क के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान गेटवे प्रारम्भ किया गया है।

12. वायपो सीएएसई व वायपो डीएएस:

- बौद्धिक सम्पदा कार्यालय के लिए वायपो सीएएसई और वायपो डीएएस दोनों कार्यात्मक हैं। भारतीय पेटेंट कार्यालय वायपो-इंडिया सहयोग समझौते के तहत वायपो सेंट्रलाइज्ड एक्सेस टू सर्च एंड एग्जामिनेशन सिस्टम (वायपो सीएएसई) और वायपो डिजिटल एक्सेस सर्विस (डीएएस) के लिए एक्सेसिंग और डिपॉजिटिंग ऑफिस बन गया है।

- डब्ल्यूआईपीओ डिजिटल एक्सेस सर्विस (डीएएस) भागीदार पेटेंट कार्यालयों से आवेदकों द्वारा प्रस्तुत पूर्विक्ता दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों को प्रस्तुत करने के लिए आसान, सुरक्षित, त्वरित और सस्ती प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करता है, जो पेटेंट कार्यालय के अलावा आवेदकों, हितधारकों और सामान्य रूप से जनता को लाभान्वित करेगा। डब्ल्यूआईपीओ डिजिटल एक्सेस सर्विस (डीएएस) की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

    - आवेदक प्रथम फाइलिंग के कार्यालय से पूर्विक्ता दस्तावेज डिजिटल एक्सेस सर्विस (डीएएस) प्रणाली में जमा करने / पूर्विक्ता दस्तावेज जोड़ने के लिए अनुरोध कर सकते

हैं, और दूसरी फाइलिंग के कार्यालयों से इस तरह के दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए सेवा का उपयोग करने का अनुरोध कर सकते हैं,

- डब्ल्यूआईपीओ डिजिटल एक्सेस सर्विस (डीएएस) द्वारा एक्सेस को अधिकृत करने के लिए दिए गए एक्सेस कोड का उपयोग,
- सुरक्षित चैनलों के माध्यम से दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया जाता है,
- डब्ल्यूआईपीओ डिजिटल एक्सेस सर्विस (डीएएस) सेवा को वायपो द्वारा होस्ट और प्रशासित किया जाता है,
- दूसरी फाइलिंग के प्रत्येक कार्यालय को अलग से पूर्विक्ता दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है,
- पूर्विक्ता दस्तावेजों की कई कागजी प्रतियों के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार, प्राप्तकर्ता (डिपोजीटिंग) कार्यालय के रूप में आईपीओ, पेटेंट और औद्योगिक डिजाइन आवेदनों की प्रमाणित प्रतियों को पूर्विक्ता दस्तावेजों के रूप में अपलोड करता है, जिसमें (आरओ / आईएन) कार्यालय में 31 जनवरी, 2018 को और उसके बाद पीसीटी के तहत दाखिल अंतरराष्ट्रीय पेटेंट आवेदन शामिल हैं, जिनके लिए आवेदक विशेष रूप से अनुरोध करता है कि ऐसे पूर्विक्ता दस्तावेजों को वायपो डीएएस को उपलब्ध कराया जाए।

13. अंतरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट (आईएसआर)/अंतरराष्ट्रीय प्रारम्भिक परीक्षण रिपोर्ट (आईपीईआर रिपोर्ट):

- लगभग सभी अंतरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट वायपो के पीसीटी विनियमों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी की जाती हैं।
- अंतरराष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए) के रूप में पेटेंट कार्यालय ने पेटेंटस्कोप (www.wipo.int/patentscope) पर प्रकाशन के लिए 1 जनवरी 2018 से स्थापित अंतरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट के साथ-साथ पूर्ण खोज रणनीतियों को साझा करना शुरू कर दिया है; इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय खोज प्राधिकरण के रूप में गुणवत्ता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को

मजबूत किया है। पीसीटी के तहत 23 आईएसए में से भारतीय पेटेंट कार्यालय, इस सेवा को शुरू करने वाला सातवाँ है।

14. अंतरराष्ट्रीय समझौते:

कार्यालय ने अन्य आईपीओ के साथ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

- वर्ष के दौरान, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) और कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न ने जापान पेटेंट कार्यालय, स्वीडिश आईपीओ और इंटेलेक्चुयल प्रॉपर्टी ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड किंगडम (यूकेआईपीओ) के साथ द्विपक्षीय कार्य योजना / वर्क प्लान पर हस्ताक्षर किए हैं।
- वर्ष के दौरान, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वायपो कॉपीराइट संधि और वायपो परफोरमर्स और फोनोग्राम संधि को अंगीकार करने को मंजूरी दी है, जो इंटरनेट और डिजिटल वातावरण के लिए कॉपीराइट का विस्तार करते हैं। दोनों संधियाँ रचनाकारों और अधिकार-स्वामियों को उनके कार्य की सुरक्षा और उनके उपयोग के बारे में जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए तकनीकी उपकरण का उपयोग करने के लिए ढांचा प्रदान करती हैं, अर्थात् तकनीकी संरक्षण उपायों का संरक्षण (टीपीएम) और अधिकार प्रबंधन सूचना (आरएमआई)।
- इसके अलावा, वर्ष के दौरान, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को नीस, वियना और लोकार्नो समझौतों को अंगीकार करने को मंजूरी दी है, जो आईपीओ भारत को विश्व स्तर पर अपनाई जाने वाली वर्गीकरण प्रणालियों के अनुरूप व्यापार चिह्न और डिजाइन आवेदनों के परीक्षण के लिए वर्गीकरण प्रणालियों के सामंजस्य में मदद करेगा।

15. सूचना का अधिकार :

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति बौद्धिक सम्पदा कार्यालय पूर्णतया प्रतिबद्ध है। बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों के क्रियाकलापों में सम्पूर्ण पारदर्शिता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यालय की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित जानकारी आम जनता और हितधारकों के सूचनार्थ आधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध करा दी गयी है। साथ ही, सूचना अधिकार अधिनियम के विधायी अभिप्राय तथा अधिदेश का पूर्ण अनुसरण करते हुए अधिनियम के तहत प्राप्त सभी आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई की गयी।

पेटेंट

परिचय:

यह अध्याय पेटेंट अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 155 के तहत पेटेंट कार्यालयों द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान निष्पादित गतिविधियों के संबंध में 48वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। पेटेंट कार्यालय कोलकाता, नई दिल्ली, मुम्बई तथा चेन्नई में स्थित है, जिनका पेटेंट प्रशासन के लिए देश में विशिष्ट क्षेत्राधिकार है। हालांकि, सभी चार पेटेंट कार्यालय आभासी एकल कार्यालय के रूप में कार्य करते हैं। पेटेंट कार्यालय, महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) के अधीक्षण व प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन देश में हुए आविष्कारों के संरक्षण से संबंधित पेटेंट अधिनियम 1970 (यथा संशोधित) के प्रावधानों को लागू करता है। निम्न प्रदत्त पैराग्राफ पेटेंट विधान के तहत यथाप्रशासित पेटेंट कार्यालय की प्रमुख गतिविधियों की रूप-रेखा प्रस्तुत करते हैं।

1. पेटेंट आवेदन:

2019-20 में दाखिल पेटेंट आवेदनों की संख्या 56,267 थी जो 2018-19 की फाइलिंग की संख्या 50,659 में 11.1% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष के दौरान, आविष्कार के लगभग सभी क्षेत्रों में मध्यम से उच्च विकास देखा गया है विशेष रूप से जैव-रसायन, जैव-चिकित्सा अभियंत्रणा, जैव-प्रोद्योगिकी, रसायन, संचार, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य, धातु कर्म व पॉलीमर प्रोद्योगिकी जिसमें 15-25% की वृद्धि प्रदर्शित की गई। विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित, आवेदनों की प्रवृत्ति के विस्तृत आँकड़े **परिशिष्ट-ङ** और **ङ1** में दिखाए गए हैं।

(क) भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन :

कुल दाखिल 56267 आवेदनों में से, भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या 20843 रही जो गत वर्ष से लगभग 22.6% की वृद्धि दर्शाती है, जब ऐसे आवेदनों की संख्या 17005 थी। कुल दाखिल आवेदनों में से दाखिल घरेलू आवेदन गत वर्ष के 33.6% की तुलना में 37.05% हैं। इस प्रकार, पिछले वर्षों की वृद्धि के अनुरूप, इस वर्ष भी, भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल किए गए आवेदनों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 2018-19 के दौरान दाखिल आवेदनों की संख्या (33654) की तुलना में

वर्ष के दौरान विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या (35424) रही जो 5.3% की वृद्धि दर्शाता है।

(ख) भारतीय आवेदकों द्वारा राज्यवार दाखिल पेटेंट आवेदन:

2019-20 के दौरान भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों में से, पिछले वर्ष के दौरान दाखिल अपने आवेदनों की संख्या में 12.9% की वृद्धि के साथ महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर बना रहा। जबकि तमिलनाडु सूची में दूसरे स्थान पर बना रहा। पिछले वर्ष की तरह, इस वर्ष भी, पंजाब ने पिछले वर्ष के दौरान दाखिल 660 की तुलना में वर्ष के दौरान दाखिल 1435 आवेदनों के साथ भारी उछाल दिखाया। अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जिन्होंने वर्ष के दौरान भारी उछाल दिखाया, वे हैं चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व उत्तर पूर्व राज्य जिन्होंने 2018-19 के दौरान दाखिल आवेदनों की तुलना में सामूहिक रूप से जबरदस्त वृद्धि दर्शाई है।

आवेदन दाखिल करने वाले शीर्ष राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं (आवेदनों की संख्या कोष्ठक में दी गयी है) महाराष्ट्र (4741), तमिलनाडु (3546), कर्नाटक (2230), दिल्ली (1440), पंजाब (1435), तेलंगाना (1239), उत्तर प्रदेश (1176), गुजरात (885), हरियाणा (672), पश्चिम बंगाल (611), आंध्र प्रदेश (484), केरल (361), उड़ीसा (301), मध्य प्रदेश (285), राजस्थान (273), उत्तराखंड (209), झारखंड (185), हिमाचल प्रदेश (141) तथा असम (102). राज्य/ केंद्र शासित क्षेत्र के अनुसार विवरण **परिशिष्ट ख** में प्रदर्शित किया गया है।

भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन (राज्यानुसार)

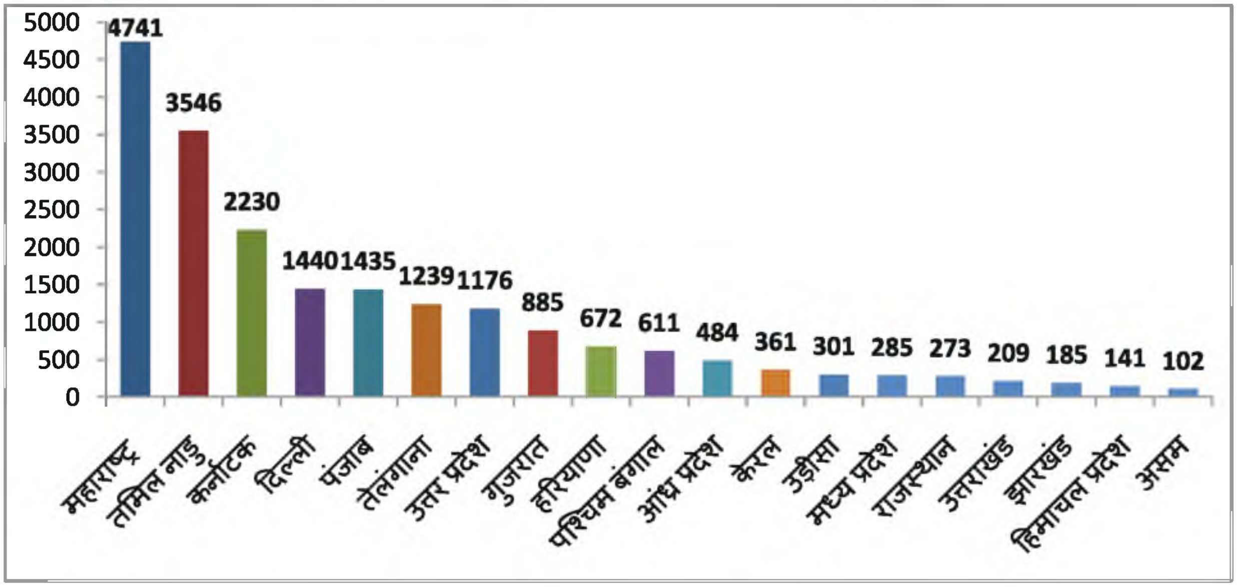

(ग) आवेदनों का श्रेणीवार वितरण:

2016-17, 2017-18, 2018-19 व 2019-20 के दौरान विभिन्न श्रेणियों जैसे प्रकृत व्यक्ति (एनपी), स्टार्टअप (एसयू), लघु अस्तित्व (एसई) तथा प्रकृत व्यक्ति के सिवाय अन्य (ओएनपी) आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों का विवरण निम्नवत है। यह ध्यान दिया जाए कि सभी श्रेणियों में दाखिल आवेदनों में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है।

वर्ष	प्रकृत व्यक्ति (एनपी)		स्टार्टअप (एसयू)		लघु अस्तित्व (एसई)		प्रकृत व्यक्ति के सिवाय अन्य		कुल		कुल योग
	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	
2016-17	5918	1622	160	3	412	120	6729	30480	13219	32225	45444
2017-18	6811	1444	511	4	491	131	7737	30725	15550	32304	47854
2018-19	7250	1193	801	10	607	75	8347	32376	17005	33654	50659
2019-20	**8792**	**1182**	**1650**	**2**	**576**	**272**	**9825**	**33968**	**20843**	**35424**	**56267**

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले शीर्ष 5 भारतीय आवेदक:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	दाखिल आवेदन
1	मेसब्रो टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड	425
2	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी	175
3	टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड	162
4	भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान (समेकित)	156
5	विप्रो लिमिटेड	110

(ङ) वैज्ञानिक अनुसंधान व विकास संस्थानों से पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले शीर्ष 10 भारतीय आवेदक:

क्र. सं.	वैज्ञानिक अनुसंधान व विकास संस्थान का नाम	दाखिल आवेदन
1	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद	169
2	अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ)	89
3	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	40
4	मेरिल लाइफ साइंसिज़ प्राइवेट लिमिटेड	22
5	श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसिज़ एंड टेक्नोलोजी	19
6	वेल टेक रंगराजन डॉ. सगुनथला आर & डी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलॉजी	18

7	ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नॉलॉजी इंस्टीट्यूट	15
8	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान	14
9	सोलारा एक्टिव फार्मा साइंसेज़ लिमिटेड	13
10	सेंटर ऑफ एक्सिलेन्स इन वायरलेस टेक्नॉलॉजी	10
10	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद	10
10	जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च	10

इस श्रेणी में, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद शीर्ष स्थान पर रहा जबकि रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ) व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर रहे।

(च) शैक्षिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों से पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले शीर्ष 10 भारतीय आवेदक:

क्र.सं.	संस्थानों/विश्वविद्यालयों के नाम	दाखिल आवेदन
1	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (समेकित)	664
2	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी	442
3	चंडीगढ़ विश्वविद्यालय	400
4	भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हाईयर एजुकेशन एंड रिसर्च	251
5	चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस	210
6	अमिटी यूनिवर्सिटी	179
7	संस्कृति विश्वविद्यालय	150
8	शिक्षा 'ओ' अनुसंधान (मानित विश्वविद्यालय)	101
9	शूलीनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसिज़	80
10	एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एंड टेक्नॉलॉजी	56

इस वर्ष, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (समेकित) शीर्ष स्थान पर रहे जबकि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी व चंडीगढ़ विश्वविद्यालय क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर रहे।

2. विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन:

(क) कन्वेंशन आवेदन:

गत वर्ष के **3911** की तुलना में वर्ष के दौरान पेरिस कन्वेंशन के तहत पूर्विक्ता दावा करते हुए दाखिल आवेदनों की कुल संख्या **3637** रही। यह वर्ष के दौरान दाखिल किए गए कन्वेन्शन आवेदनों की संख्या में लगभग 7% की कमी दर्शाता है।

(ख) पी.सी.टी. राष्ट्रीय फेज आवेदन:

विदेश से प्राप्त आवेदनों में से अधिकांश पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) राष्ट्रीय फेज माध्यम से दाखिल किए गए। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान दाखिल ऐसे आवेदनों की संख्या **28832** रही जो विगत वर्ष की संख्या **26966** की तुलना में लगभग **7%** की साधारण वृद्धि दर्शाता है। आवेदन दाखिल करने वाला शीर्ष देश संयुक्त राज्य अमरीका (8718) रहा। देशानुसार विवरण **परिशिष्ट ख1** में प्रदर्शित किया गया है।

पी.सी.टी. राष्ट्रीय फेज हेतु शीर्ष आवेदक (देशानुसार)

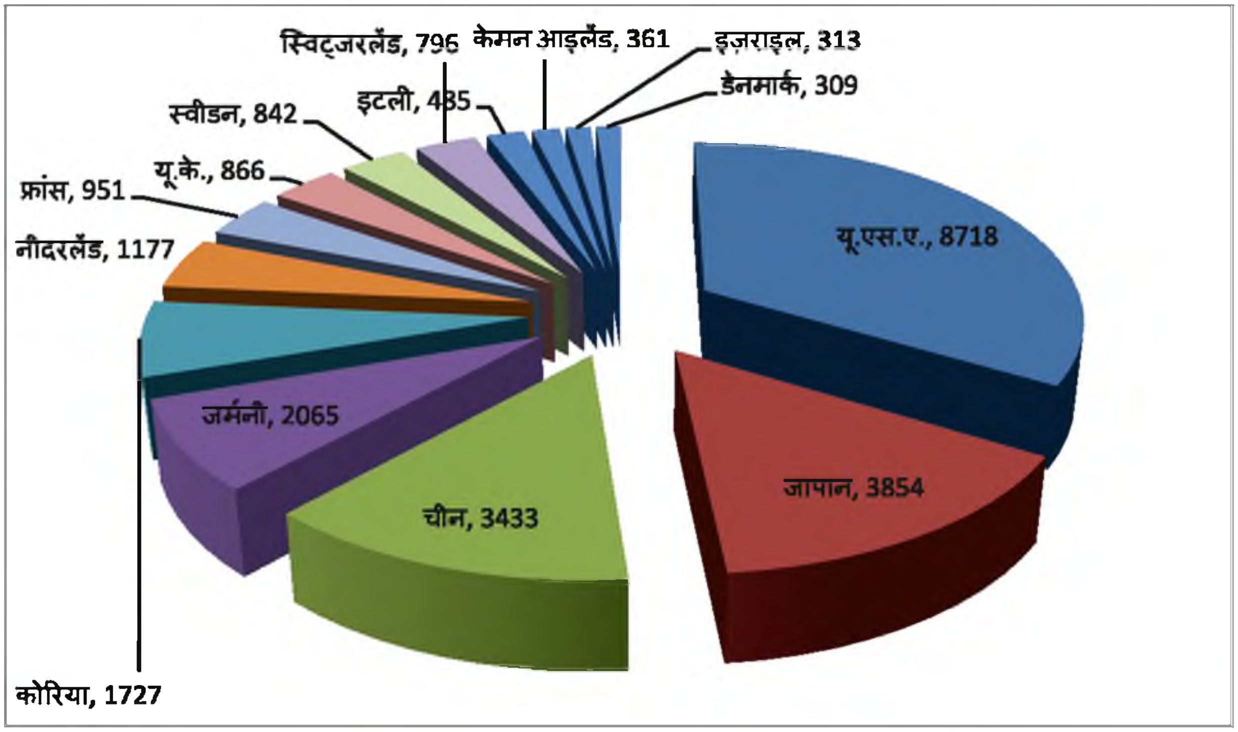

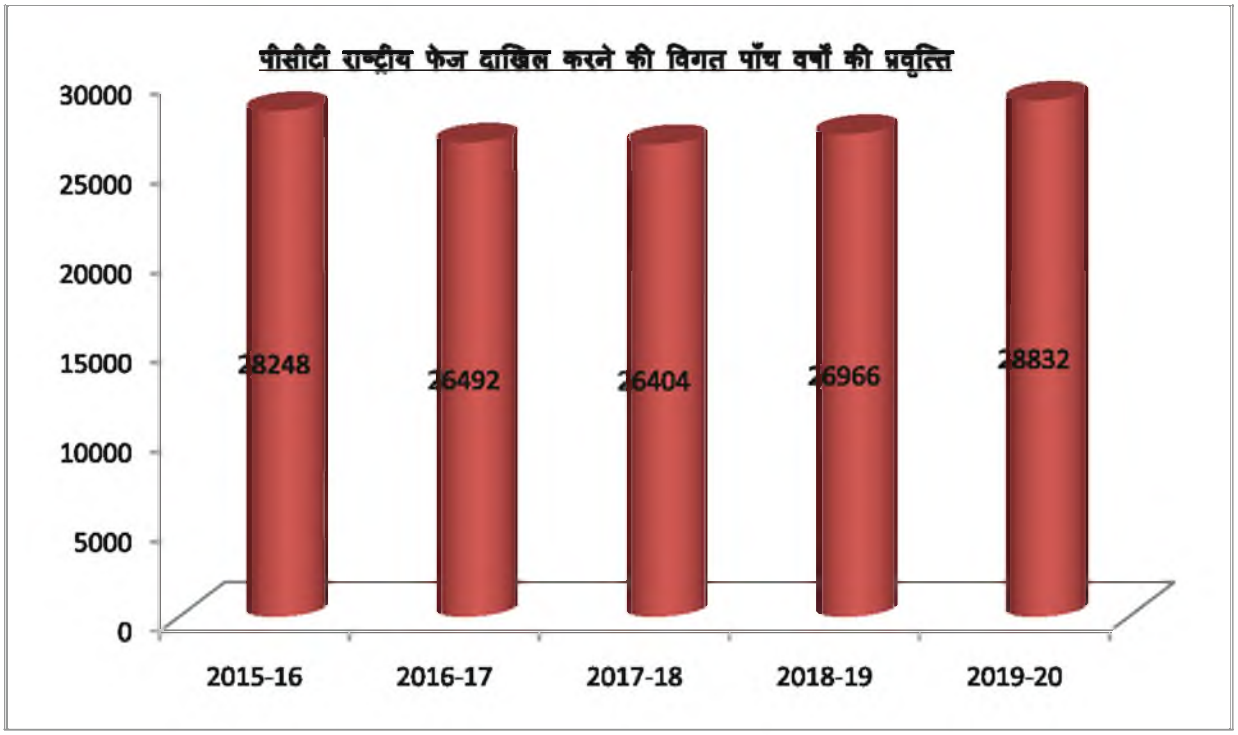

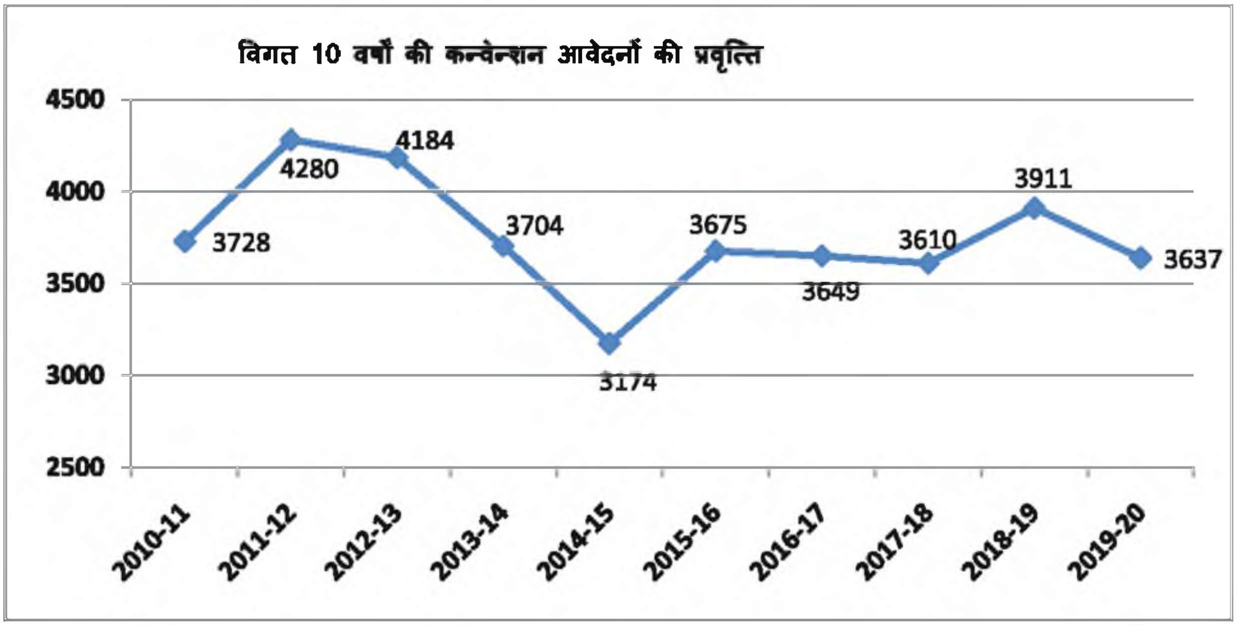

(ग) शीर्ष 10 विदेशी प्रवासी आवेदक:

निम्नलिखित तालिका उन **शीर्ष 10 विदेशी प्रवासी आवेदकों** की सूची प्रदान करती है जिन्होंने 2019-20 के दौरान भारत में पेटेंट आवेदन दाखिल किए हैं। यह देखा गया हैं कि हुआवि टेक्नोलॉजी क. लि. इस सूची में अग्रणी रहा।

शीर्ष 10 विदेशी प्रवासी आवेदक

क्र.सं.	संगठन का नाम	आवेदनों की संख्या
1	हुआवि टेक्नोलॉजी क. लि.	1448
2	क्वालकम इंकॉरपोरेटेड	1410
3	सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड	1300
4	गुयांगॉग ओप्पो मोबाइल टेलिकम्यूनिकेशंस कॉर्प. लिमिटेड	779
5	टेलेफोनाक्टिबोलागेट एलएम एरिक्सन (पीयूबीएल)	508
6	माइक्रोसॉफ्ट टेक्नॉलॉजी लाइसेंसिंग, एलएलसी	505
7	कोनिनक्लीके फिलिप्स एन.वी.	397
8	होंडा मोटर क. लिमिटेड	391
9	अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड	352
10	सिग्निफ़ाई होल्डिंग बी.वी.	273

गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त पेटेंट आवेदनों का विवरण **परिशिष्ट-ख** (भारत में उद्गम राज्य के अनुसार वर्गीकृत) व **परिशिष्ट-ख1** (उद्गम देश के अनुसार वर्गीकृत) में दर्शाया गया है।

2010-11 से 2019-20 की अवधि के दौरान विभिन्न माध्यमों से भारतीय प्रवासियों एवं अप्रवासियों से प्राप्त पेटेंट आवेदनों की संख्या **परिशिष्ट- ग** में दर्शायी गई है।

2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान रसायन, वैद्युतिक, यान्त्रिकी, जैवतकनीक, खाद्य, कंप्यूटर/इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि के विषयवार दाखिल आवेदनों का विवरण **परिशिष्ट -ङ तथा ङ1** में प्रदत्त सारणी द्वारा दिखाया गया है।

3. परीक्षित आवेदनों की कुल संख्या:

कार्यालय ने गत वर्ष के 85426 परीक्षित आवेदनों की तुलना में, वर्ष के दौरान **80080** आवेदनों का परीक्षण किया। यह लगभग 6% की कमी है, जिसका कारण मुख्यतः पहली छमाही के दौरान परीक्षण कार्य के लिए नए 181 परीक्षकों की अनुपलब्धता व कोविड-19 महामारी के कारण आईपीओ कार्य में बाधा रहा।

4. परीक्षण हेतु अनुरोध (आरक्यू) का कुल निपटान:

गत वर्ष के 50,884 की तुलना में वर्ष के दौरान **55945** परीक्षण हेतु अनुरोध (आरक्यू) का निपटान किया गया, जो निपटान में 9.95% की वृद्धि दर्शाता है जिसमें अनुदानित, अस्वीकृत, धारा 21(1) के तहत परित्यक्त व आहरित आवेदन शामिल हैं।

5. अनुदानित तथा प्रवृत्त पेटेंट:

वर्ष के दौरान अनुदानित पेटेंट की कुल संख्या **24936** थी, जिनमें से **4003** भारतीय आवेदकों को अनुदानित किए गए। वर्ष के दौरान अनुदानित पेटेंट 2018-19 के दौरान अनुदानित पेटेंट (15283) से 63.16% अधिक रहे।

31 मार्च 2020 तक प्रवृत्त पेटेंट की संख्या 81279 थी जिनमें से 12181 पेटेंट भारतीयों के नाम थे।

वर्ष 2010-11 से वर्ष 2019-20 की अवधि के दौरान दाखिल आवेदनों की संख्या, परीक्षण हेतु प्राप्त अनुरोधों की संख्या, परित्यक्त हुआ सा मान लिए गए आवेदन तथा पेटेंट अनुदान प्राप्त करने वाले आवेदन एवं प्रवृत्त पेटेंट की संख्या **परिशिष्ट-घ** में प्रदर्शित की गई है।

वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के विगत पाँच वर्षों के दौरान आविष्कार के विभिन्न क्षेत्रों के तहत अनुदानित पेटेंट की संख्या **परिशिष्ट - च व च1** में प्रदर्शित की गई है।

6. शीघ्र परीक्षण स्थिति:

शीघ्र परीक्षण की सुविधा प्रारम्भ में स्टार्टअप और पेटेंट आवेदनों के लिए प्रदान की गई थी, जहां आवेदकों ने अपने संबंधित पीसीटी अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के लिए आईएसए / आईपीईए के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय का चयन किया है। पेटेंट नियमों में संशोधन करके आवेदकों की 8 और श्रेणियों को 17 सितंबर, 2019 से इसमें शामिल कर लिया गया है। आवेदकों की नई श्रेणियों में लघु, मध्यम उद्यम, महिला आवेदक, सरकारी विभाग, केंद्रीय, प्रांतीय अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित संस्थान है, जो सरकार के स्वामित्व में है अथवा उसके द्वारा नियंत्रित है, सरकारी कंपनी, सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा सारवान रूप से वित्तपोषित संस्थान तथा पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाइवे (पीपीएच) के अधीन दाखिल आवेदन शामिल हैं।

शीघ्र परीक्षण हेतु अनुरोधों की फाइलिंग में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, जिसका कारण है कि इस श्रेणी के तहत आवेदनों का परीक्षण और शीघ्रता से किया जाता है जिससे अधिकांश मामलों में अनुदान / अंतिम निपटान सामान्य परीक्षण मार्ग में अपेक्षित कुछ वर्षों की अवधि की तुलना में शीघ्र परीक्षण हेतु अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष के औसत समय के भीतर हो जाता है।

शीघ्र परीक्षण हेतु प्राप्त अनुरोध, परीक्षित व निपटान का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है जिसमें नई श्रेणियों को "अन्य" के रूप में नामित किया गया है।

वर्ष	**शीघ्र परीक्षण हेतु दाखिल अनुरोध**				**अनुदानित पेटेंट**				**अस्वीकृत**			
	स्टार्टअप	आईएसआर हेतु आवेदक	अन्य	कुल	स्टार्टअप	आईएसआर हेतु आवेदक	अन्य	कुल	स्टार्टअप	आईएसआर हेतु आवेदक	अन्य	कुल
2016-17	45	90	लागू नहीं	135	1	8	लागू नहीं	9	0	0	लागू नहीं	0
2017-18	136	162	लागू नहीं	298	17	39	लागू नहीं	56	8	1	लागू नहीं	9
2018-19	294	318	लागू नहीं	612	102	187	लागू नहीं	289	34	23	लागू नहीं	57
2019-20	**408**	**311**	**304**	**1023**	**189**	**235**	**5**	**429**	**53**	**57**	**0**	**110**
कुल	**883**	**881**	**304**	**2068**	**309**	**469**	**5**	**783**	**95**	**81**	**0**	**176**

7. भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल पीसीटी अंतरराष्ट्रीय आवेदन:

विगत पाँच वर्षों के दौरान प्राप्तकर्ता कार्यालय (आरओ/आईएन) के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय में भारतीय आवेदकों द्वारा पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) के तहत दाखिल अंतरराष्ट्रीय आवेदनों की कुल संख्या निम्नवत है (इस संख्या में वे अंतरराष्ट्रीय आवेदन शामिल नहीं है जो भारतीय आवेदकों द्वारा सीधे वायपो के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में दाखिल किए गए हैं):

वर्ष	**वैयक्तिक**	**विधिक सत्ताधारी**	**कुल**
2015-16	234	459	**693**
2016-17	272	472	**744**
2017-18	274	490	**765**
2018-19	336	630	**966**
2019-20	**351**	**668**	**1019**

अंतरराष्ट्रीय आवेदनों की विगत पाँच वर्षों की प्रवृत्ति

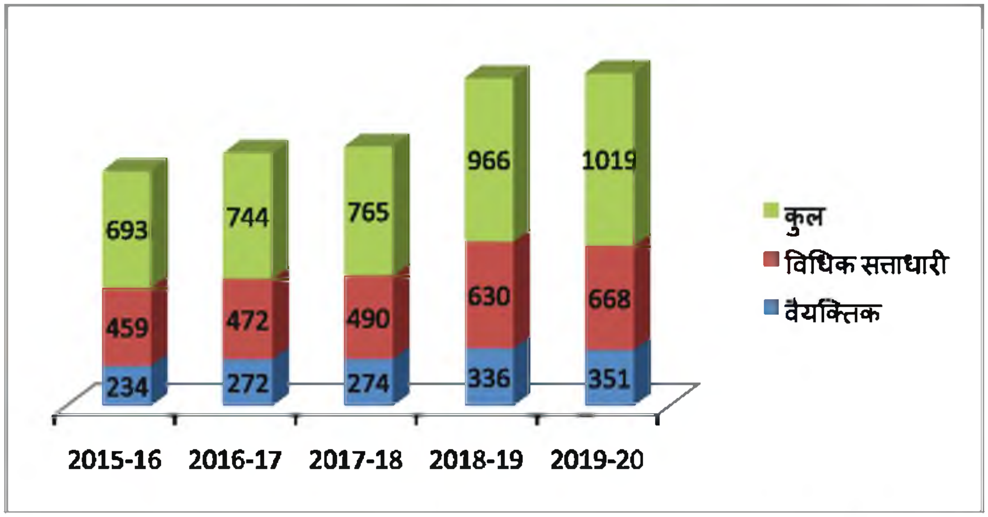

2019-20 के दौरान भारतीयों द्वारा पीसीटी अंतरराष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने में प्रमुख योगदान था - वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी मद्रास), एमएसएन लेबोरेट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड एंड सिपला लिमिटेड।

8. पेटेंट अधिनियम व नियमों के तहत विविध कार्यवाहियाँ:

(क) परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आविष्कार: वर्ष के दौरान, पेटेंट अधिनियम की धारा 4 के तहत **178** आवेदन परमाणु ऊर्जा विभाग को प्रेषित किए गए जिनमें से **1** आवेदन परमाणु ऊर्जा से संबद्ध पाए गए, जबकि **20** आवेदन सामान्य शासकीय कार्यवाही के तहत प्रक्रियागत करने के लिए अनुमत हुए तथा वर्ष के अंत तक **157** आवेदन परमाणु ऊर्जा विभाग के समक्ष विचारार्थ लंबित रहे।

(ख) धारा 11(क) के तहत पेटेंट आवेदनों का प्रकाशन: वर्ष 2019-20 के दौरान, पेटेंट अधिनियम की धारा 11(क) के तहत **50823** आवेदन प्रकाशित किए गए, जिनमें वैसे **6526** आवेदन शामिल हैं जिनके लिए शीघ्र प्रकाशन हेतु अनुरोध प्राप्त किए गए थे। विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रकाशित पेटेंट आवेदनों की संख्या संबंधी वर्षानुसार विवरण निम्नवत है:

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
धारा 11 क के तहत प्रकाशन	41752	84300	43402	42281	**44297**
शीघ्र प्रकाशन	2316	2466	3497	4064	**6526**
कुल	44068	86766	46899	46345	**50823**

(ग) अनुदानपूर्व आपत्ति [धारा 25(1) के तहत]: वर्ष के दौरान अनुदानपूर्व आपत्ति के रूप में 800 आवेदन प्राप्त हुए व 67 अनुदानपूर्व आपत्तियों का निष्पादन वर्ष के दौरान कर दिया गया।

(घ) अनुदानोत्तर आपत्ति [धारा 25(2) के तहत]: वर्ष के दौरान, 28 अनुदानोत्तर आपत्तियाँ दाखिल की गईं। सात (7) अनुदानोत्तर आपत्तियों का निष्पादन वर्ष के दौरान कर दिया गया और प्रतिवेदन वर्ष के अंत तक **99** अनुदानोत्तर आपत्तियाँ निष्पादन हेतु लंबित रहीं।

(ङ) गोपनीयता निदेश (धारा 35 के तहत): वर्ष के दौरान, **111** पेटेंट आवेदन भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को उन आविष्कारों के रक्षा उद्देश्य से संबद्ध होने विषयक विचार देने हेतु प्रेषित किए गए। वर्ष के दौरान, **43** आवेदनों को सामान्य कार्यवाही हेतु अनुमत्त किया गया, जहां 2 आवेदन डीआरडीओ द्वारा आगे बढ़ने के लिए अस्वीकृत किए गए, जबकि वर्ष के अंत तक **68** आवेदन डीआरडीओ में लंबित रहे।

(च) देश से बाहर आवेदन करने की अनुमति (धारा 39 के तहत): वर्ष के दौरान, भारत के बाहर पेटेंट आवेदन दाखिल करने की अनुमति का अनुरोध करते हुए **6005** अनुरोध फॉर्म 25 पर प्राप्त हुए, जबकि **5837** आवेदनों के संदर्भ में अनुमति प्रदान की गई।

(छ) व्यपगत पेटेंट का प्रत्यावर्तन (धारा 60 के तहत): 2019-20 के दौरान पेटेंट के प्रत्यावर्तन के लिए **126** आवेदन प्राप्त हुए व **97** पेटेंट प्रत्यावर्तित किए गए।

(ज) समनुदेशन, मोर्गेज, लाइसेंस आदि (धारा 68 तथा 69 के तहत): इस धारा के तहत दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए **1714** मामले प्राप्त किए गए व प्रतिवेदन वर्ष के दौरान **1158** आवेदनों का निपटान कर दिया गया।

(झ) जारी पेटेंट (धारा 146 के तहत): प्रतिवेदन वर्ष के दौरान फॉर्म-27 पर जारी प्रेटेंट के **57192** कथन प्राप्त किए गए जिनमें से **16181** पेटेंट को जारी रहने के रूप में दर्शाया गया था। विगत पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त सूचना का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है:

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
प्रवृत्त पेटेंट	44524	48765	56764	64686	**81279**
प्राप्त फॉर्म-27	39507	42870	46618	51104	**57192**
जारी रहने के रूप में दर्शाया हुआ	8589	11318	12246	14277	**16181**

(ञ) अनिवार्य लाइसेंस (धारा 84, 92 तथा 92-क के तहत): प्रतिवेदन वर्ष के दौरान अनिवार्य लाइसेंस के अनुदान हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

(ट) सूचना (धारा 153 के तहत): वर्ष के दौरान पेटेंट नियम, 2003 (यथा संशोधित) के नियम 134 में यथा प्रदत्त इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत पेटेंट संबंधी सूचना की आपूर्ति करने के लिए पेटेंट कार्यालय ने **50** अनुरोध प्राप्त किए।

(ठ) पेटेंट अभिकर्ताओं का पंजीकरण: वर्ष के दौरान **1293** नए पेटेंट अभिकर्ताओं का पंजीकरण किया गया। 31 मार्च 2020 तक पंजीकृत पेटेंट अभिकर्त्ताओं की कुल संख्या **4122** थी।

9. राजस्व :

पेटेंट कार्यालय ने अधिनियम और नियमों के तहत विभिन्न कार्यवाहियों के लिए शुल्क के माध्यम से लगभग **रु. 621.77 करोड़** का राजस्व अर्जित किया। पेटेंट पर एकत्रित शुल्क का विवरण **परिशिष्ठ - छ** में दिया गया है।

10. सामान्य सूचना:

पेटेंट कार्यालय, कोलकाता, मुम्बई, दिल्ली एवं चेन्नई के वैज्ञानिक तथा तकनीकी पुस्तकालय जनता को परामर्श तथा संदर्भ कार्य के लिए सुविधा प्रदान करते रहे। इन सुविधाओं का विभिन्न अनुसंधान व औद्योगिक संस्थानों के आविष्कारक तथा अन्य जनता के साथ-साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनुसंधानरत विद्वानों ने उपयोग किया।

वर्तमान में पेटेंट कार्यालय, सीडी-रोम्स, पुस्तकों और जर्नल के अतिरिक्त वैज्ञानिक और तकनीकी ई-जर्नल प्राप्त करता है। भारत और विदेश में पेटेंट कार्यालयों के पेटेंट विनिर्देश और अन्य प्रकाशनों के माध्यम से अन्वेषण संचालित करने हेतु हजारों लोगों ने पेटेंट कार्यालय के पुस्तकालयों का दौरा किया।

पेटेंट कार्यालय द्वारा अपनी वेबसाइट www.Ipindla.nic.in पर प्रदत्त नि:शुल्क ऑनलाइन इंटरनेट खोज सुविधा का हितधारकों और सर्वसाधारण ने भी व्यापक लाभ उठाया।

11. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना:

वर्ष के दौरान, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध कराने के लिए 221 अनुरोध प्राप्त किए गए और अधिनियम के तहत प्रदत्त समय-सीमा के अनुसार सभी अनुरोधों पर उपयुक्त कार्यवाही की गई।

परिशिष्ट-क

परीक्षक एकस्व का विषयवार वितरण

क्र.सं.	**विषय**	**परीक्षकों की संख्या**
1	जैव रसायन	09
2	जैव प्रौद्योगिकी	24
3	जैव चिकित्सा अभियंत्रणा	19
4	रसायन	110
5	सिविल अभियंत्रणा	09
6	कम्प्यूटर एवं आई टी अभियंत्रणा	61
7	वैद्युतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स व संचार अभियंत्रणा	167
8	खाद्य प्रोद्योगिकी	05
9	यांत्रिकी अभियंत्रणा	126
10	धातुकर्म अभियंत्रणा	11
11	भौतिकी	45
12	पॉलीमर	19
13	वस्त्र	06
	कुल	611

परिशिष्ट ख

उद्‌गम राज्य के अनुसार वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 में दाखिल किए गए पेटेंट आवेदन

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	**साधारण आवेदन**		**कन्वेंशन आवेदन**		**राष्ट्रीय फेज आवेदन**	
	2019-20	**2018-19**	**2019-20**	**2018-19**	**2019-20**	**2018-19**
अंडमान & निकोबार	**4**	2	**0**	0	**0**	0
आंध्र प्रदेश	**482**	321	**1**	1	**1**	1
अरुणाचल प्रदेश	**9**	5	**0**	0	**0**	0
असम	**102**	109	**0**	0	**0**	0

बिहार	50	48	0	0	0	1
चंडीगढ़	170	76	0	0	1	0
छत्तीसगढ़	77	38	0	4	0	0
दादरा & नागर हवेली	1	2	0	0	0	0
दमन & दीव	5	2	0	0	0	0
दिल्ली	1428	1300	3	4	9	18
गोवा	36	44	1	0	0	0
गुजरात	867	858	1	0	17	10
हरियाणा	663	507	3	7	6	6
हिमाचल प्रदेश	141	193	0	0	0	0
जम्मू & कश्मीर	45	40	0	0	0	0
झारखंड	185	158	0	1	0	2
कर्नाटक	2192	2138	9	16	29	31
केरल	359	272	0	1	2	4
मध्य प्रदेश	284	194	1	0	0	1
महाराष्ट्र	4689	4197	10	6	42	54
मणिपुर	12	7	0	0	0	0
मेघालय	16	6	0	0	0	0
मिजोरम	11	25	0	0	0	0
नागालैंड	3	5	0	0	0	0
उड़ीसा	301	164	0	0	0	0
पाण्डिचेरी	59	55	0	0	0	0
पंजाब	1433	660	1	0	1	1
राजस्थान	269	305	3	0	1	0
सिक्किम	6	4	0	0	1	0
तमिलनाडु	3523	2382	9	1	14	8
तेलंगाना	1210	1011	6	1	23	33
त्रिपुरा	20	9	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	1172	967	0	0	4	5
उत्तरांचल	209	154	0	0	0	1
पश्चिम बंगाल	610	522	1	2	1	5
कुल	20642	16780	49	44	152	181

परिशिष्ट-ख 1

वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 में दाखिल उद्‌गम देश के अनुसार वर्गीकृत पेटेंट आवेदन

राष्ट्रमंडल देश

देश	साधारण आवेदन		कन्वेंशन आवेदन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
यू.के.	**56**	25	**37**	47	**866**	1025
ऑस्ट्रेलिया	**3**	19	**4**	8	**309**	263
कनाडा	**10**	5	**16**	17	**291**	292
श्रीलंका	**0**	0	**0**	0	**0**	3
आयरलैंड	**91**	119	**68**	55	**98**	70
न्यूजीलैंड	**3**	1	**0**	0	**39**	51
समोआ	**0**	0	**1**	2	**2**	2
कुल	**163**	169	**126**	129	**1605**	1706

उत्तर व दक्षिण अमरीका

देश	साधारण आवेदन		कन्वेंशन आवेदन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
यू.एस.ए.	**1337**	1192	**509**	568	**8718**	8199
मैक्सिको	**0**	0	**1**	0	**27**	36
ब्राजील	**1**	0	**9**	5	**48**	30
बरमूडा	**0**	0	**0**	0	**8**	10
केमन आइलैंड	**1**	3	**2**	3	**361**	178
वर्जिन आइलैंड्स	**0**	0	**0**	0	**8**	10
क्यूबा	**0**	0	**0**	0	**1**	2
कोलंबिया	**0**	0	**0**	1	**4**	4
अर्जेन्टीना	**2**	0	**0**	0	**1**	6
चिली	**0**	0	**1**	0	**13**	14
बहामास	**0**	0	**1**	0	**0**	2
बारबाडोस	**0**	0	**0**	1	**9**	9
पेरु	**0**	0	**0**	0	**3**	3
उरुग्वे	**0**	0	**0**	0	**1**	3
कोस्टा रीका	**0**	0	**0**	0	**1**	0
पनामा	**0**	0	**0**	0	**1**	0
सेंट किट्स एंड नेविस	**0**	0	**0**	0	**3**	0
उत्तर और दक्षिण अमेरिका के अन्य देश	**1**	0	**0**	7	**49**	41
कुल	**1342**	1195	**523**	585	**9256**	8547

परिशिष्ट-ख1 (जारी)

यूरोप

देश	साधारण आवेदन		कन्वेंशन आवेदन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
इटली	11	12	73	67	485	507
जर्मनी	326	236	309	367	2065	2099
बेल्जियम	7	3	9	2	247	305
फ्रांस	80	70	145	194	951	949
स्पेन	1	3	20	18	142	164
स्विट्जरलैंड	138	180	138	167	796	983
फिनलैंड	63	70	24	18	191	237
आस्ट्रिया	0	1	20	40	237	234
नीदरलैंड्स	53	39	22	12	1177	1079
स्वीडन	58	28	13	8	842	1008
डेनमार्क	18	18	14	9	309	329
पुर्तगाल	0	0	0	0	13	14
हंगरी	0	0	1	1	24	26
लग्जमबर्ग	0	0	4	4	99	83
रूस	0	0	1	4	79	61
रोमानिया	0	0	0	0	3	2
तुर्की	1	1	3	0	43	32
स्लोवेनिया	0	0	0	0	12	4
नार्वे	0	0	6	2	77	123
साइप्रस	0	0	1	0	4	10
पोलैंड	1	0	6	9	30	44
बुल्गारिया	1	0	1	0	7	4
आइस लैंड	0	0	0	0	1	2
चेक गणराज्य	3	0	4	0	15	17
लिक्टन्स्टाइन	0	0	2	0	13	8
यूक्रेन	2	0	0	0	7	10
स्लोवाकिया	0	0	0	1	22	8
ग्रीस	1	1	0	0	21	14

माल्टा	21	4	0	1	14	12
इस्टोनिया	0	0	1	0	1	4
मोनाको	0	0	0	1	0	4
बेलारूस	0	0	0	0	5	0
ब्रिटिश आइल्स	0	0	0	0	3	0
गिबरालतार	0	0	0	0	1	0
लातविया	0	0	0	0	1	0
सेन मरीना	0	0	0	0	1	0
अन्य यूरोपीय देश	0	0	9	2	15	28
कुल	**785**	666	**826**	927	**7953**	8404

परिशिष्ट-ख1 जारी

अफ्रीका

देश	**साधारण आवेदन**		**कन्वेंशन आवेदन**		**राष्ट्रीय फेज आवेदन**	
	2019-20	**2018-19**	**2019-20**	**2018-19**	**2019-20**	**2018-19**
दक्षिण अफ्रीका	3	0	4	1	27	38
मॉरिशस	12	6	0	0	4	3
सेशल्स	0	0	0	0	1	1
स्वाजीलैंड	0	0	0	1	1	1
कीनिया	1	0	0	0	0	3
इजिप्ट	0	0	0	0	8	5
साओ तोम एंड प्रिंसिपे	0	1	0	0	0	0
ज़ाम्बिया	0	0	0	0	1	1
मोरक्को	0	0	0	0	2	5
नामीबिया	0	0	0	0	1	0
अन्य अफ्रीकी देश	0	2	0	0	8	5
कुल	**16**	9	**4**	2	**53**	62

एशिया

देश	साधारण आवेदन		कन्वेंशन आवेदन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
जापान	88	66	966	1025	3854	3607
अफ़ग़ानिस्तान	3	2	0	0	1	1
आज़रबैजान	0	0	0	0	0	1
कजाखिस्तान	0	0	0	0	4	1
नेपाल	0	1	1	2	0	0
ओमान	1	3	0	0	2	1
बाहरीन	0	0	0	0	4	2
कोरिया गणराज्य	582	498	500	416	1727	1492
चीन	35	58	320	424	3433	2601
इजराइल	21	13	20	21	313	310
ताइवान	42	48	263	340	28	33
इंडोनेशिया	0	0	0	0	1	1
वियतनाम	0	0	0	0	1	3
सिंगापुर	46	39	10	9	144	91
मलेशिया	5	1	6	5	17	20
यू.ए.ई	10	5	1	2	17	12
थाइलैंड	5	2	6	3	32	41
हाँग-काँग(चीन)	2	1	3	16	14	15
सउदी अरब	6	0	0	0	21	7
ईरान	0	1	0	0	5	0
ब्रूने दारुस्सलम	0	0	0	0	1	0
पाकिस्तान	0	0	5	0	0	0
फिलीपींस	0	0	0	0	4	0
उज्बेकिस्तान	0	0	0	0	1	0
अन्य एशियाई देश	2	0	8	5	188	8
कुल	**848**	738	**2109**	2268	**9812**	8247
कुल योग	**23798**	19557	**3637**	3955	**28832**	27147

परिशिष्ट-ग

पिछले 10 वर्षों में प्रवासी और भारत में रहने वाले द्वारा विभिन्न माध्यमों से दाखिल आवेदन

आवेदक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
भारत में रहने वाले	8312	8921	9911	10941	12071	13066	13219	15550	17005	**20843**
प्रवासी										
साधारण	816	1031	1144	1228	1461	1915	2084	2290	2777	**3156**
कन्वेंशन	3728	4280	4184	3704	3174	3675	3649	3610	3911	**3588**
पीसीटी के तहत राष्ट्रीय फेज आवेदन	26544	28965	28435	27078	26057	28248	26492	26404	26966	**28680**
कुल योग	**39400**	**43197**	**43674**	**42951**	**42763**	**46904**	**45444**	**47854**	**50659**	**56267**

परिशिष्ट- घ

वर्ष 2010-11 से 2019-20 तक की अवधि के दौरान पेटेंट संबंधी विविध सूचना

वर्ष	दाखिल आवेदनों की संख्या	परीक्षण हेतु अनुरोधों की संख्या	पूर्ण विनिर्देश दाखिल नहीं करने के कारण परित्यक्त मान लिए गए आवेदनों की संख्या धारा 9 (1)	धारा 21 (1) के तहत अननुपालन के कारण परित्यक्त समझे गए आवेदनों की कुल संख्या	अनुदत्त पेटेंट की संख्या		प्रवृत्त पेटेंट की संख्या	
					भारतीय पेटेंटी	विदेशी पेटेंटी	भारतीय पेटेंटी	विदेशी पेटेंटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010-11	39400	31493	185	5186	1273	6236	7301	32293
2011-12	43197	33811	698	3800	699	3682	7545	32444
2012-13	43674	36247	361	4559	716	3410	8308	35612
2013-14	42951	37474	224	6418	634	3592	7464	35168
2014-15	42763	34958	12	6970	684	5294	7561	35695
2015-16	46904	35960	1226	12782	918	5408	7306	37218
2016-17	45444	38578	4357	10408	1315	8532	7660	41105
2017-18	47854	37208	184	24992	1937	11108	8830	47934
2018-19	50659	38665	3779	30458	2511	12772	9787	54899
2019-20	**56267**	**42007**	**3761**	**23291**	**4003**	**20933**	**12181**	**69098**

परिशिष्ट- ङ

आविष्कार के प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत 2015-16 से 2019-20 तक दाखिल पेटेंट आवेदनों की संख्या

आविष्कार का क्षेत्र / वर्ष	रसायन	औषध	पॉलीमर व विज्ञान प्रौद्योगिकी	कंप्यूटर / इलेक्ट्रॉनिक्स	संचार	वैद्युतिक	भौतिकी	जैव चिकित्सा	यांत्रिकी	अन्य क्षेत्र (परिशिष्ट-ङ1 देखें)	कुल
2015-2016	6463	2966	1230	5988	5770	4102	2852	1579	0164	5790	46904
2016-2017	5911	2122	1158	6443	5315	4141	2693	1048	0715	5898	45444
2017-2018	6343	2741	1116	6089	5486	4278	2996	1095	11573	6137	47854
2018-2019	6560	2683	1100	5540	6308	4703	3659	812	12414	6880	50659
2019-2020	**5198**	**5622**	**1309**	**11126**	**6862**	**4587**	**2646**	**3508**	**10359**	**5050**	**56267**

परिशिष्ट- ङ 1

आविष्कार के अन्य विविध क्षेत्रों के अंतर्गत 2015-16 से 2019-20 तक दाखिल पेटेंट आवेदनों की संख्या

आविष्कार का क्षेत्र / वर्ष	जैव-प्रौद्योगिकी	जैव-रसायन	खाद्य	माइक्रो-बायोलॉजी	धातुकर्म व सामग्री विज्ञान	वस्त्र	सिविल	सामान्य अभियंत्रणा	एग्रो-केमिकल्स	कृषि अभियंत्रणा	पारंपरिक ज्ञान
2015-2016	887	372	387	316	727	734	749	757	479	268	114
2016-2017	876	258	283	253	777	837	741	1225	319	245	84
2017-2018	992	331	344	297	713	795	779	1032	429	338	87
2018-2019	882	282	430	301	734	881	956	1537	392	411	74
2019-2020	**1065**	**442**	**1111**	**17**	**836**	**693**	**816**	**27**	**19**	**13**	**11**

कुल- परिशिष्ठ ङ 1: 5050

परिशिष्ट -च

आविष्कार के प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक अनुदानित पेटेंट की संख्या

आविष्कार का क्षेत्र / वर्ष	रसायन	औषध	पॉलीमर विज्ञान व प्रौद्योगिकी	कंप्यूटर/ इलेक्ट्रॉनिक्स	संचार	वैद्युतिक	भौतिकी	जैव-चिकित्सा	यांत्रिकी	अन्य क्षेत्र (परिशिष्ट- च1 देखें)	कुल
2015-2016	1683	370	279	810	414	362	175	69	1414	750	6326
2016-2017	2673	551	562	1049	805	579	260	167	1939	1262	9847
2017-2018	3376	733	747	1028	1031	818	568	150	2514	2080	13045
2018-2019	4242	761	701	1074	1414	1253	703	290	2857	1988	15283
2019-2020	**4848**	**1930**	**923**	**2141**	**2692**	**2451**	**1349**	**565**	**5301**	**2736**	**24936**

परिशिष्ट - च 1

आविष्कार के अन्य विविध क्षेत्रों के अंतर्गत 2015-16 से 2019-20 तक अनुदानित पेटेंट की संख्या

आविष्कार का क्षेत्र / वर्ष	जैव-प्रौद्योगिकी	जैव-रसायन	खाद्य	माइक्रो-बायोलॉजी	धातुकर्म/ सामग्री विज्ञान	वस्त्र	सिविल	सामान्य अभियंत्रणा	एग्रो-केमिकल	कृषि अभियंत्रणा
2015-2016	185	52	32	44	94	94	60	142	45	2
2016-2017	333	73	71	81	182	93	100	228	97	4
2017-2018	546	142	106	108	429	179	124	297	125	24
2018-2019	457	161	76	104	272	212	155	**303**	215	33
2019-2020	**357**	**188**	**114**	**152**	**363**	**493**	**280**	**446**	**289**	**54**

कुल परिशिष्ट-च1: 2736

परिशिष्ट - छ

अधिनियम व नियम के तहत विभिन्न कार्यवाहियों के संदर्भ में वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त शुल्क

क्र.सं.	एकत्रित शुल्क का संदर्भ	प्राप्त कुल राशि (रु.)
1	1- अनंतिम/पूर्ण विनिर्देश के साथ पेटेंट के लिए नया आवेदन पृष्ठों व दावों की संख्या का निरीक्षण	1866154900
2	2- अनंतिम विनिर्देश के बाद पूर्ण - फॉर्म 2 पृष्ठों व दावों की संख्या का निरीक्षण	28284650
3	4(i)- धारा 53(2) व 142(4), नियम 13(6), 80(1क) व 130 के अंतर्गत समय विस्तार हेतु अनुरोध पर - फॉर्म 4	8138410
4	4(ii)- नियम 24 ख के उपनियम (5) के अंतर्गत समय विस्तार हेतु अनुरोध पर- फॉर्म 4	75371100
5	6- उत्तर दिनांकन के लिए आवेदन	1782960
6	8(i)- आवेदक का प्रतिस्थापन/ परिवर्तन - फॉर्म 6	15955360
7	8(ii)- उत्तरजीवी / अन्य पक्ष के नाम पर कार्यवाही करने का अनुरोध	70960
8	9- विरोध की सूचना - फॉर्म 7 (अनुदानोत्तर)	363800
9	10- सुनवाई में उपस्थिति हेतु सूचना - कोई फॉर्म नहीं	280450
10	11- किसी पेटेंट में आविष्कारक के रूप में उल्लेख - फॉर्म 8	2430640
11	12- शीघ्र प्रकाशन हेतु अनुरोध - फॉर्म 9	38035500
12	पेटेंट का नवीकरण	2878849490
13	18(i)- अनुदान पूर्व आवेदन का संशोधन - फॉर्म 13	39356760
14	18(ii)- अनुदानोत्तर आवेदन का संशोधन - फॉर्म 13	363200
15	18(iii)- नाम/पता/राष्ट्रीयता/सेवार्थ पते में संशोधन - फॉर्म 13	26016570
16	19- संशोधन/प्रत्यावर्तन/परित्याग का विरोध - फॉर्म 14	60000
17	20- पेटेंट का प्रत्यावर्तन - फॉर्म 15	1205400
18	21- प्रत्यावर्तन हेतु अतिरिक्त शुल्क	1958500
19	22- पेटेंट परित्याग का प्रस्ताव	1000
20	24- पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए - फॉर्म 16	14185550
21	25- पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्टि के बदलाव के लिए	4433950
22	26- अतिरिक्त सेवार्थ पते की प्रविष्टि हेतु	8000
23	28(i)- 18 महीने के प्रकाशन के उपरांत परीक्षण हेतु अनुरोध - फॉर्म 18	703842200
24	28(ii)- त्वरित परीक्षण हेतु अनुरोध - फॉर्म 18	51559200
25	32- पेटेंट अभिकर्ता के रूप में पंजीकरण - फॉर्म 22	1322500
26	33- अभिकर्ता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अनुरोध	5097600

27	34(i)- रजिस्टर में अभिकर्ता नाम जारी रखना - प्रथम वर्ष	330960
28	34(ii)- रजिस्टर में अभिकर्ता नाम जारी रखना - द्वितीय वर्ष से	4723920
29	35- पेटेंट अभिकर्ता के लिए अनुलिपि प्रमाण पत्र	3350
30	36- रजिस्टर में अभिकर्ता के नाम का प्रत्यावर्तन - फॉर्म 23	101550
31	37- लिपिकीय त्रुटियों का सुधार	2462000
32	38- नियंत्रक के निर्णय की समीक्षा हेतु आवेदन - फॉर्म 24	1199750
33	39- भारत के बाहर पेटेंट आवेदन करने हेतु अनुमति - फॉर्म 25	21848300
34	41- धारा 72 के अधीन सत्यापित प्रति अथवा धारा 147 व नियम 133(1) के अधीन प्रमाण पत्र	24675205
35	42- कार्यालय प्रतियों के प्रमाणन हेतु, प्रत्येक मुद्रण	108800
36	43- रजिस्टर की जांच हेतु अनुरोध	72620
37	44- सूचना हेतु अनुरोध	86750
38	46-पूर्विक्ता दस्तावेज़ दाखिल करने में देरी/ अनियमितता ठीक करने/ देरी ठीक करने हेतु याचिका	283223050
39	47-दस्तावेज़ की छायाप्रति की आपूर्ती	65070
40	48- अंतरराष्ट्रीय आवेदन हेतु पारेषण शुल्क	5902900
41	49- पूर्विक्ता दस्तावेज़ की सत्यापित प्रति तैयार करना	8846085
42	विविध - फॉर्म 30	728596
43	4(iii) नियम 24(ग) के उप नियम 11 के अंतर्गत समय के विस्तार हेतु अनुरोध - फॉर्म 4	256000
44	नियम 24 ख के अधीन परीक्षण हेतु अनुरोध का शीघ्र परीक्षण में परिवर्तन - फॉर्म 18 क	17144002
45	नियम 129 क के अंतर्गत सुनवाई के स्थगन हेतु अनुरोध	24221200
46	धारा 72 के अधीन सत्यापित प्रतियाँ अथवा धारा 147 व नियम 133 (2) के अंतर्गत प्रमाण पत्र	4552460
47	आवेदक के प्रकार में परिवर्तन से संबंधित बकाया शुल्क	10079918
48	दावे, पृष्ठ, संशोधन के उपरांत सीक्वेंस लिस्टिंग में वृद्धि से संबन्धित शुल्क	35020276
49	1. विरोधी का लिखित कथन एवं साक्ष्य (चौथी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 6 में देय शुल्क) / 2. हलफ़नामा (चौथी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 6 में देय शुल्क)	15640
50	1. पेटेंटग्राही का लिखित कथन एवं साक्ष्य (चौथी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 6 में देय शुल्क)/2. हलफ़नामा (चौथी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 6 में देय शुल्क)	73000
51	कार्यालय कार्रवाई का उत्तर (अनिवार्य)	2024235
52	आईबी से प्राप्त आईएसए शुल्क	4888938
	कुल	**6217783225**

अध्याय-IV

पेटेंट सहयोग संधि

परिचय

7 सितंबर, 1998 को, भारत ने जिनेवा में वायपो के साथ दो अंतरराष्ट्रीय संधियों का अधिमिलन प्रपत्र जमा किया। ये दो संधियां नामतः औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन तथा पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) 7 दिसम्बर, 1998 से भारत में कार्यात्मक हुईं हैं।

पीसीटी प्रत्येक सदस्य देश में पीसीटी के लिए एकल अंतरराष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने का प्रावधान करता है जो पेटेंट के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय आवेदन में आवेदक द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। सरलीकृत प्रक्रियाएं और बहुविध देशों में पेटेंट संरक्षण की घटी हुई लागत पीसीटी द्वारा प्रस्तुत बहुत बड़ा फायदा है।

पीसीटी को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो सदस्य देशों के आवेदकों को 153 देशों में पेटेंट अनुदान हेतु एकल अंतरराष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने की सुविधा प्रदान करता है। इसका एक और लाभ यह है कि यह प्रत्येक देश में राष्ट्रीय चरण में प्रवेश करने से पूर्व अंतरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट (आईएसआर) और अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण रिपोर्ट (आईपीईआर) प्रदान करता है। आईएसआर और आईपीईआर को विश्व के पेटेंट कार्यालयों में से एक द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विनियमित मानकों के अनुसार स्थापित किया जाता है, जो पेटेंट आवेदनों की जांच करने में अत्यधिक अनुभवी है और जिसे विशेष रूप से वायपो द्वारा अंतरराष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण के लिए नियुक्त किया गया है।

1. पीसीटी के तहत प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय:

भारत पीसीटी का सदस्य बना व भारतीय पेटेंट कार्यालय (आईपीओ) ने 1998 से प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में कार्य प्रारम्भ किया है। पीसीटी के तहत, भारतीय नागरिक आवेदक पीसीटी के तहत प्राप्तकर्ता कार्यालय (रिसीविंग ऑफिस) - इंडिया (आरओ / आईएन) या वायपो (डब्ल्यूआईपीओ) के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो (आरओ/आईबी) के प्राप्तकर्ता कार्यालय रिसीविंग ऑफिस के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय आवेदन दाखिल कर सकता है।

क) आरओ/आईएन और आरओ/आईबी के माध्यम से भारत के नागरिकों / प्रवासियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने की प्रवृत्ति:

	आरओ/आईएन			आरओ/आईबी			कुल योग
वर्ष	आवेदक का प्रकार		कुल	आवेदक का प्रकार		कुल	(आरओ/आईएन व आरओ/आईबी)
	वैयक्तिक	विधिक सत्ताधारी		वैयक्तिक	विधिक सत्ताधारी		
2015-16	234	459	693	226	485	711	1404
2016-17	472	272	744	276	523	799	1543
2017-18	274	490	765	360	577	937	1701
2018-19	336	630	966	503	558	1061	2027
2019-20	**351**	**668**	**1019**	**325**	**540**	**865**	**1884**

ख) ईपीसीटी के माध्यम से दाखिल आवेदन:

आरओ/आईएन, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता के पेटेंट कार्यालयों के काउंटर पर अथवा वायपो द्वारा प्रस्तुत ईपीसीटी फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। आरओ / आईबी के माध्यम से भी कागज पर या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईपीसीटी का उपयोग करके आवेदन दाखिल किया जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईपीसीटी के माध्यम से आरओ/आईएन में दाखिल अंतरराष्ट्रीय आवेदन:

वर्ष	संख्या	आरओ/आईएन में कुल दाखिल का प्रतिशत
2015-16	308	44%
2016-17	473	64%
2017-18	669	88%
2018-19	916	95%
2019-2020	**976**	**98%**

ग) इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही व समयबद्धता:

आरओ/आईएन अंतरराष्ट्रीय आवेदनों पर आगे की कार्यवाही के लिए ईपीसीटी का उपयोग करता है और ईपीसीटी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड प्रतियां और खोज प्रतियां प्रेषित करता है। अप्रैल

कार्यालय का आईएसए के रूप में चयन किया, हालांकि आरओ/आईएन ने 6 अन्य आईएसए/आईपीईए को भारतीय आवेदकों के लिए आईएसए/आईपीईए के रूप में सक्षम घोषित किया है।

क) आईएसए/आईएन में प्राप्त खोज प्रतियों का वर्ष-वार विवरण:

वर्ष	दाखिल	निष्पादित	आहरित	वर्ष के दौरान लंबित
2013-14	135	18	1	116
2014-15	519	502	4	129
2015-16	711	621	1	218
2016-17	940	983	0	175
2017-18	1213	1156	1	231
2018-19	1738	1639	3	327
2019-20	**1654**	**1640**	**2**	**339**

ख) आईपीईए/आईएन में प्राप्त मांगों का वर्ष-वार विवरण:

वर्ष	दाखिल	निष्पादित	आहरित	वर्ष के दौरान लंबित
2013-14	0	0	0	0
2014-15	11	0	1	10
2015-16	24	14	1	19
2016-17	30	28	1	20
2017-18	49	29	0	40
2018-19	61	54	1	46
2019-20	**65**	**87**	**1**	**23**

ग) आईएसए / आईपीईए में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली:

भारतीय पेटेंट कार्यालय (आईपीओ) ने पीसीटी के तहत अंतर्राष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार आईएसए/आईपीईए के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान, आईपीओ ने रिपोर्ट की बेहतर गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्यों को और मजबूत किया। आईएसए/आईपीईए के गुणवत्ता सैल में विभिन्न विषय के विशेषज्ञ परीक्षक व नियंत्रक शामिल हैं जो रिपोर्ट की स्थापना व आवेदक तथा वायपो को रिपोर्ट प्रेषित करने से पूर्व रिपोर्ट की गुणवत्ता की जाँच करते हैं।

घ) समयबद्धता:

वर्तमान वर्ष के दौरान रिपोर्ट स्थापित करने में समयबद्धता 100% रही। 2019-20 के दौरान सभी 1640 रिपोर्ट वायपो द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर स्थापित की गईं। यदि आवेदकों द्वारा ईमेल उपलब्ध कराया गया है तो आईपीओ ईमेल द्वारा अंतरराष्ट्रीय खोज और प्रारम्भिक परीक्षण रिपोर्ट प्रेषित करता है और वायपो के साथ स्थापित सुरक्षित ट्रांसमिशन चैनल पीसीटी-ईडीआई के माध्यम से वायपो को रिपोर्ट प्रसारित करता है। रिपोर्ट की स्थापना की तारीख पर तुरंत आवेदकों को रिपोर्ट सूचित की जाती है।

ङ) खोज रणनीतियों का प्रकाशन:

आईपीओ ने अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के लिए डब्ल्यूआईपीओ के पेटेंट्सस्कोप सर्च पोर्टल पर प्रकाशन के लिए खोज रणनीतियों को साझा करना प्रारम्भ किया है, जिनके लिए 1 जनवरी, 2018 से रिपोर्ट स्थापित की गई हैं। भारत इस सेवा को प्रारम्भ करने वाले 23 प्राधिकरणों में सातवां अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरण है। पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में यह आईपीओ द्वारा महत्वपूर्ण कदम है जो आईपीओ द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में आवेदकों का विश्वास पैदा करता है। पूर्ण खोज रणनीतियाँ आवेदक के साथ-साथ अन्य कार्यालयों के परीक्षकों के लिए भी उपयोगी हैं ताकि उद्धरणों को खोजने के लिए आईएसए के परीक्षक द्वारा किए गए प्रयास के स्तर का मूल्यांकन किया जा सके।

च) आईपीओ को आईएसए/आईपीईए के रूप में चयन करने वाले आवेदक:

पीसीटी अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के आवेदक जो भारत और ईरान के नागरिक/प्रवासी हैं, भारतीय पेटेंट कार्यालय को आईएसए/आईपीईए के रूप में चुन सकते हैं। आईएसए/आईपीईए के रूप में आईपीओ चुनने वाले भारतीय आवेदकों के प्रकार में वैयक्तिक आविष्कारक, स्टार्ट अप, प्रीमियर अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय, भारतीय बहु-राष्ट्रीय समूह, विदेशी बहु-राष्ट्रीय फर्मों की भारतीय इकाइयाँ और भारतीय आविष्कारक या भारतीय कंपनियों के साथ सह आवेदक विदेशी फर्म शामिल हैं।

2019-20 के दौरान आईपीओ को आईएसए/आईएन के रूप में चयन करने वाली शीर्ष 10 कंपनियाँ

क्र. सं	आवेदक का नाम	आवेदनों की संख्या
1	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (समेकित)	65
2	टेलीफोनाक्टीबोलागेट एलएमएलएम (पीयूबीएल)	39
3	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद	29

4	हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड	25
5	टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड	24
6	रिलाइन्स ग्रुप	23
7	डॉ. रेड्डीज़ लेबोरेटरीज़ लिमिटेड	19
8	ग्लेनमार्क ग्रुप	16
9	भारतीय विज्ञान संस्थान	14
10	स्टरलाइट टेक्नॉलॉजीज़ लिमिटेड	11

छ) ईरान से प्राप्त खोज प्रतियां व मांगें:

वर्ष 2019-20 के दौरान, वे आवेदक जो ईरान के नागरिक/प्रवासी हैं, उनसे आईएसए/आईएन ने 149 खोज प्रतियां प्राप्त कीं और आईपीईए/आईएन ने 6 मांग प्राप्त कीं।

आईएसए (आईएन) में ईरान से गत पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त खोज प्रतियां	
वर्ष	**कुल**
2015-16	34
2016-17	24
2017-18	86
2018-19	138
2019-20	149

3) 2019-2020 के दौरान पीसीटी रोविंग सेमिनार:

वायपो के साथ और उद्योग संघों और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से भारतीय पेटेंट कार्यालय ने बौद्धिक संपदा के संरक्षण व पीसीटी के माध्यम से विश्व स्तर पर नवाचार के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए वायपो के सतत सहयोग के रूप में जून और नवंबर / दिसंबर 2019 के माह में आठ रोविंग सेमिनार आयोजित किए।

चार पीसीटी रोविंग सेमिनार का पहला दौर जून, 2019 में देहरादून, लखनऊ, कोलकाता और भुवनेश्वर में आयोजित किया गया और 4 रोविंग सेमिनार का दूसरा दौर नवंबर/दिसंबर, 2019 में अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, इंदौर और कोच्चि में आयोजित किया गया। प्रत्येक स्थान पर सेमिनार में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। सेमिनार बहुत सफल रहे और यह पीसीटी आवेदनों की फाइलिंग में वृद्धि के साथ-साथ बढ़े हुए डब्ल्यूआईपीओ-डीएएस मामलों में दिखा।

वायपो रोविंग सेमिनार को लागत प्रभावी और कुशल तरीके से अपने नवाचारों के लिए संरक्षण प्राप्त करने के प्रयासों में नवाचारियों की सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

20 जून, 2019 को देहारादून में पीसीटी रोविंग सेमिनार

24 जून, 2019 को लखनऊ में पीसीटी रोविंग सेमिनार

26 जून, 2019 को कोलकाता में पीसीटी रोविंग सेमिनार

28 जून, 2019 को भुवनेश्वर में पीसीटी रोविंग सेमिनार

25 नवंबर, 2019 को अहमदाबाद में पीसीटी रोविंग सेमिनार

WIPO | IPO
NATIONAL ROVING SEMINAR

27 नवंबर, 2019 को विशाखापट्नम में पीसीटी रोविंग सेमिनार

29 नवंबर, 2019 को इंदौर में पीसीटी रोविंग सेमिनार

WIPO | IPO
NATIONAL ROVING SEMINAR
FOR INTERNATIONAL FILINGS THROUGH
PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

अध्याय -V

डिजाइन

परिचय:

भारत में औद्योगिक डिजाइन का पंजीकरण और संरक्षा डिजाइन अधिनियम, 2000 तथा तत्संबंधी डिजाइन नियम 2001 द्वारा प्रशासित होता है। डिजाइन नियम, 2001 का संशोधन 2008 व 2014 में किया गया। 30 दिसंबर 2014 से प्रभावी डिजाइन नियम के संशोधन में प्रकृत व्यक्ति व प्रकृत व्यक्ति के सिवाय अन्य के साथ 'लघु अस्तित्व' की नई श्रेणी को शामिल किया गया।

वस्तुओं पर लागू डिजाइन पंजीकरण के आवेदनों को डिजाइन नियम, 2001 की तृतीय अनुसूची के अनुरूप वर्गीकृत किया जाता है जो मुख्यतः औद्योगिक डिजाइन हेतु अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण प्रणाली पर आधारित है जिसे लोकार्नो वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। भारत वर्तमान वर्ष के दौरान औपचारिक रूप से लोकार्नो प्रणाली का सदस्य देश बना।

1. दाखिल और पंजीकृत डिजाइन आवेदन:

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, डिजाइन पंजीकरण हेतु दाखिल किए गए आवेदनों की संख्या 14290 रही और 12256 डिजाइन पंजीकृत किए गए।

डिजाइन आवेदन दाखिल करने एवं उनके पंजीकरण की प्रवृत्ति नीचे प्रदर्शित की गयी है (परिशिष्ट ख भी):

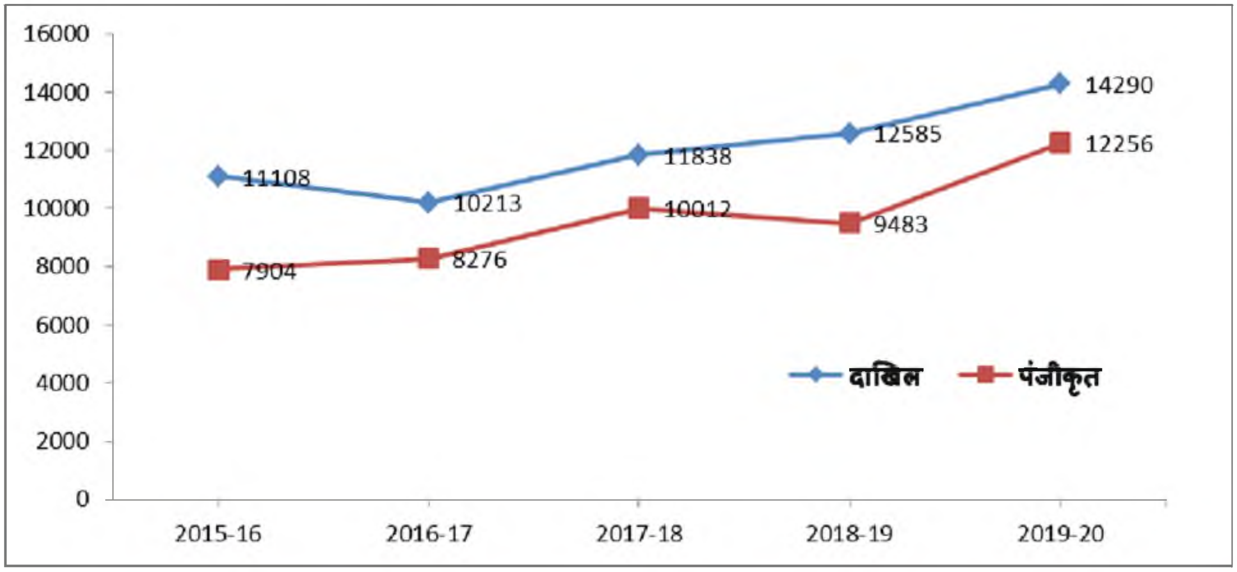

1.1. भारत एवं विदेशों से उद्गमित आवेदन:

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान भारत में उद्गमित आवेदनों की संख्या 9706 थी, जबकि 4584 डिजाइन आवेदन विदेशों से प्राप्त हुए। कुल दाखिल आवेदनों में से भारत से उद्गमित आवेदन लगभग 68% रहे।

भारतीय और विदेशी आवेदनों की प्रवृत्ति निम्नवत है (परिशिष्ठ ग भी) :

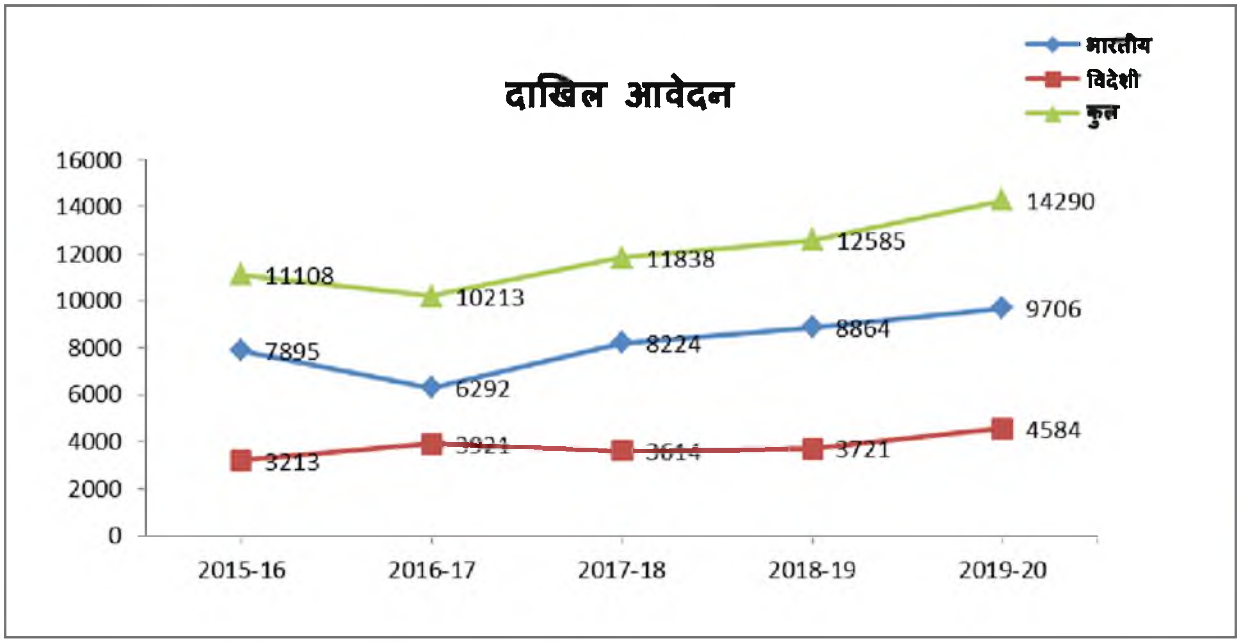

1.2. भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन:

वर्ष के दौरान भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की कुल संख्या में से, इस वर्ष भी 2298 आवेदनों के साथ महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर बना रहा। दिल्ली 1484 आवेदनों के साथ द्वितीय स्थान पर रहा जबकि 1305 आवेदनों के साथ गुजरात तीसरे स्थान पर रहा। राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार विवरण **परिशिष्ट घ** में प्रदर्शित किया गया है।

दाखिल करने वाले राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों का ग्राफीय वर्णन नीचे दिया गया है।

भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अनुसार)

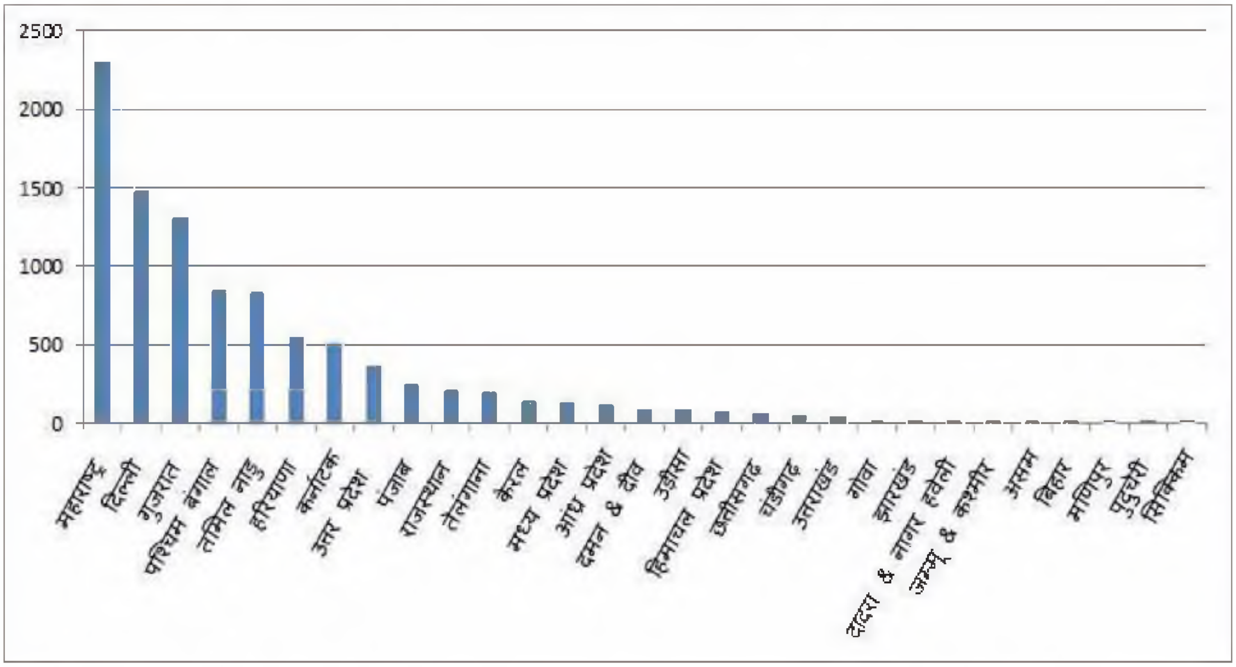

कुछ अग्रणी भारतीय आवेदक रहे - साब्यसाची कोट्यूर (571), रिलेक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड (216), सिद्धि विनायक नोट्स एंड प्रिंट्स प्र. लि. (210), बीबा अपारेल्स प्राइवेट लिमिटेड (204), हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड (167), इत्यादि।

1.3. विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन:

विदेशों से उद्गमित आवेदनों के संदर्भ में, यू.एस.ए. अधिकतम आवेदनों की संख्या (974) के साथ अग्रणी रहा जिसके बाद क्रमशः चीन (650), कोरिया गणराज्य (646), जापान (448), जर्मनी (274), फ्रांस (258) व यूनाइटिड किंगडम (246) का स्थान रहा। डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 44 के अंतर्गत पारस्परिक व्यवस्था के तहत 4584 आवेदनों ने पूर्विक्ता का दावा किया।

देश/क्षेत्र के अनुसार विवरण **परिशिष्ट ङ** में प्रदर्शित किया गया है।

विभिन्न देशों/क्षेत्रों द्वारा विदेशों से उद्गमित 4581 आवेदनों का ग्राफीय वर्णन नीचे दिया गया है।

विदेशी आवेदकों द्‌वारा दाखिल आवेदन

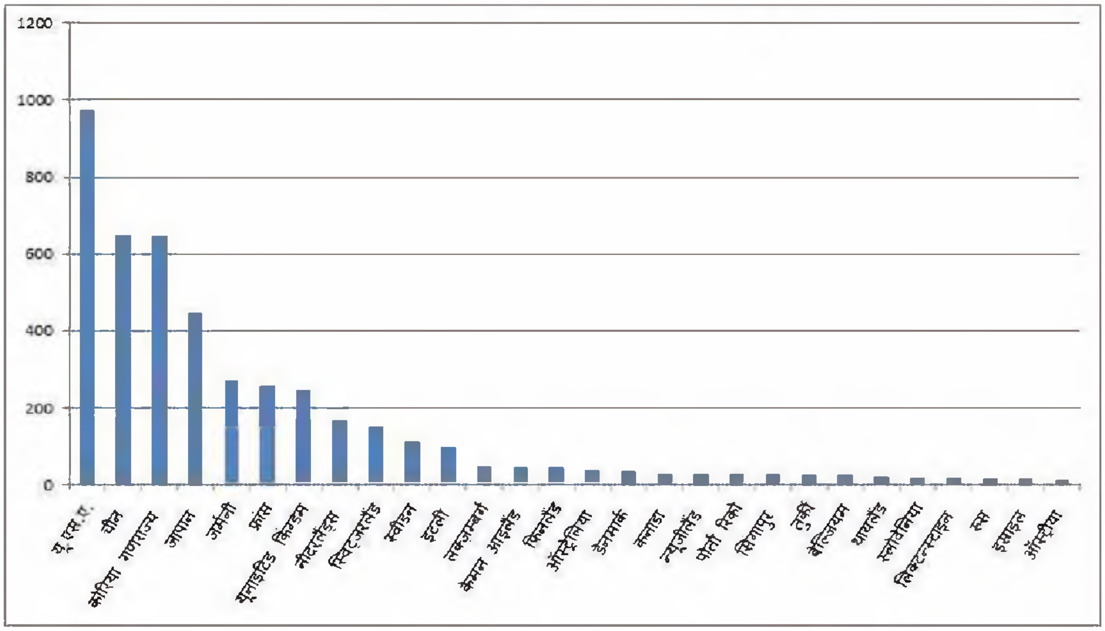

अग्रणी विदेशी आवेदक जिन्होंने डिजाइन आवेदन किए वे थे - सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कं. लि. (399), रेनॉल्ट एस.ए.एस. (184), बीजिंग शाओमि मोबाईल सॉफ्टवेअर कं. लिमिटेड (148), कोनिंकलिके फिलिप्स एन.वी. (121), आदि।

1.4. वर्गीकरण के अनुसार दाखिल डिजाइन आवेदन:

भारत से उद्‌गमित आवेदनों में से, 1275 आवेदन वर्ग 02 (वस्त्र वस्तु व बिसाती वस्तु) के अंतर्गत दाखिल किए गए जिसके बाद वर्ग 12 (यातायात या उत्तोलन के साधन) के अंतर्गत 1035, वर्ग 09 (पैकेज या कंटेनर) के अंतर्गत 917 थे। दूसरी तरफ, प्रतिवेदन वर्ष के दौरान विदेशों से उद्‌गमित आवेदनों की वर्गानुसार प्रवृत्ति ये है: - वर्ग 14 (रिकॉर्डिंग, संचार या संचार प्राप्ति उपकरण) के अंतर्गत 853, वर्ग 12 (यातायात या उत्तोलन के साधन) के अंतर्गत 539, वर्ग 23 (द्रव वितरण उपकरण आदि) के अंतर्गत 346, वर्ग 24 (चिकित्सा और प्रयोगशाला उपकरण) के अंतर्गत 301 तथा वर्ग 09 (पैकेज या कंटेनर) के अंतर्गत 282। शेष आवेदन अन्य वर्गों में दाखिल किए गए।

भारतीय और विदेशी आवेदकों की ओर से दाखिल आवेदनों की वर्गानुसार प्रवृत्ति नीचे प्रदर्शित की गई है:

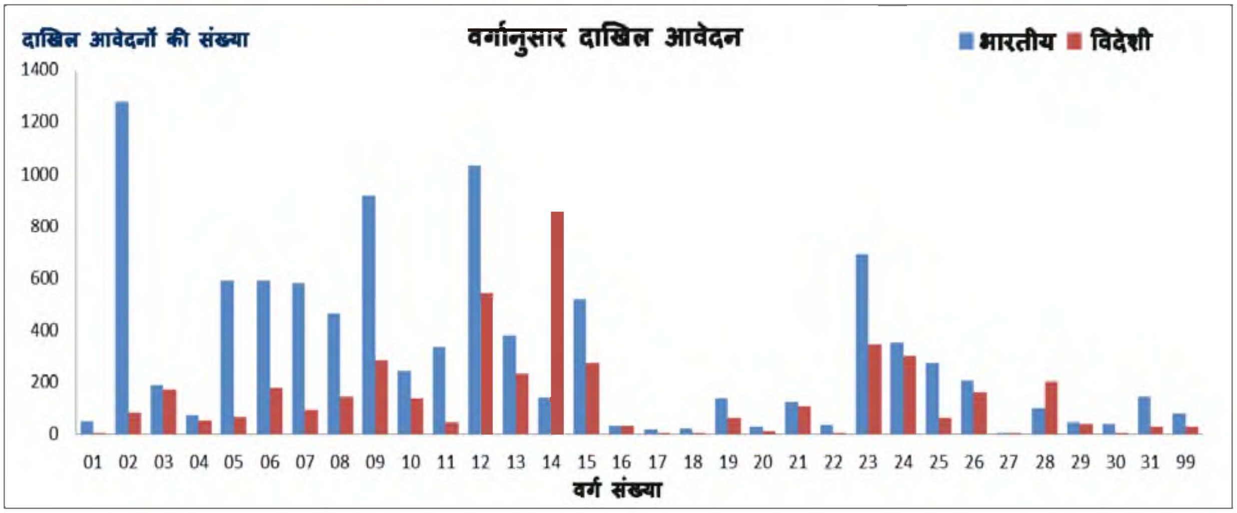

वर्गानुसार दाखिल आवेदन

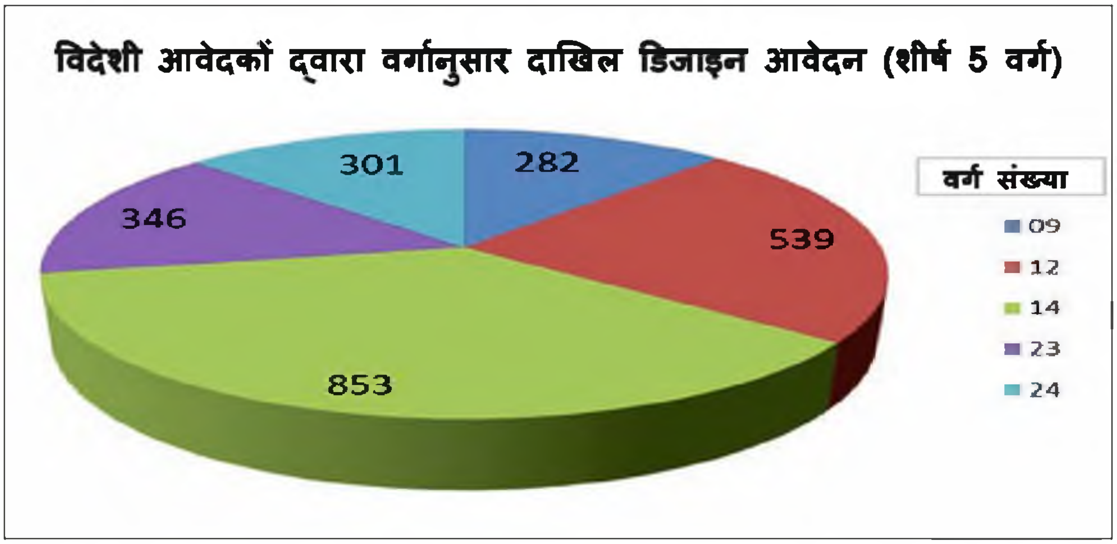

विदेशी आवेदकों द्वारा वर्गानुसार दाखिल डिजाइन आवेदन (शीर्ष 5 वर्ग)

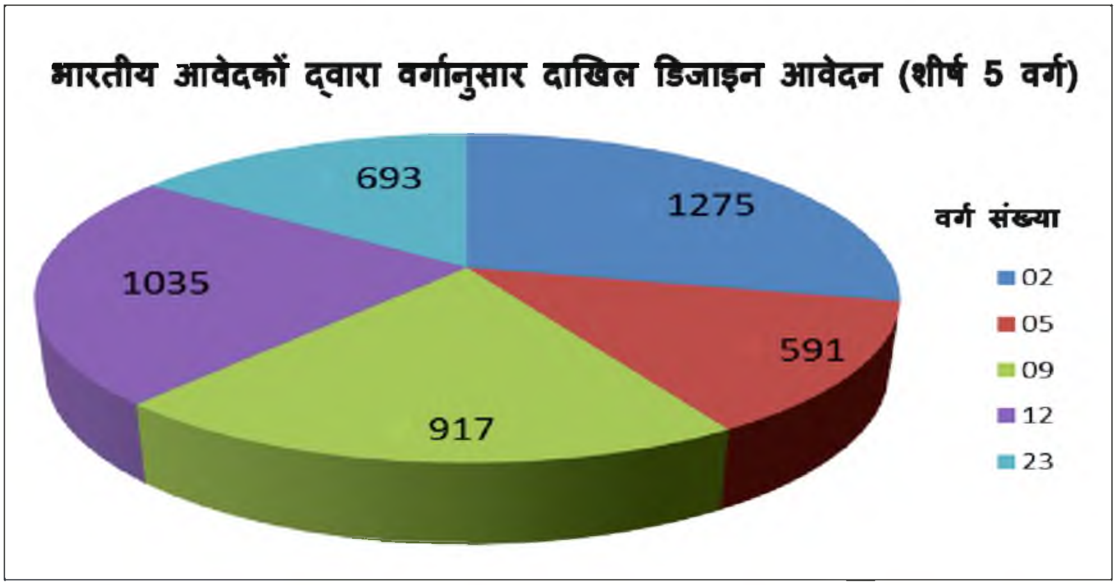

भारतीय आवेदकों द्वारा वर्गानुसार दाखिल डिजाइन आवेदन (शीर्ष 5 वर्ग)

2. पंजीकृत डिजाइन आवेदन:

2.1. भारत व विदेशी उद्गम द्वारा डिजाइन पंजीकरण:

कुल पंजीकृत 12256 डिजाइन में से, 8447 पंजीकृत डिजाइन भारत से उद्गमित थे तथा 3809 विदेशों से उद्गमित थे।

भारत व विदेशों से उद्गमित पंजीकरणों की प्रवृत्ति नीचे दर्शाई गयी है:

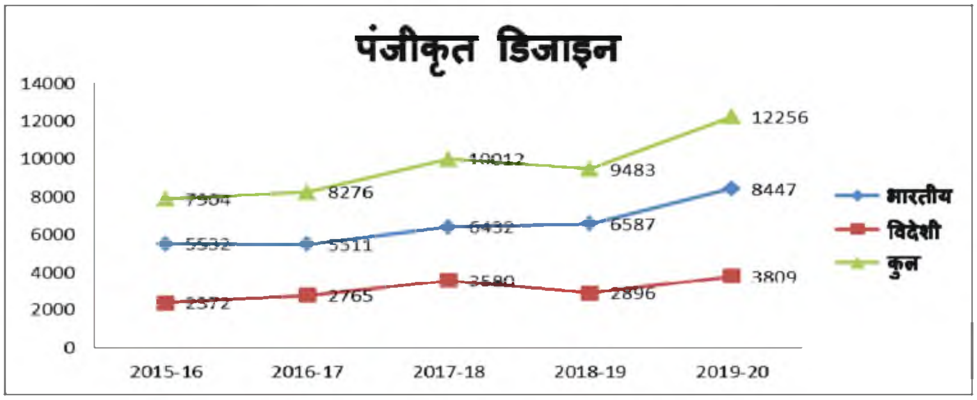

वर्ष के दौरान, भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की कुल संख्या में, इस वर्ष भी 2018 आवेदनों के साथ महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर बना रहा। दिल्ली 1334 आवेदनों के साथ द्वितीय स्थान पर रहा जबकि गुजरात 1180 आवेदनों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार विवरण **परिशिष्ट च** में प्रदर्शित किया गया है। राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों का ग्राफीय वर्णन नीचे दिया गया है।

2.2. भारतीय उद्गम द्वारा डिजाइन पंजीकरण:

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार - पंजीकृत डिजाइन

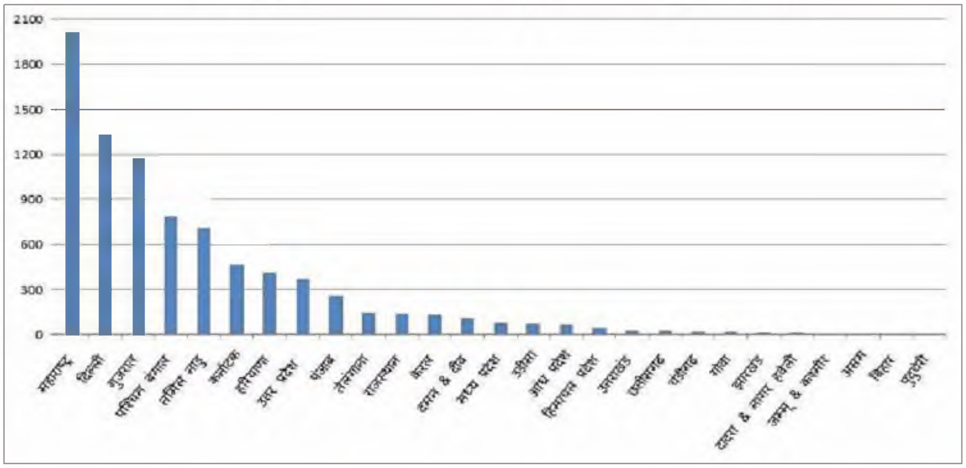

और, डिजाइन पंजीकरण वाले प्रमुख भारतीय आवेदक के नाम हैं- साब्यसाची कोट्यूर (499), सिद्धि विनायक नोट्स एंड प्रिंट्स प्र. लि. (263), रिलेक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड (181), गोदरेज़ & बोएस मेन्यूफ़ेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (179), आदि।

2.3 विदेशी उद्गम द्वारा डिजाइन पंजीकरण:

विदेशों से उद्गमित आवेदनों के संदर्भ में यू.एस.ए. अधिकतम आवेदनों की संख्या (937) के साथ अग्रणी रहा जिसके बाद क्रमश: जापान (468), कोरिया गणराज्य (388) तथा चीन (388) का स्थान रहा। विदेशों से उद्गमित 3809 आवेदनों में से विभिन्न देशों/क्षेत्रों के पंजीकृत डिजाइन का ग्राफीय वर्णन नीचे दर्शाया गया है। देश/ क्षेत्र के अनुसार विवरण **परिशिष्ट ङ** में प्रदर्शित किया गया है।

पंजीकृत डिजाइन - देश/क्षेत्र अनुसार

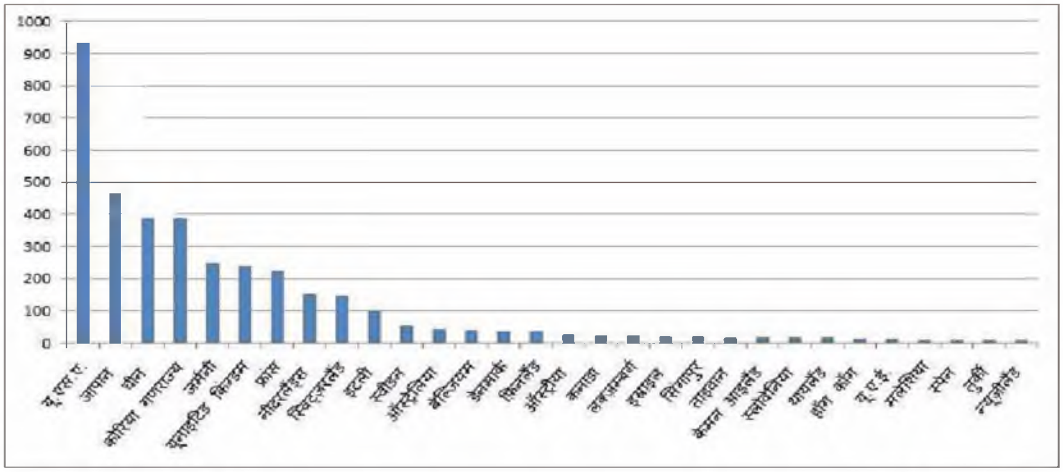

अग्रणी विदेशी आवेदक जिन्होंने डिजाइन आवेदन पंजीकृत किए वे थे - सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कं. लि. (218), रेनॉल्ट एस.ए.एस. (123), तथा कोनिंकलिके फिलिप्स एन.वी. (95)।

3. वर्गीकरण के अनुसार पंजीकृत डिजाइन आवेदन:

भारतीय उद्गम के पंजीकृत डिजाइन के वर्गानुसार वितरण में वर्ग 02 (वस्त्र वस्तु व बिसाती वस्तु) के अंतर्गत 1146, वर्ग 09 (माल के परिवहन और उसकी उठाई-धराई के लिए पैकेज और आधान) के अंतर्गत 861 तथा वर्ग 12 (परिवहन या उत्तोलन के साधन) के अंतर्गत 857 हैं। जबकि, विदेशी उद्गम के संदर्भ में पंजीकृत डिजाइन के वर्गानुसार वितरण में वर्ग 14 (रिकॉर्डिंग, संचार या संचार प्राप्ति उपकरण के अंतर्गत 529, वर्ग 12 (परिवहन या उत्तोलन के साधन) के अंतर्गत 473, वर्ग 23 (तरल वितरण उपस्कर) के अंतर्गत 307 तथा वर्ग 24 (चिकित्सा और प्रयोगशाला उपकरण) के अंतर्गत 305

हैं। भारतीय उद्गम के साथ साथ विदेशी आवेदनों के पंजीकरण का वर्गानुसार वितरण नीचे प्रदर्शित किया गया है:

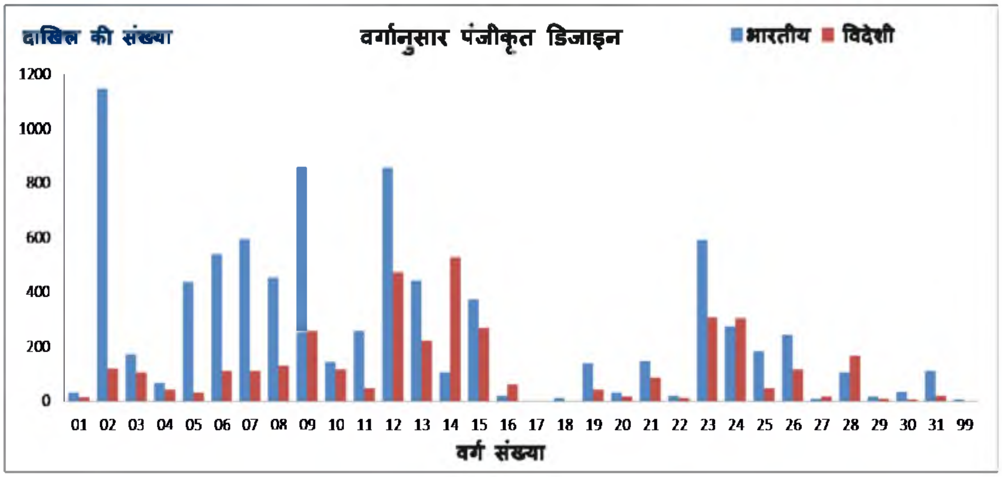

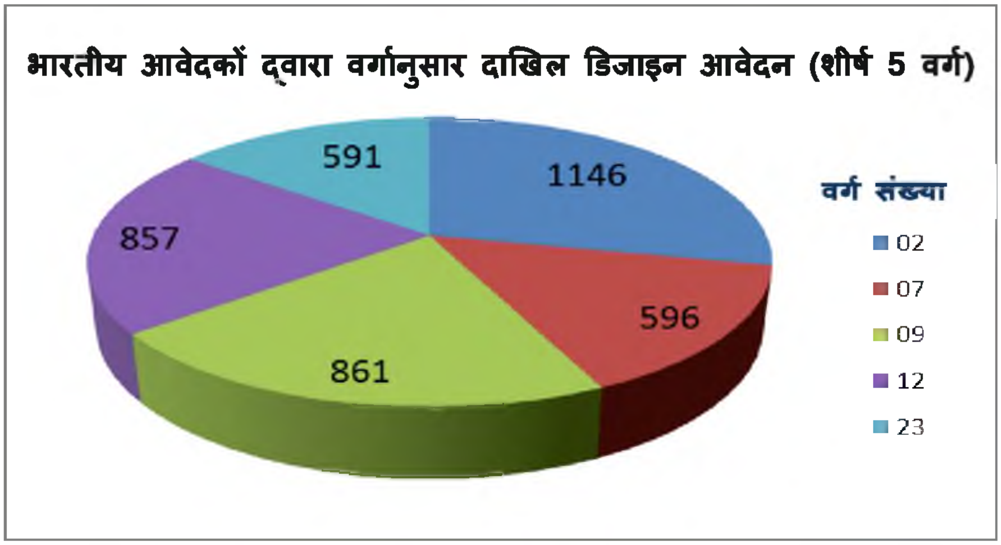

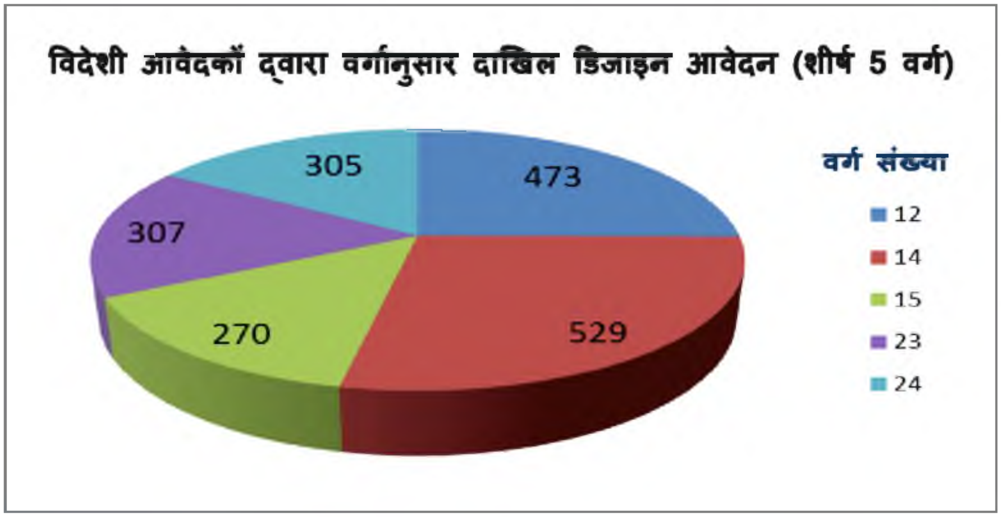

4. डिजाइन आवेदनों का परीक्षण:

प्रतिवेदन अवधि के दौरान, डिज़ाइन के पंजीकरण हेतु कुल 13642 आवेदनों का परीक्षण किया गया जिनमें से 10599 आवेदनों की प्रथम परीक्षण रिपोर्ट (एफ़ईआर) भेजने की आवश्यकता थी। वर्ष के दौरान पंजीकृत डिजाइन की संख्या 12256 रही। पंजीकरण के अलावा, 1806 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया तथा 621 आवेदन परित्यक्त किए गए।

5. प्रतिलिप्यधिकार विस्तार [धारा 11(2) के तहत]:

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, पंजीकृत डिजाइन में प्रतिलिप्यधिकार विस्तार के लिए 1779 आवेदन प्राप्त किए गए। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान 1400 पंजीकृत डिजाइन का आगामी 5 वर्षों के लिए नवीकरण किया गया। शेष मामलों पर कार्यवाही प्रारंभ की गई है। वर्ष के दौरान डिजाइन के प्रत्यावर्तन के लिए 80 आवेदन दाखिल किए गए जिनमें से 56 आवेदनों का प्रत्यावर्तन कर दिया गया।

6. विविध कार्यवाहियाँ:

(क) **पंजीकृत डिजाइन का निरस्तीकरण [धारा 19 के तहत]:** वर्ष के दौरान, पंजीकृत डिजाइन के निरस्तीकरण के लिए 102 आवेदन दाखिल हुए। 105 निर्णय जारी किए गए जिनमें से 32 मामलों पर, याचिका अनुमत की गई और 73 मामलों पर, याचिका खारिज कर दी गईं।

(ख) **जनता द्वारा निरीक्षण [नियम 38 के तहत]:** पंजीकृत डिजाइन आवेदनों के निरीक्षण हेतु 96 याचिका प्राप्त की गईं।

(ग) **नाम और पते आदि में परिवर्तन [नियम 31 के तहत]:** वर्ष के दौरान नाम, पते एवं सेवार्थ पते में परिवर्तन हेतु 1059 अनुरोध प्राप्त हुए, जिनमें से 872 मामलों का निपटान कर आदेश जारी किया गया। शेष मामलों पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

(घ) **धारा 30 के तहत समनुदेशन:** प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, 883 समनुदेशन के आवेदन दाखिल हुए, जिनमें से 632 का निपटान किया गया व आदेश जारी किए गए। शेष मामलों पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

(ङ) **खोज सूचना [धारा 18 के तहत]:** प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, धारा 18 के तहत 199 मामले दाखिल किए गए व सभी का निपटान किया गया।

(च) **लिपिकीय त्रुटि का परिमार्जन [नियम 29 के तहत]:** प्रतिवेदन वर्ष के दौरान लिपिकीय त्रुटि के

परिमार्जन हेतु 54 अनुरोध प्राप्त हुए और सभी का निपटान कर दिया गया।

(छ) **नियम 41 तथा धारा 17 (2) के तहत सत्यापित प्रतियां:** वर्ष के दौरान, 636 अनुरोध दाखिल किए गए व वर्ष के दौरान सभी का निपटान कर दिया गया।

7. प्रवृत्त डिजाइन:

प्रतिवेदन वर्ष के अंत तक प्रवृत पंजीकृत डिजाइन की संख्या 88152 रही।

8. राजस्व

वर्ष के दौरान, डिजाइन अधिनियम 2000 और नियमों के तहत डिजाइन आवेदनों तथा अन्य कार्यवाहियों के संबंध में रु. **69000400** का कुल राजस्व अर्जित हुआ (परिशिष्ट क):

परिशिष्ठ- क

वर्ष 2019-20 के दौरान अर्जित राजस्व

2019-20 के दौरान अर्जित राजस्व			
प्रलेखों का विवरण•	**संख्या**	**शुल्क (रु.)**	**राशि (रु.)**
डिजाइन अधिनियम, 2000 धारा 5 एवं 44 के तहत डिजाइन पंजीकरण हेतु आवेदन (दिल्ली, मुंबई एवं चेन्नई पेटेंट कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों सहित)	14290	1000, 2000, 4000	44024000
धारा 11(2) के तहत प्रतिलिप्यधिकार के विस्तार हेतु आवेदन	1779	2000, 4000, 8000	13966800
धारा 12(2) के तहत व्यपगत डिजाइन का प्रत्यावर्तन	80	1000, 2000, 4000	487000
धारा 30 व 31 के तहत समनुदेशन	883	500,200 1000,400 2000,800	948600
धारा 19 के तहत डिजाइन का निरस्तीकरण	102	1500 3000, 6000	427500

धारा 26 और 17(2) के तहत सत्यापित प्रति	636	500, 1000, 2000	1294,000
डिजाइन अधिनियम, 2000 व डिजाइन नियम 2001 के तहत अन्य विविध शुल्क; दिल्ली, मुंबई एवं चेन्नई पेटेंट कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों सहित)		प्रथम अनुसूची के अनुसार	7852500
कुल योग			**69000400**

परिशिष्ट- ख

दाखिल एवं पंजीकृत आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	दाखिल	पंजीकृत
2015-16	11108	7904
2016-17	10213	8276
2017-18	11838	10012
2018-19	12585	9483
2019-20	**14290**	**12256**

परिशिष्ट- ग

दाखिल एवं पंजीकृत आवेदनों की उद्गम के अनुसार प्रवृत्ति

वर्ष	**दाखिल**		**पंजीकृत**	
	भारतीय	**विदेशी**	**भारतीय**	**विदेशी**
2015-16	7895	3213	5532	2372
2016-17	6292	3921	5511	2765
2017-18	8224	3614	6432	3580
2018-19	8864	3721	6587	2896
2019-20	**9706**	**4584**	**8447**	**3809**

परिशिष्ट - घ

दाखिल डिजाइन आवेदन - राज्या/केंद्र शासित प्रदेश अनुसार

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	**आवेदनों की संख्या**
आंध्र प्रदेश	119
असम	4
बिहार	4
चंडीगढ़	51

छत्तीसगढ़	58
दादरा & नागर हवेली	16
दमन & दीव	83
दिल्ली	1484
गोवा	21
गुजरात	1305
हरियाणा	545
हिमाचल प्रदेश	74
जम्मू & कश्मीर	8
झारखंड	19
कर्नाटक	507
केरल	145
मध्य प्रदेश	127
महाराष्ट्र	2298
मणिपुर	4
उड़ीसा	80
पुदुचेरी	3
पंजाब	244
राजस्थान	208
सिक्किम	2
तमिल नाडु	836
तेलंगाना	204
उत्तर प्रदेश	367
उत्तराखंड	43
पश्चिम बंगाल	847
योग	**9706**

परिशिष्ट - ङ

दाखिल विदेशी डिजाइन आवेदन - देश/क्षेत्र वार

देश/क्षेत्र	**आवेदनों की संख्या**
अफ़ग़ानिस्तान	1
ऑस्ट्रेलिया	38
ऑस्ट्रीया	10
बांग्लादेश	1
बारबाडोस	4
बेल्जियम	24
बेलारुस	2

ब्राज़ील	1
ब्रिटिश आइल्स	2
कनाडा	29
केमन आइलैंड	45
चीन	650
चेक गणराज्य	2
डेनमार्क	36
इस्टोनिया	1
फ़िनलैंड	44
फ्रांस	258
जर्मनी	274
ग्रीस	4
गर्नसी	6
हाँग काँग	7
हंगरी	1
आयरलैंड	4
आइल ऑफ मैन	6
इस्राइल	14
इटली	96
जमैका	1
जापान	448
लिक्टन्स्टाइन	18
लक्ज़म्बर्ग	48
मलेशिया	9
मेक्सिको	7
मोनाको	1
म्यांमार	1
नीदरलैंड्स	170
न्यूज़ीलैंड	28
नॉर्वे	3
पेरु	1
फिलीपींस	1
पोलैंड	3
पुर्तगाल	1
पोर्तो रिको	28
कोरिया गणराज्य	646
रूस	15

सिंगापुर	28
स्लोवेनिया	19
दक्षिण अफ्रीका	4
स्पेन	6
श्री लंका	2
स्वीडन	113
स्विट्ज़रलैंड	150
ताइवान	4
थायलैंड	22
तुर्की	25
यू.ए.ई.	1
यूक्रेन	1
यूनाइटिड किंग्डम	246
यू.एस.ए.	974
कुल	**4584**

परिशिष्ट - च

डिजाइन का पंजीकरण - राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	**आवेदनों की संख्या**
आंध्र प्रदेश	67
असम	6
बिहार	5
चंडीगढ़	20
छत्तीसगढ़	24
दादरा & नागर हवेली	12
दमन & दीव	109
दिल्ली	1334
गोवा	17
गुजरात	1180
हरियाणा	414
हिमाचल प्रदेश	46
जम्मू & कश्मीर	8
झारखंड	13
कर्नाटक	463
केरल	131
मध्य प्रदेश	80
महाराष्ट्र	2018

उड़ीसा	70
पुदुचेरी	2
पंजाब	253
राजस्थान	139
तमिल नाडु	708
तेलंगाना	145
उत्तर प्रदेश	374
उत्तराखंड	28
पश्चिम बंगाल	781
योग	**8447**

परिशिष्ट - छ

डिजाइन का पंजीकरण - देश/क्षेत्र वार

देश/क्षेत्र	**आवेदनों की संख्या**
अफ़गानिस्तान	2
ऑस्ट्रेलिया	45
ऑस्ट्रीया	29
बाहरीन	1
बेल्जियम	40
ब्राज़ील	1
ब्रिटिश वर्जीनिया	4
कनाडा	25
केमन आइलैंड	16
चीन	388
डेनमार्क	37
फ़िनलैंड	36
फ्रांस	225
जर्मनी	249
ग्रीस	1
हाँग काँग	15
हंगरी	1
आयरलैंड	1
आइल ऑफ मैन	4
इस्राइल	22
इटली	99
जापान	468
लेबनान	1

लिथुआनिया	1
लक्ज़म्बर्ग	25
मलेशिया	11
नीदरलैंड्स	152
न्यूज़ीलैंड	10
नॉर्वे	4
पोलैंड	2
पुर्तगाल	2
कतर	2
कोरिया गणराज्य	388
रोमानिया	1
रूस	3
सिंगापुर	21
स्लोवाकिया	3
स्लोवेनिया	16
दक्षिण अफ्रीका	5
स्पेन	11
श्री लंका	3
स्वीडन	55
स्विट्ज़रलैंड	147
ताइवान	17
थायलैंड	16
तुर्की	11
यू.ए.ई.	14
यूक्रेन	1
यूनाइटिड किंग्डम	237
यू.एस.ए.	937
वियतनाम	4
कुल	**3809**

अध्याय-VI

व्यापार चिह्न

यह अध्याय व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 149 के तहत व्यापार चिह्न रजिस्ट्री द्वारा निष्पादित गतिविधियों से संबंधित 61वाँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

व्यापार चिह्न अधिनियम का उद्देश्य देश में वाणिज्य वस्तु पर नकली व्यापार चिह्न के उपयोग को रोकने के लिए वस्तुओं व सेवाओं के व्यापार चिह्न का पंजीकरण व उन्हें संरक्षण प्रदान करना है। व्यापार चिह्न का पंजीकरण पंजीकृत स्वत्वधारी को कतिपय सांविधिक अधिकार प्रदान करता है, जो उसे व्यापार चिह्न के अतिलंघन करने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हेतु सक्षम बनाता है। यह उन सामान्य विधिक अधिकार के अतिरिक्त है जहां पासिंग ऑफ के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है।

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 तथा व्यापार चिह्न नियम, 2002, 15 सितंबर, 2003 से प्रभावी हुए। व्यापार चिह्न नियम, 2002 को 6 मार्च 2017 से व्यापार चिह्न नियम 2017 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

रजिस्ट्री का मुख्यालय मुंबई में है तथा इसकी शाखाएं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में स्थित हैं।

देश में बौद्धिक सम्पदा अधिकार के विषय में सामान्य रूप से तथा व्यापार चिह्न के संबंध में विशेष रूप से बढ़ती जागरुकता के कारण व्यापार चिह्न रजिस्ट्री (टीएमआर) की गतिविधि तथा उत्तरदायित्व में लगातार वृद्धि हो रही है। व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन और व्यापार चिह्न के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के लिए मैड्रिड प्रोटोकॉल से भारत के संबद्ध होने के बाद सेवा चिह्न, सुविख्यात चिह्न, सामूहिक चिह्न की संरक्षा तथा बहुवर्ग (मल्टी-क्लास) आवेदनों हेतु प्रावधान इत्यादि को शामिल किए जाने से इस भूमिका में और बढ़ोतरी हुई है।

1. 2019-20 के दौरान गतिविधियों की प्रवृत्ति:

वर्ष 2019-20 के दौरान व्यापार चिह्न रजिस्ट्री द्वारा की गई विविध गतिविधियों संबंधी जानकारी निम्नलिखित सारणी में प्रदान की गई है। आवेदन दाखिल करने की प्रवृत्ति यह इंगित

करती है कि इस वर्ष दाखिल आवेदनों की संख्या 323798 से बढ़ कर 334805 हो गयी, परंतु व्यापार चिह्न का पंजीकरण 316798 से घट कर 294172 हो गया क्योंकि मार्च में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का कार्य कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुआ। दाखिल, परीक्षित एवं पंजीकृत आवेदनों की संख्या के संबंध में गतिविधियों का विवरण परिशिष्ट- I में दिया गया है।

क्रम संख्या	गतिविधियाँ	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1.	पंजीकरण के लिए दाखिल किए गए आवेदन	283060	278170	272974	323798	**334805**
2.	व्यापार चिह्न जर्नल में विज्ञापित आवेदनों की संख्या	117408	333673	423030	396063	**378147**
3.	पंजीकृत व्यापार चिह्न की संख्या	65045	250070	300913	316798	**294172**
4.	पंजीकरण के अतिरिक्त अन्यथा रूप में (अर्थात अस्वीकृति, परित्याग और आहरण द्वारा) निष्पादित उत्तर-परीक्षण आवेदनों की संख्या	51122	40374	254864	202387	**125394**
5.	पंजीकरण का नवीकरण किए जाने वाले चिह्नों की संख्या	58160	56270	64661	62497	**70583**
6.	पंजीकृत व्यापार चिह्न (समनुदेशन सहित) में पंजीकरण के बाद किए गए परिवर्तनों की प्रविष्टि हेतु निष्पादित अनुरोधों की संख्या	11075	13094	73764	47251	**32596**
7.	प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम,1983 की धारा 45(1) के तहत जारी प्रमाण पत्र	8185	9169	1605	2760	**7362**

2. व्यापार चिह्न आवेदन दाखिल करने की प्रवृत्ति:

2019-20 के दौरान, भारत में व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए दाखिल किए जा रहे आवेदनों की प्रवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 2019-20 में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में दाखिल आवेदनों की संख्या 2018-19 के 323798 से बढ़ कर **334805** हो गयी है तथा विदेशियों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या भी 2018-19 के 13682 से बढ़ कर 2019-20 में 13865 हो गयी है।

और, वर्ष **2019-20** के दौरान, मैड्रिड प्रणाली के तहत विदेशी आवेदकों के **14001** अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण व्यापार चिह्न के संरक्षण हेतु भारत में नामित किए गए। इन अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों का परीक्षण किया गया और इन पर राष्ट्रीय आवेदनों के रूप में आगे की कार्यवाही की गयी।

i. 2015-16 से 2019-20 के दौरान दाखिल आवेदनों की प्रवृत्ति:

वर्ष	भारतीय आवेदक	विदेशी आवेदक	कुल
2015-16	267390	15670	283060
2016-17	266730	11440	278170
2017-18	247734	25240	272974
2018-19	310116	13682	323798
2019-20	**320940**	**13865**	**334805**

ii. भारतीयों द्वारा दाखिल व्यापार चिह्न आवेदन - राज्यानुसार:

वर्ष के दौरान, भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की कुल संख्या 320940 में से 68750 आवेदनों के साथ महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा। दिल्ली 62720 आवेदनों के साथ द्वितीय स्थान पर रहा जबकि 30032 आवेदनों के साथ गुजरात तीसरे स्थान पर रहा। विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से आवेदकों से प्राप्त आवेदनों की संख्या के साथ ग्राफीय वर्णन नीचे प्रदर्शित किया गया है:

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	आवेदनों की संख्या
अंडमान व निकोबार	31
आंध्र प्रदेश	4386

अरुणाचल प्रदेश	26
असम	1312
बिहार	3539
चंडीगढ़	2175
छत्तीसगढ़	2382
दादरा व नागर हवेली	93
दमन व दीव	111
दिल्ली	60720
गोवा	726
गुजरात	26167
हरियाणा	17170
हिमाचल प्रदेश	1330
जम्मू व कश्मीर	1269
झारखंड	1363
कर्नाटक	18063
केरल	10205
लक्षद्वीप	1
मध्य प्रदेश	9727
महाराष्ट्र	65750
मणिपुर	117
मेघालय	56
मिज़ोरम	41
नागालैंड	28
उड़ीसा	1873
पॉण्डिचेरी	230
पंजाब	11440
राजस्थान	13328
सिक्किम	68
राज्य निर्दिष्ट नहीं	65
तमिल नाडु	19276
तेलंगाना	11780
त्रिपुरा	93
उत्तर प्रदेश	22506
उत्तराखंड	2494
पश्चिम बंगाल	10999
कुल	320940

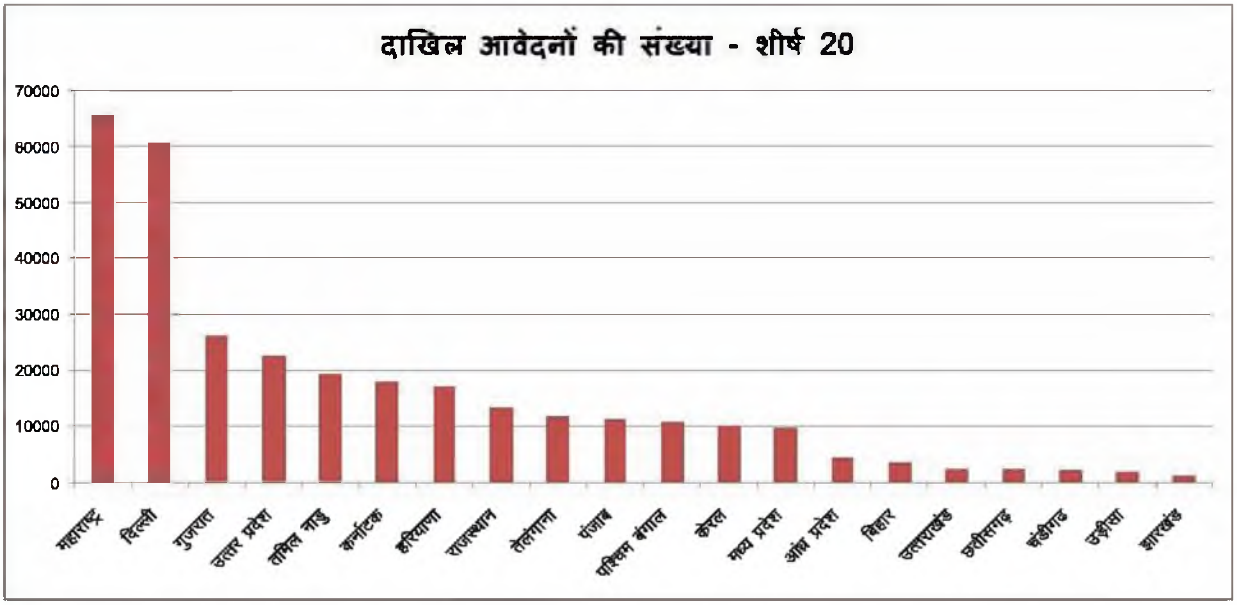

iii. विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन:

वर्ष के दौरान विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या **13865** रही। शीर्ष 20 विदेशी देशों द्वारा दाखिल किए **गए** आवेदनों की संख्या निम्न तालिका में प्रदान की गई है और साथ ही ग्राफीय वर्णन भी नीचे दिया गया है:

आवेदन दाखिल करने वाले शीर्ष 20 विदेशी देश

देश का नाम	दाखिल आवेदनों की संख्या
संयुक्त राज्य अमरीका	3968
चीन	2984
यूनाइटिड किंगडम	598
कोरिया गणराज्य	512
सिंगापुर	469
संयुक्त अरब अमीरात	467
जर्मनी	457
जापान	453
हाँग काँग	365
स्विट्ज़रलैंड	359
ताइवान, प्रोविन्स ऑफ चाइना	334
केमन आइलैंड	255
कनाडा	207
फ्रांस	200

ऑस्ट्रेलिया	173
थाईलैंड	159
इटली	155
नीदरलैंड	143
आयरलैंड	124
मलेशिया	109
कुल	12491

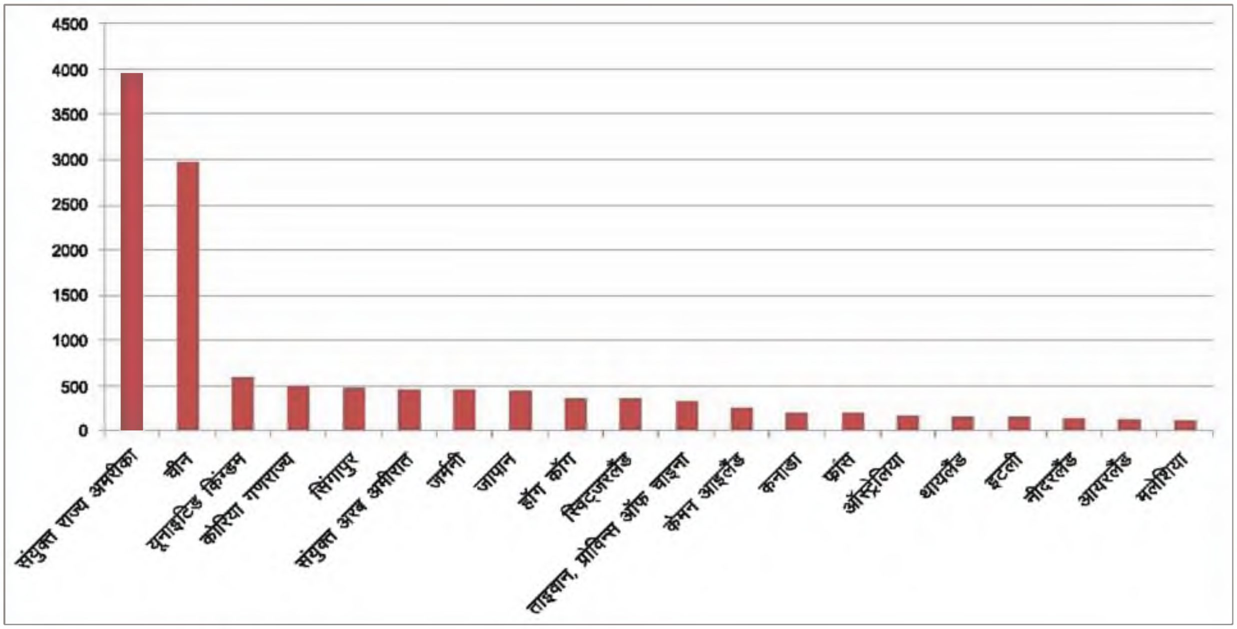

iv. वर्गानुसार दाखिल किए गए आवेदनों की प्रवृत्ति:

वर्ष 2019-20 के दौरान दाखिल किए गए व्यापार चिह्न आवेदनों की वर्गानुसार प्रवृत्ति निम्न प्रदत्त सारणी में दर्शायी गई है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी सबसे ज्यादा आवेदन वर्ग 5 के अंतर्गत की वस्तुओं (औषधीय, भेषजीय, पशु चिकित्सीय तथा आरोग्यकारक पदार्थों आदि) के लिए प्राप्त हुए है।

वे वर्ग जिनमें आवेदन दाखिल किए गए थे उनके % भाग के साथ उनका विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ग	**वस्तुओं/सेवाओं का विवरण**	**आवेदनों की संख्या**	**% भाग**
1	उद्योग, विज्ञान, फोटोग्राफी, कृषि, उद्यान-कृषि, वानिकी, खाद आदि में उपयोग में लाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ	**4840**	1.39
2	पेंट और वार्निश	**1699**	0.49
3	सुगंधित पदार्थ, अंगराग आदि	**15322**	4.41

4	औद्योगिक तेल और चिकनाइयाँ (खाद्य तेल के अलावा) आदि	1767	0.51
5	औषधीय, भेषजीय, पशु चिकित्सीय और आरोग्यकारक पदार्थ आदि	52495	15.12
6	अन-रॉट और अंशत: रॉट सामान्य धातु एवं उनके मिश्र धातु आदि	4667	1.34
7	मशीन और मशीनी औजार, मोटरें, आदि	7287	2.10
8	हाथ से काम करने के औजार और उपकरण आदि	1564	0.45
9	वैज्ञानिक, नाविक, सर्वे, वैद्युत उपकरण आदि	21353	6.15
10	शाल्यिक, औषधीय, दंत और पशुचिकित्सा उपकरण और यंत्र आदि	3533	1.02
11	प्रकाशन साधित्र, तापक, वाष्पजनक आदि	8594	2.48
12	वाहन और उनके पूर्जे, यंत्र, भूमि पर, व्योम में अथवा जल पर चलने के लिए यंत्र आदि	3842	1.11
13	अग्न्यास्त्र, गोला बारूद और क्षेपित्र आदि	258	0.07
14	बहुमूल्य वस्तुएं और उनकी मिश्र धातु आदि	4479	1.29
15	संगीत के यंत्र (बोलने वाली मशीन और वायरलेस उपकरण के अतिरिक्त)	311	0.09
16	कागज और कागज की वस्तुएं, लेखन सामग्री, छपी सामग्री आदि	6395	1.84
17	गट्टा पर्चा, भारतीय रबर आदि	3009	0.87
18	चमड़े और कृत्रिम चमड़े आदि	3851	1.11
19	भवन निर्माण सामग्रियां आदि	5440	1.57
20	फर्नीचर, आईने आदि	4933	1.42
21	छोटे घरेलू बर्तन आदि	5240	1.51
22	रस्सी, सुतली आदि	743	0.21
23	सूत और धागे	498	0.14
24	टिशू (खंडित वस्तुएं) आदि	4154	1.20
25	बूट, जूते और स्लीपर सहित पहनने की वस्तुएं	24458	7.05
26	गोटा और कसीदा, फीता और चोटी आदि	886	0.26
27	गलीचे, लोई, चटाइयां आदि	781	0.23
28	खेल और खेलने की चीजें आदि	2962	0.85
29	मांस, मछली, मुर्गी पालन आदि	9483	2.73
30	कॉफी, चाय, कोको आदि	17721	5.11
31	कृषि, बागवानी और वन्य उत्पाद और अनाज जो अन्य वर्गों के अंतर्गत नहीं है	5170	1.49

32	बीयर, एल और पोर्ट, खनिज और वाति जल और अन्य अमद्यसारिक पेय जो अन्य वर्गों के अंतर्गत नहीं है	**5421**	1.56
33	वाइन स्प्रिट और मद्य पेय	**1678**	0.48
34	तम्बाकू, कच्चा या निर्मित, धूम्रपान करने वालों के लिए चीजें, दियासलाइयाँ	**2715**	0.78
35	विज्ञापन, कारोबार प्रबन्ध, कारोबार प्रशासन, कार्यालय कृत्य	**35324**	10.18
36	बीमा वितीय कार्य, आर्थिक कार्य, सम्पदा कार्य	**5842**	1.68
37	भवन निर्माण, मरम्मत, संस्थापन सेवाएं	**4898**	1.41
38	दूरसंचार	**3819**	1.10
39	यातायात, माल की पैकिंग और भंडारण, यात्रा इंतजाम	**4492**	1.29
40	सामग्री का बहिस्त्राव	**1526**	0.44
41	शिक्षा, प्रशिक्षण देना, मनोरंजन, क्रीडा और सांस्कृतिक क्रियाकलाप	**19549**	5.63
42	वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाओं तथा उससे संबंधित शोध और अभिकल्प, औद्योगिक विश्लेषण और शोध सेवाएं, कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का डिजाइन और विकास	**11215**	3.23
43	खाद्य और पेय हेतु सेवाएं; अस्थायी निवास	**12761**	3.68
44	चिकित्सा सेवाएं; पशुचिकित्सा सेवाएं; मानव या पशुओं के लिए स्वच्छता और सौन्दर्य देखभाल; कृषि, वागवानी तथा वन्य सेवाएं,	**6339**	1.83
45	विधिक सेवाएं; सम्पत्ति और व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा सेवाएं; व्यक्तियों की आवश्यकता पूर्ति के लिए अन्य लोगों द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाएं	**3787**	1.09

टिप्पणी: *बहुवर्ग आवेदन दाखिल करने का प्रावधान है क्योंकि एक से अधिक वर्ग की वस्तु तथा सेवाओं को एक ही आवेदन में उल्लिखित किया जा सकता है। उपरोक्त जानकारी के उद्देश्य से, वर्गानुसार आवेदनों के संबंध में, बहु-वर्गीय आवेदनों में प्रत्येक वर्ग पर पृथक रूप से विचार किया जाता है।*

v. शाखानुसार दाखिल किए गए आवेदनों की प्रवृत्ति:

वर्ष 2019-20 के दौरान, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की दिल्ली शाखा में अधिकतम संख्या में आवेदन **(124277)** दाखिल किए गए जिसके बाद क्रमश: मुंबई **(80441)**, चेन्नई **(66239)**, अहमदाबाद **(43776)** एवं कोलकाता **(20072)** का स्थान आता है।

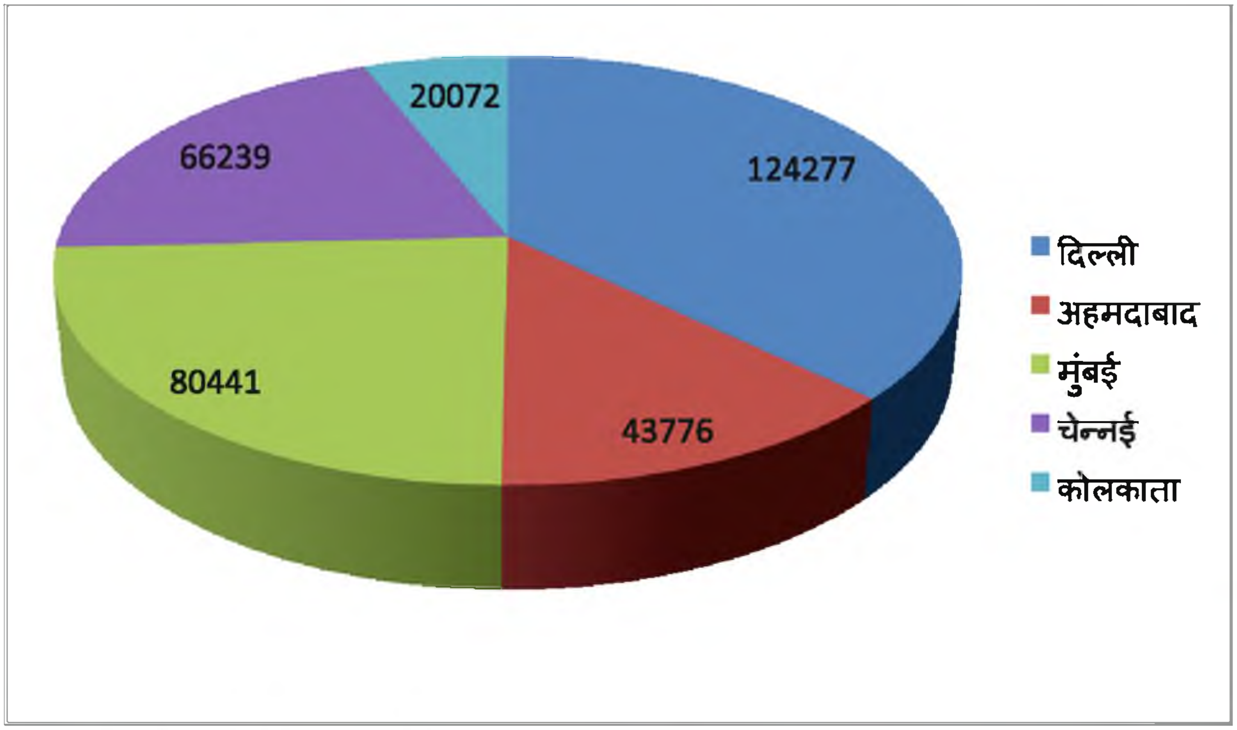

3. व्यापार चिह्न का पंजीकरण एवं अन्य गतिविधियाँ:

वर्ष 2019-20 के दौरान, पंजीकृत व्यापार चिह्न की संख्या 294172 रही। दिनांक 31 मार्च, 2020 तक पंजीकृत व्यापार चिह्न की कुल संख्या **2070738** थी।

वर्ष के दौरान अन्य गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

- **70583** पंजीकृत व्यापार चिह्नों का नवीकरण किया गया,
- पंजीकृत व्यापार चिह्न (अन्य व्यक्तियों को उनके समनुदेशन सहित) के संदर्भ में पंजीकरण के उपरांत परिवर्तन हेतु **32005** अनुरोध प्राप्त हुए व **32596** अनुरोध निष्पादित कर दिए गए,
- कानूनी कार्यवाहियों में उपयोग के लिए अथवा विदेशों में पंजीकरण प्राप्त करने हेतु **10796** प्रमाणपत्र जारी किए गए,

- प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 45 (1) के तहत **7362** प्रमाण पत्र प्रतिलिप्यधिकार के रूप में कलात्मक कार्य के पंजीकरण हेतु जारी किए गए।

रजिस्ट्री ने व्यापार चिह्न पंजीकरण के लिए विगत वर्ष के 396063 विज्ञापनों की तुलना में इस वर्ष के दौरान 378147 आवेदन व्यापार चिह्न जर्नल में विज्ञापित किए। पिछले पाँच वर्षों में व्यापार चिह्न जर्नल में प्रकाशित व्यापार चिह्न की प्रवृत्ति **परिशिष्ट II** में दिखाई गई है।

रजिस्ट्री ने व्यापार चिह्न अधिनियम और नियम के अधीन अर्ध न्यायिक कार्यवाहियाँ भी संचालित की जिनमें मुख्यत: विरोध और परिशोधन की कार्यवाहियाँ थी। वर्ष 2019-20 के दौरान 59150 विरोध की सूचना व 2229 परिशोधन हेतु आवेदन व्यापार चिह्न के पंजीकरण को रद्द करने अथवा व्यापार चिह्न के पंजीकरण को भिन्न करके व्यापार चिह्न के रजिस्टर में परिशोधन हेतु दाखिल किए गए तथा ऐसे 47250 मामलों का पूर्णतया निष्पादन कर दिया गया। ऐसे दाखिल और निष्पादित मामलों का विवरण **परिशिष्ट III** में दिया गया है।

4. पंजीकृत व्यापार चिह्न की संख्या का वर्गानुसार विवरण:

निम्न प्रदत्त सारणी वर्ष 2019-20 के दौरान पंजीकृत व्यापार चिह्न का वर्गानुसार विवरण प्रस्तुत करती है। यह देखा गया है कि वर्ग-5 के अंतर्गत सर्वाधिक 41351 व्यापार चिह्न पंजीकृत किए गए, जो कुल पंजीकरण का 13.34% है, जिसके बाद वर्ग-35 आता है जो 10.56% है।

वर्ग	**आवेदनों की संख्या**	**% भाग**
1	**4826**	1.56
2	**1726**	0.56
3	**11724**	3.78
4	**1550**	0.50
5	**41351**	13.34
6	**4338**	1.40
7	**6966**	2.25
8	**1576**	0.51
9	**19935**	6.43
10	**3045**	0.98
11	**8075**	2.61
12	**3877**	1.25
13	**271**	0.09

14	4219	1.36
15	317	0.10
16	7689	2.48
17	2816	0.91
18	3768	1.22
19	5383	1.74
20	4188	1.35
21	4393	1.42
22	776	0.25
23	604	0.19
24	4191	1.35
25	21338	6.88
26	975	0.31
27	758	0.24
28	2797	0.90
29	8015	2.59
30	14585	4.71
31	5029	1.62
32	4584	1.48
33	1483	0.48
34	2182	0.70
35	32737	10.56
36	5459	1.76
37	5195	1.68
38	3689	1.19
39	3960	1.28
40	1575	0.51
41	17755	5.73
42	11225	3.62
43	9887	3.19
44	5818	1.88
45	3283	1.06

टिप्पणी: बहुवर्ग आवेदन दाखिल करने का प्रावधान है (अर्थात एक से अधिक वर्ग की वस्तु तथा सेवाओं के लिए एकल आवेदन) व तदनुसार,सभी वर्गों की वस्तुओं व सेवाओं के लिए एकल पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। उपरोक्त जानकारी के उद्देश्य से, वर्गानुसार आवेदनों के संबंध में, बहु-वर्गीय आवेदनों में प्रत्येक वर्ग पर पृथक रूप से विचार किया जाता है।

5. राजस्व:

वर्ष 2019-20 के दौरान, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री ने रु. 352.30 करोड़ (इसमें मेंड्रिड प्रणाली के तहत अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के शुल्क के रूप में आईबी से प्राप्त रु. 31.66 करोड़ शामिल हैं) का राजस्व अर्जित किया जबकि गत वर्ष के दौरान यह रु. 340.12 करोड़ रहा।

परिशिष्ठ I

पिछले पाँच वर्षों में व्यापार चिह्न आवेदनों की प्रवृत्ति

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
दाखिल	283060	278170	272974	323978	**334805**
परीक्षित	267861	532230	306259	337541	**338551**
पंजीकृत	65045	250070	300913	316798	**294172**

पिछले 5 वर्षों में व्यापार चिह्न आवेदनों की प्रवृत्ति की ग्राफीय प्रस्तुति

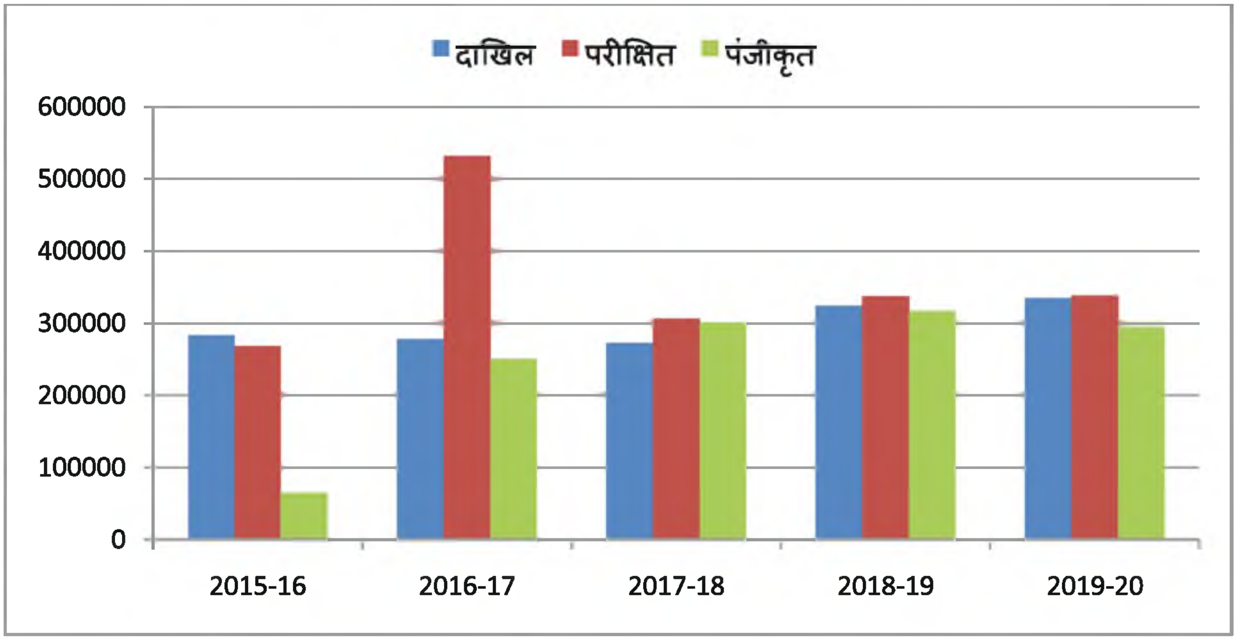

पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रकाशित व्यापार चिह्नों की संख्या

क्र. सं.	वर्ष	जर्नल में प्रकाशित व्यापार चिह्न की संख्या
1	2015-16	117408
2	2016-17	333673
3	2017-18	423030
4	2018-19	396063
5	**2019-20**	**378147**

पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रकाशित व्यापार चिह्नों की संख्या की ग्राफीय प्रस्तुति

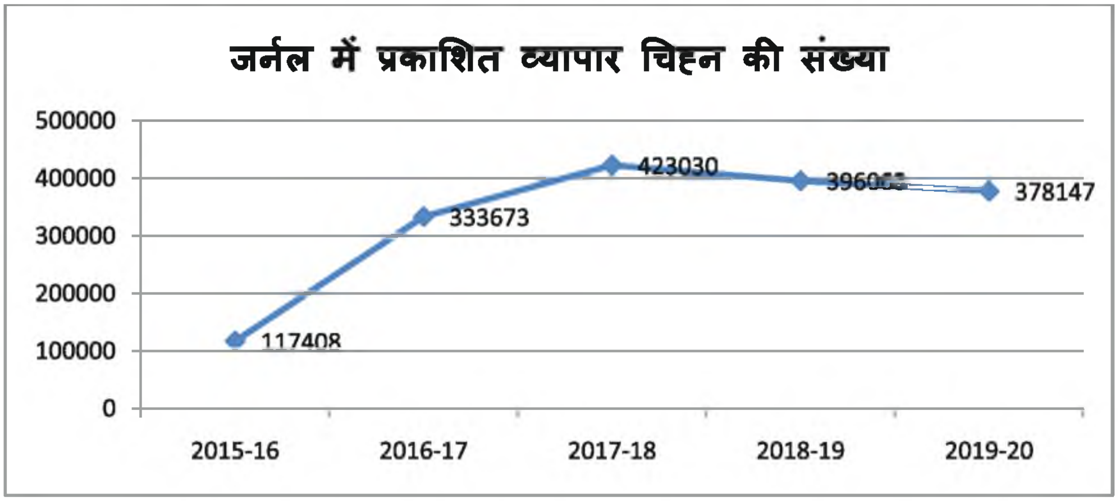

1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक विभिन्न कार्यालयों में दाखिल विरोध/परिशोधन आवेदन और उनके निष्पादन का विवरण

व्यापार चिह्न कार्यालय	दाखिल विरोध/परिशोधन	निष्पादित मामले
अहमदाबाद	8157	4836
चेन्नई	11239	7481
दिल्ली	22900	22138
कोलकाता	3313	2448
मुंबई	14720	9716
आईआर डिविजन	1141	631

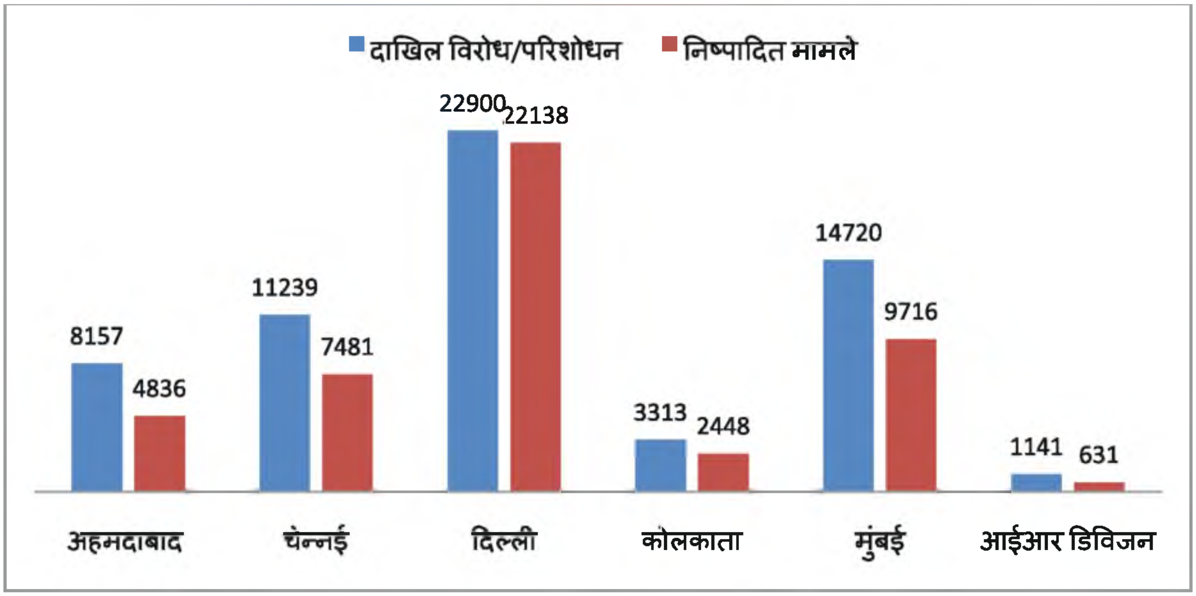

पिछले पाँच वर्षों के दौरान पंजीकृत व्यापार चिह्न

क्रम संख्या	वर्ष	पंजीकृत व्यापार चिह्नों की संख्या
1	2015-16	65045
2	2016-17	250070
3	2017-18	300913
4	2018-19	316798
5	**2019-20**	**294172**

पिछले 5 वर्षों के दौरान पंजीकृत व्यापार चिह्न की ग्राफ़ीय प्रस्तुति

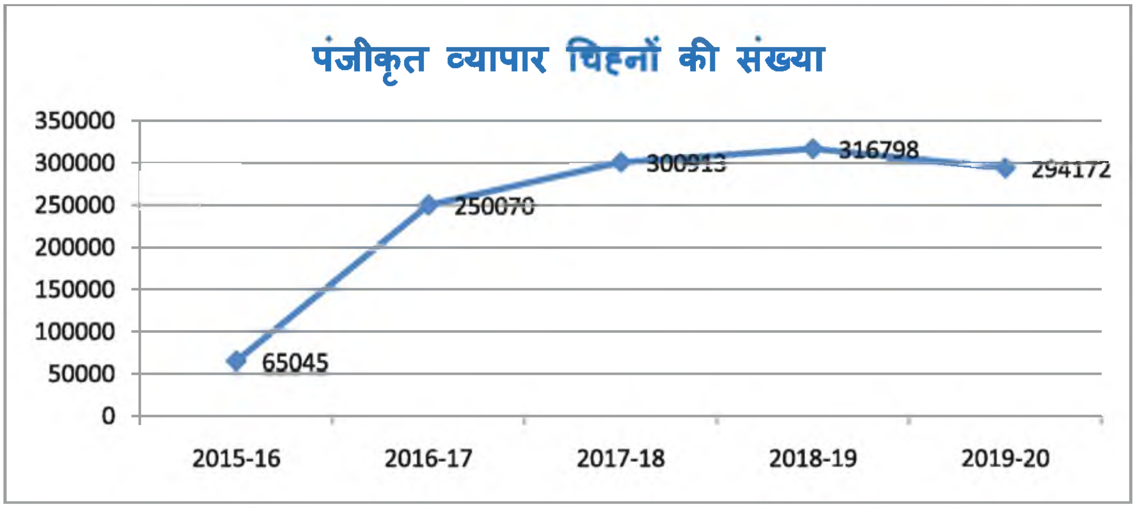

अध्याय-VII

चिह्नों के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण हेतु मेड्रिड प्रणाली

परिचय

मैड्रिड प्रणाली कई सदस्य देशों में व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए एकल प्रक्रिया प्रदान करती है। यह दो संधियों से शासित होती है नामतः, 'द मैड्रिड एग्रीमेंट कंसर्निंग द इन्टरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स' (संक्षेप में मैड्रिड एग्रीमेंट के रूप में जाना जाता है) और 'प्रोटोकॉल रिलेटिंग टू द मैड्रिड एग्रीमेंट' (संक्षेप में मैड्रिड प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है)।

ये संधियाँ स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डबल्यूआईपीओ) के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो (आईबी) द्वारा प्रशासित होती हैं।

1. भारत के मैड्रिड प्रोटोकोल में शामिल होने की पृष्ठभूमि:

- 8 फरवरी 2007 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिह्नों के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के संबंध में भारत के मैड्रिड प्रोटोकॉल में शामिल होने के लिए अपनी स्वीकृति दी।
- 21 सितंबर 2010 को व्यापार चिह्न अधिनियम 1999 को संशोधित किया गया, जिसमें 'मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के माध्यम से व्यापार चिह्न के संरक्षण से संबंधित विशेष प्रावधान' को अधिनियम में अंतःस्थापित किया गया।
- व्यापार चिह्न (संशोधन) नियम, 2013 को प्रभाव में लाने के लिए 14 जनवरी 2013 के राजपत्र में व्यापार चिह्न (संशोधन) नियम, 2013 प्रकाशित किए गए।
- 8 जुलाई, 2013 से भारत में मैड्रिड प्रोटोकॉल के प्रावधान लागू हुए।

मैड्रिड सिस्टम के तहत चिह्नों के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण की प्रक्रिया (विशेष रूप से मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत) निम्नानुसार वर्णित है:

2.1. अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण विंग:

मुंबई में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के प्रमुख कार्यालय में अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण विंग की स्थापना की गई है। यह विंग मुख्य रूप से भारतीय उद्यमियों से प्राप्त अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के लिए आवेदनों के संबंध में मैड्रिड प्रणाली के तहत "उद्गम कार्यालय" (ऑफिस ऑफ ऑरिजिन) के रूप में तथा मैड्रिड प्रणाली के तहत "नामित करार पार्टी कार्यालय" (ऑफिस ऑफ द डेज़ीग्नेटिंग कॉंट्रेक्टिंग पार्टी) के रूप में, विदेशी आवेदक के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के संबंध में, जहां भारत को चिह्न के संरक्षण के लिए नामित किया गया है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है।

उद्गम कार्यालय के रूप में अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण विंग इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करता है:

- भारतीय उद्यमियों से फॉर्म एमएम 2 पर अंतरराष्ट्रीय आवेदन प्राप्त करना, उनके साथ ऐसे आवेदनों के विषय में ऑन-लाइन संवाद करना और व्यापार चिह्न रजिस्ट्री (टीएमआर) की व्यापक ई-फाइलिंग सेवाओं के माध्यम से आवेदकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना,

मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत पंजीकरण

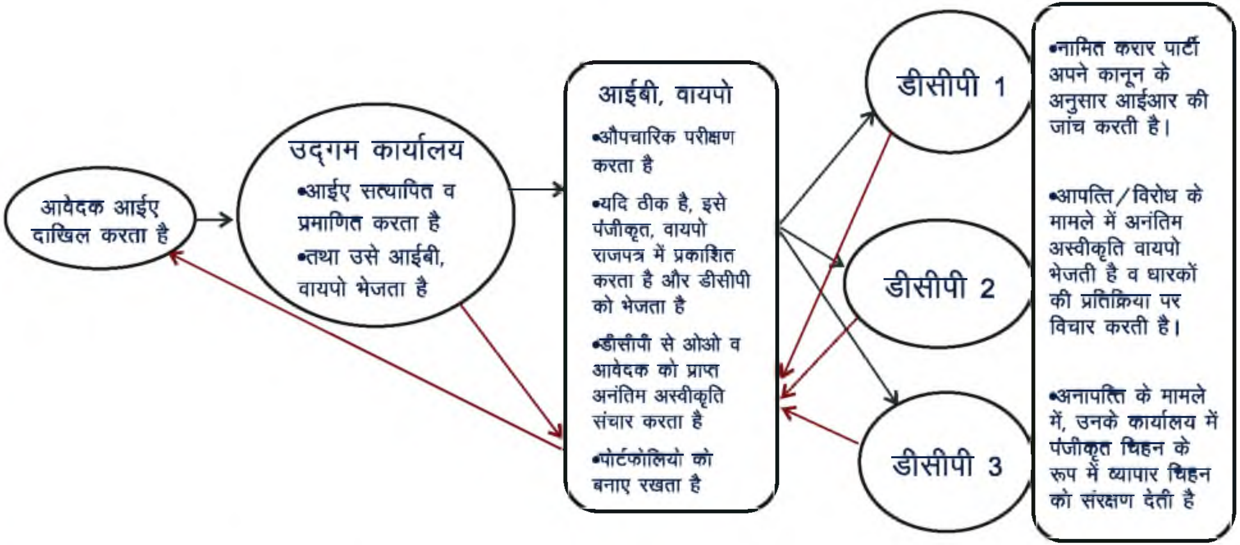

आवेदक आईए दाखिल करता है

उद्‌गम कार्यालय

- आईए सत्यापित व प्रमाणित करता है
- तथा उसे आईबी, वायपो भेजता है

आईबी, वायपो

- औपचारिक परीक्षण करता है
- यदि ठीक है, इसे पंजीकृत, वायपो राजपत्र में प्रकाशित करता है और डीसीपी को भेजता है
- डीसीपी से ओओ व आवेदक को प्राप्त अनंतिम अस्वीकृति संचार करता है
- पोर्टफोलियो को बनाए रखता है

डीसीपी 1

डीसीपी 2

डीसीपी 3

- नामित करार पार्टी अपने कानून के अनुसार आईआर की जांच करती है।
- आपत्ति/विरोध के मामले में अनंतिम अस्वीकृति वायपो भेजती है व धारकों की प्रतिक्रिया पर विचार करती है।
- अनापत्ति के मामले में, उनके कार्यालय में पंजीकृत चिह्न के रूप में व्यापार चिह्न को संरक्षण देती है

2. भारत में मैड्रिड प्रणाली का कार्यान्वयन:

- ऐसे अंतरराष्ट्रीय आवेदनों को सत्यापित करना और प्रमाणित करना और उन्हें वायपो को प्रेषित करना,
- अनियमितताओं के मामले में, यदि भारतीय कार्यालय द्वारा अग्रेषित अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के संबंध में वायपो (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा सूचित किया जाता है, तो संबंधित आवेदकों से संपर्क करना और अनियमितताओं के विषय में वायपो (डब्ल्यूआईपीओ) को उत्तर देना,
- उन मामलों में जहां भारत में व्यापार चिह्न आवेदन या पंजीकरण जिसके आधार पर अंतरराष्ट्रीय आवेदन दाखिल किया गया था वह समाप्त हो जाता है, वायपो को अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के प्रभाव को रोकने के लिए संचार करना,
- साप्ताहिक आधार पर एफ़टीपी सर्वर के माध्यम से भारत को नामित करने वाले अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के साथ-साथ भारत से उद्गम होने वाले अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के संबंध में वायपो (डब्ल्यूआईपीओ) के साथ सभी पत्राचार करना।

2.2. **मैड्रिड प्रणाली के तहत व्यापार चिह्नों का अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण - भारतीय आवेदक**:

वर्ष 2019-20 के अंत तक, भारतीय व्यापार चिह्न कार्यालय ने मैड्रिड प्रणाली के तहत व्यापार चिह्न के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण हेतु **1664** आवेदन प्राप्त किए हैं, जिसमें से 1566 आवेदन सत्यापित, प्रमाणित किए गए व वायपो (डब्ल्यूआईपीओ) को अग्रेषित किए गए तथा इन आवेदनों में से **1218** चिह्न वायपो के स्तर पर पंजीकृत किए गए हैं।

पिछले 5 वर्षों के दौरान मैड्रिड प्रणाली के तहत भारतीय कार्यालय द्वारा प्राप्त व वायपो को प्रेषित भारतीय उद्यमियों के अंतरराष्ट्रीय आवेदनों की संख्या निम्नानुसार हैं:

वर्ष	प्राप्त अंतरराष्ट्रीय आवेदन	वायपो द्वारा किए गए अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण
2015-16	165	126
2016-17	234	97
2017-18	222	205
2018-19	414	238
2019-20	445	418

पिछले 5 वर्षों के दौरान भारतीय उद्यमियों के अंतरराष्ट्रीय आवेदनों की प्रवृत्ति

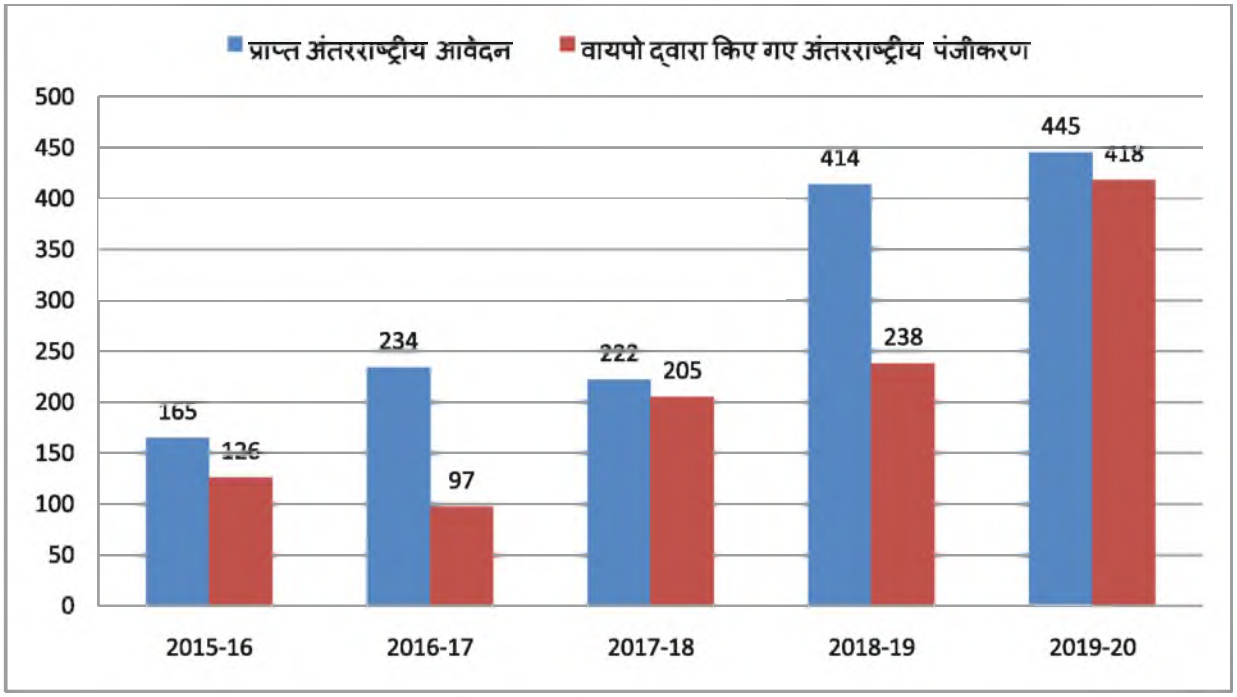

2.3. **नामित करार पार्टी कार्यालय के रूप में, अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण विंग इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करता है:**

- वायपो (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा भारतीय कार्यालय को अधिसूचित अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण का विवरण व्यापार चिह्न रजिस्ट्री (टीएमआर) डाटाबेस में माइग्रेट करना, और राष्ट्रीय आवेदन के समान आईआरडीआई के रूप में प्रतिरूप रिकॉर्ड बनाना,

- इस तरह के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के विषय में वायपो की सूचनाओं के अनुसार व्यापार चिह्न रजिस्ट्री (टीएमआर) रिकॉर्ड को अद्यतन करना, जैसे कि धारक के नाम या पते में परिवर्तन, अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के तहत माल/सेवाओं को प्रतिबंधित करना, त्याग, आदि,

- व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 व उसके तहत बने नियमों के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों का परीक्षण करना व यदि अधिनियम के अनुसार भारत में चिह्न को संरक्षण नहीं प्रदान किया जा सकता है तो वायपो को अनंतिम असम्मति प्रेषित करना,

- वायपो ने भारत में व्यापार चिह्न के संरक्षण के लिए **14001** अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों को भारतीय कार्यालय को अधिसूचित किया,

- इन सभी अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों का प्रतिरूप रेकॉर्ड आईआरडीआई के रूप में बनाया गया व **14294** आईआरडीआई का परीक्षण किया गया,

- परीक्षण के आधार पर **4484** चिह्नों के संबंध में अनंतिम अस्वीकृति वायपो को सूचित की गईं,

- व्यापार चिह्न जर्नल में प्रकाशन के अनुसरण में प्राप्त तीसरे पक्ष के विरोध के आधार पर, **939** अनंतिम अस्वीकृति वायपो को सूचित की गईं,

- **631** विरोध का अंतिम निपटान किया गया,

- व्यापार चिह्न अधिनियम के तहत सभी प्रक्रियाएँ पूर्ण करने के उपरांत संरक्षण प्रदान करने के लिए **14699** अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के मामले वायपो प्रेषित किए गए; 14699 में से **10570**

- हमारी राष्ट्रीय विधि के अनुसार ऐसे अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के धारकों की ओर से प्रस्तुत अनंतिम असम्मति के विरुद्ध प्रतिक्रिया पर ध्यान देना और यदि आवश्यकता हो, कारण बताओ सुनवाई की समय सारणी तय करना,
- हमारे राष्ट्रीय व्यापार चिह्न जर्नल में स्वीकृत मामलों को प्रकाशित करना,
- ऐसे प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय पदों के विरुद्ध, यदि कोई हो, विरोध को प्राप्त करना, और विरोध के आधार पर वायपो को अनंतिम असम्मति भेजना, अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण धारक की ओर से जवाबी कथन प्राप्त करना और विधि के अनुसार विपक्षी कार्यवाही आयोजित करना,
- ऐसे अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के संबंध में पंजीकार के आदेशों के खिलाफ दाखिल अपील/रिट याचिका के मामले में कार्यालय का प्रतिनिधित्व करना,
- वायपो (डब्ल्यूआईपीओ) को ऐसे अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के संबंध में अंतिम (साथ ही आगे के निर्णय, यदि कोई हो) का संचार करना।

2.4. **2019-20 के दौरान गतिविधियां - अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण:**

अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के संबंध में, आवेदकों को इस कार्यालय से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं हुई और भारत में इस तरह के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के तहत चिह्न अनुदानित किए गए,

- **10019** अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों को भारत में चिह्न के संरक्षण के लिए अस्वीकृत किया गया।

वायपो द्वारा अधिसूचित अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों की संख्या और सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद गत 5 वर्षों के भीतर वायपो को भेजे गए ऐसे अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के तहत चिह्नों के संरक्षण का अनुदान इस प्रकार है:

वर्ष	वायपो से प्राप्त अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों की अधिसूचना	भारतीय कार्यालय द्वारा अनुदानित अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों का संरक्षण
2015-16	11780	767
2016-17	10156	3359
2017-18	13475	12642
2018-19	14778	18038
2019-20	**14001**	**14699**

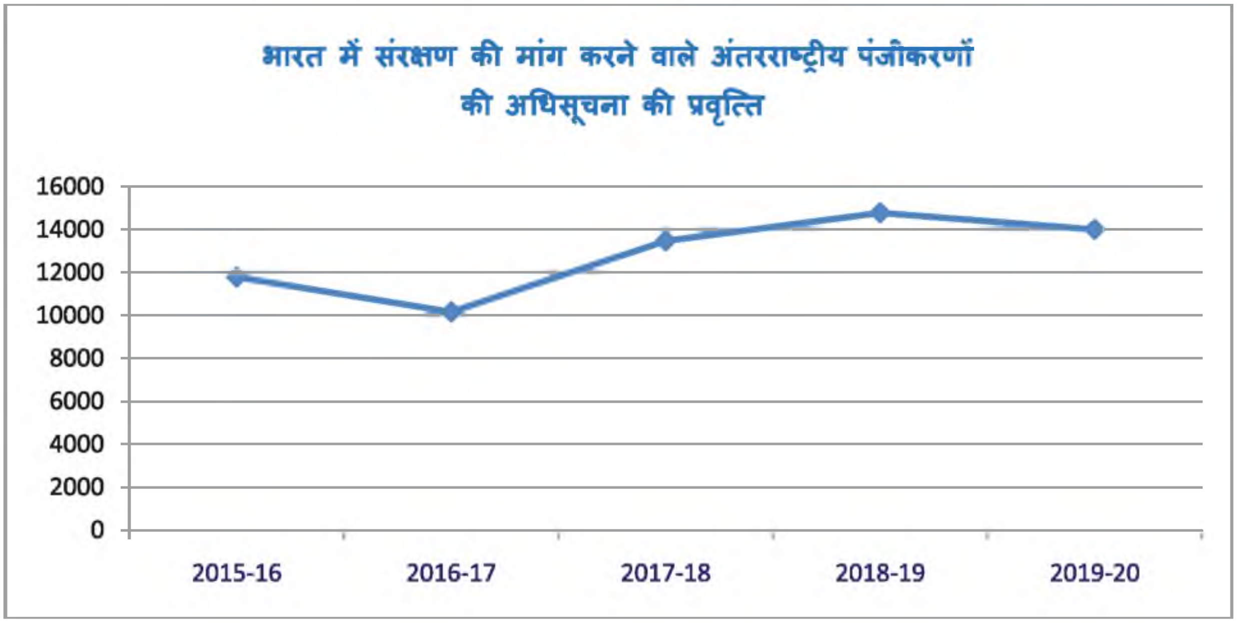

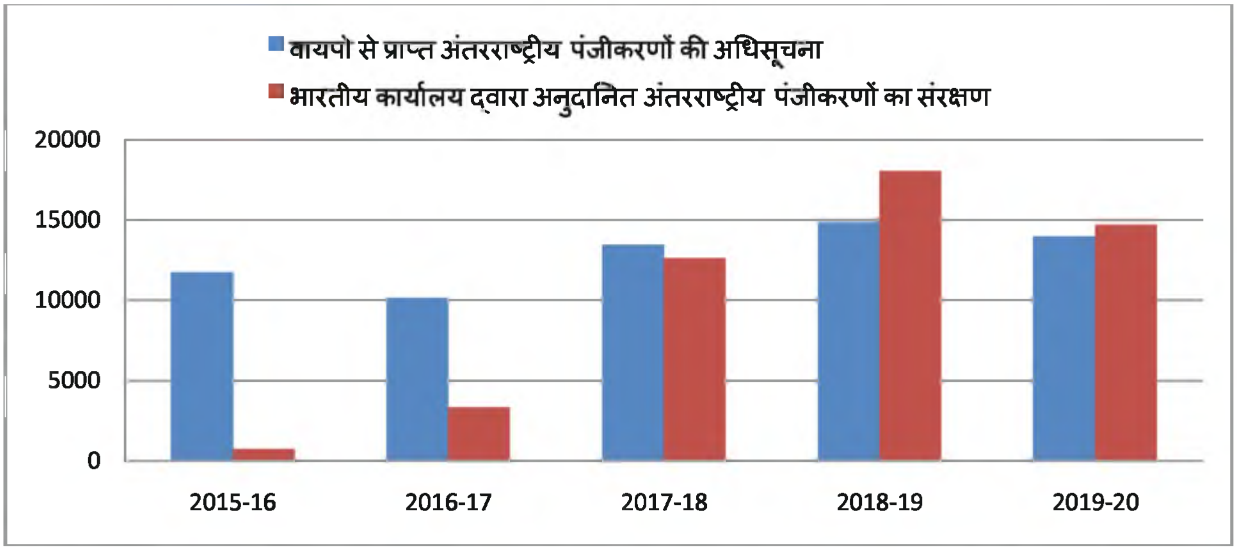

3. राजस्व

भारतीय कार्यालय को वायपो से मैड्रिड प्रणाली के तहत अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों के संबंध में राजस्व प्राप्त होता है, जहाँ भारत में चिह्न का संरक्षण मांगा गया है और ऐसे अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के नवीकरण के संबंध में भी। वर्ष 2019-20 के दौरान, भारतीय कार्यालय ने चिह्नों के संरक्षण के लिए भारत को नामित करने वाले अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के शुल्क के रूप में रु 31.66 करोड़ प्राप्त किए।

भौगोलिक उपदर्शन

परिचय

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री (जीआईआर) की स्थापना वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक उपदर्शन को पंजीकरण और बेहतर संरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वस्तुओं के भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) (पंजीकरण एवं संरक्षा) अधिनियम, 1999 का प्रशासन करने के लिए हुआ है। भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री कार्यालय चेन्नई में स्थित है।

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री (जीआईआर) ने 15 सितम्बर, 2003 से पंजीकरण हेतु भौगोलिक उपदर्शन आवेदन प्राप्त करना प्रारंभ किया। जीआईआर ने मई, 2009 से भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन प्राप्त करने प्रारंभ किए हैं।

जीआईआर भारतीय भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न भागों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। चाय, कॉफी, मसाले, कृषि और बागवानी उत्पाद, हस्तकरघा उत्पाद, हस्तशिल्प, वस्त्र, प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुएँ, दुग्ध उत्पाद, प्राकृतिक वस्तुएँ, स्पिरिट एवं मद्य के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया।

1. कार्य निष्पादन की प्रमुख विशेषताएँ:

   - भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री ने 31 मार्च, 2020 तक 687 (छः सौ सतासी) भौगोलिक उपदर्शन आवेदन प्राप्त किए हैं।
   - रजिस्ट्री ने 31 मार्च, 2020 तक 6858 (छः हज़ार आठ सौ अट्ठावन) भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन प्राप्त किए हैं।
   - 15 सितम्बर, 2003 से अब तक कुल 365 (तीन सौ पैंसठ) भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) पंजीकृत किए गए हैं।

- कुल 4380 (चार हज़ार तीन सौ अस्सी) भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।
- 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक कार्यालय ने 42 भौगोलिक उपदर्शन आवेदन व 1476 भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन प्राप्त किए हैं। उक्त अवधि के दौरान 22 भौगोलिक उपदर्शन व 773 भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ताओं का पंजीकरण किया गया है।

31 मार्च, 2020 तक भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की विस्तृत स्थिति

दाखिल भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की कुल संख्या	687
विज्ञापित भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की कुल संख्या	391
पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की कुल संख्या	365

31 मार्च 2020 तक प्राप्त भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों का अवस्थानुसार विवरण

पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन	365
लंबित भौगोलिक उपदर्शन	200
अन्य निपटान किए गए भौगोलिक उपदर्शन	122

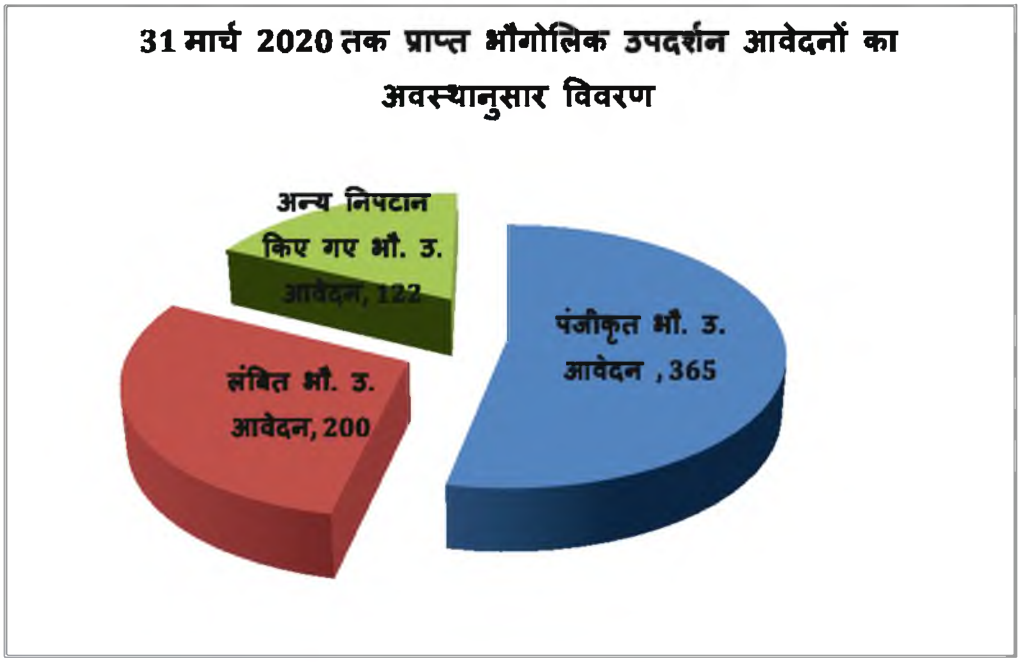

31 मार्च, 2020 तक दाखिल किए गए भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों का वर्षवार विवरण

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2003-04	6
2004-05	29
2005-06	16
2006-07	33
2007-08	37
2008-09	44
2009-10	40
2010-11	27
2011-12	148
2012-13	24
2013-14	75
2014-15	47
2015-16	17
2016-17	32
2017-18	38
2018-19	32
2019-20	**42**
Total	**687**

भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम, 1999 की धारा 2(च) के अनुसार 31 मार्च, 2020 तक पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन का वस्तुओं के अनुसार विवरण

भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम,1999 की धारा 2(च) के अनुसार वस्तुएँ	प्राप्त भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की संख्या	पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की संख्या
हस्तकला (वस्त्र सहित)	317	210
कृषि	173	111
विनिर्मित	146	22
खाद्य पदार्थ	44	20
प्रकृत	7	2
कुल	**687**	**365**

31 मार्च, 2020 तक राज्यवार पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन

राज्य/अस्तित्व	पंजीकृत भौ. उ. की संख्या
आंध्र प्रदेश	17
अरुणाचल प्रदेश	2
असम	9
बिहार	13
छतीसगढ़	6
गोवा	2
गुजरात	15
हिमाचल प्रदेश	8
भारत (बहु राज्य)- (कर्नाटक व महाराष्ट्र)	1
भारत (केरल व तमिल नाडु)	1
भारत (केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु)	1
भारत - (महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश)	1
भारत - (महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा व नागर हवेली, दमन दीव)	1
भारत (पंजाब/ हरियाणा/ हिमाचल प्रदेश/ दिल्ली / उत्तराखंड/ उत्तर प्रदेश/ जम्मू व कश्मीर)	1
भारत (पंजाब, हरियाणा व राजस्थान)	1
भारत (आंध्र प्रदेश व उड़ीसा)	1
भारत (कर्नाटक व केरल)	2
भारत (तेलंगाना व आंध्र प्रदेश)	1
जम्मू व कश्मीर	7
कर्नाटक	42
केरल	28
मध्य प्रदेश	10
महाराष्ट्र	30
मणिपुर	5
मेघालय	2
मिजोरम	6
नागालैंड	3
उड़ीसा	17
पाण्डिचेरी	2

राजस्थान	14
सिक्किम	1
तमिलनाडु	36
तेलंगाना	14
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	27
उत्तराखंड	1
पश्चिम बंगाल	21
विदेश	15
कुल	365

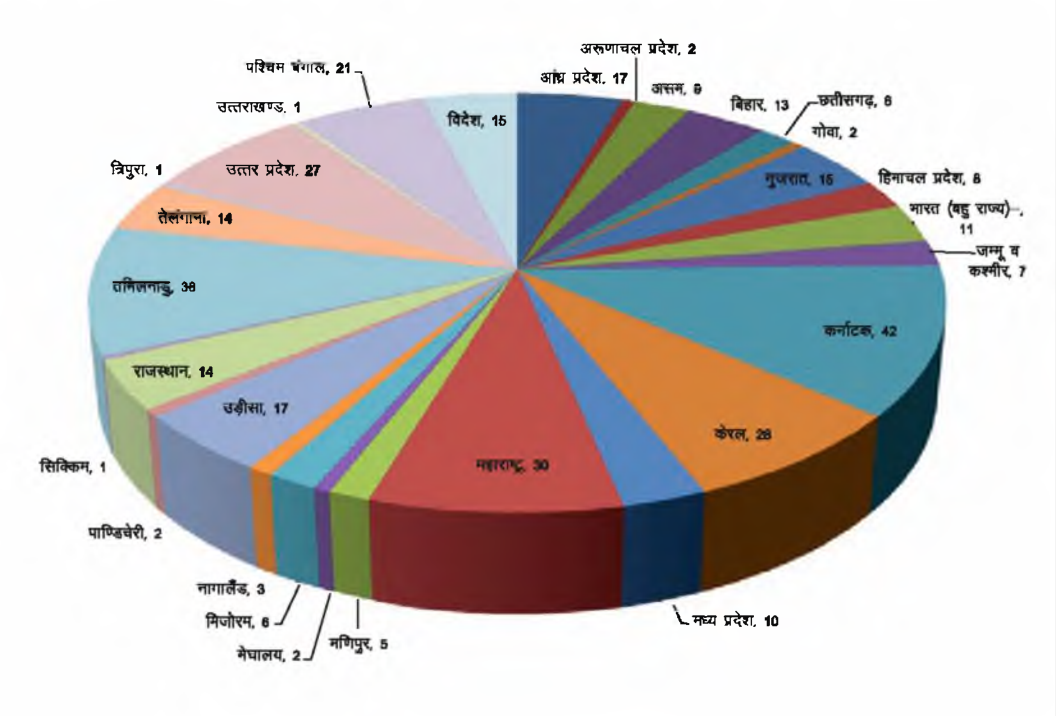

2. प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन:

31 मार्च, 2020 तक दाखिल भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों का वर्षवार विवरण

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2003-04	0
2004-05	0
2005-06	0

2006-07	0
2007-08	0
2008-09	0
2009-10	101
2010-11	124
2011-12	145
2012-13	1070
2013-14	471
2014-15	262
2015-16	176
2016-17	1548
2017-18	823
2018-19	662
2019-20	**1476**
कुल	**6858**

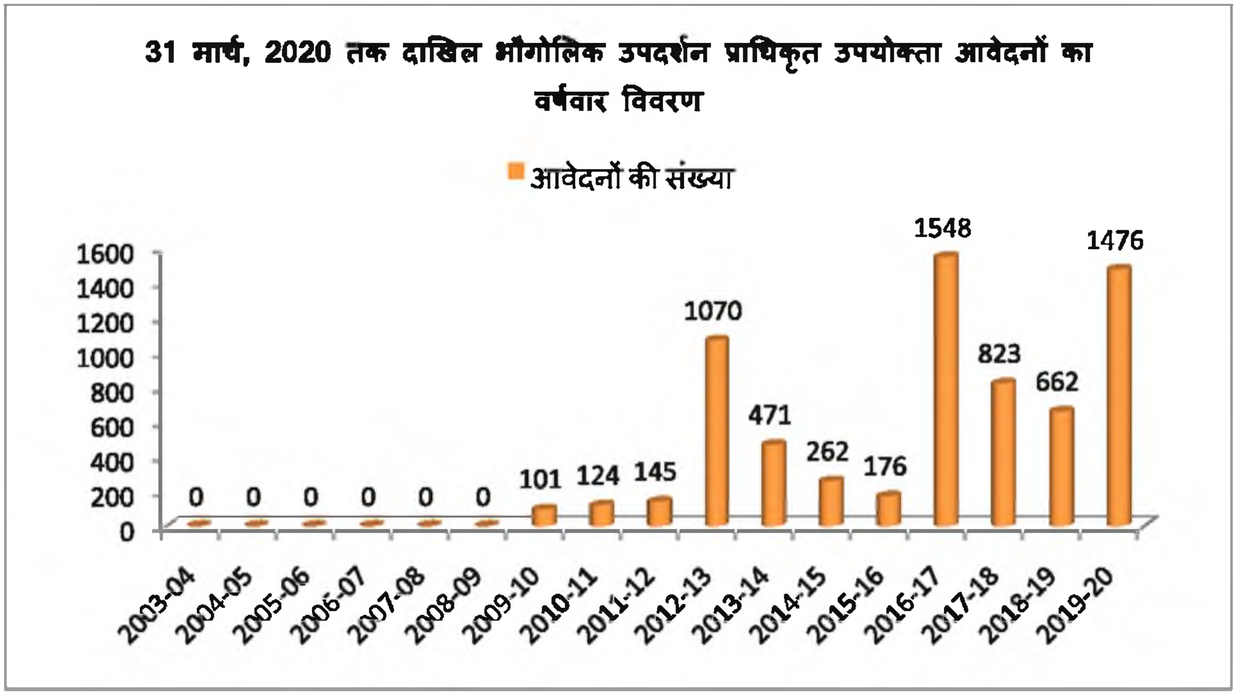
31 मार्च, 2020 तक दाखिल भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों का वर्षवार विवरण

31 मार्च, 2020 तक भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की स्थिति

पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	4380
परीक्षित भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	1702
पूर्व-परीक्षित भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	265
विज्ञापित भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	505
विरोध के अधीन भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	1
विलय किए गए भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	5
भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की कुल संख्या	**6858**

31 मार्च, 2020 तक भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों का वस्तुओं के अनुसार विवरण

भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम,1999 की धारा 2(च) के अनुसार वस्तुएँ	प्राप्त भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या
हस्तकला (वस्त्र सहित)	3763	1937
कृषि	2770	2267
विनिर्मित	168	63
खाद्य पदार्थ	154	112
प्रकृत	3	1
कुल	**6858**	**4380**

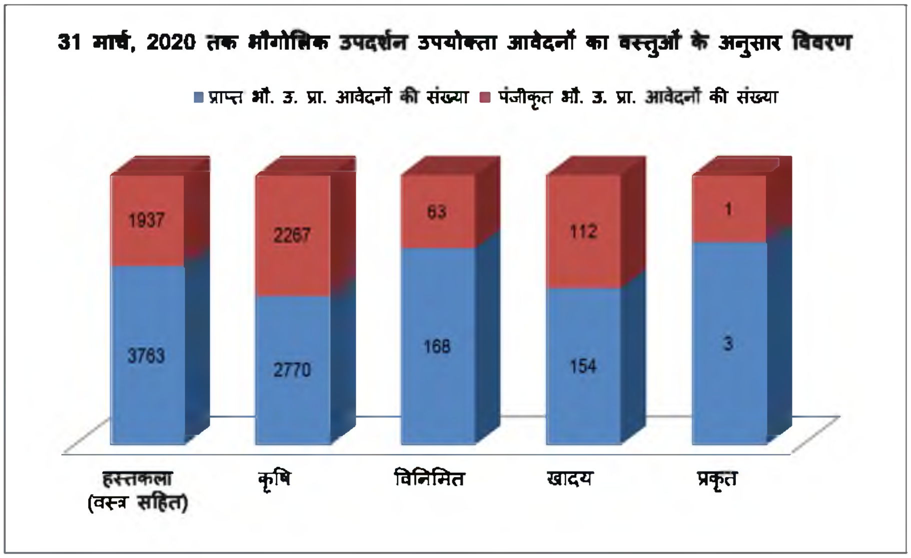

अध्याय-IX

कॉपीराइट

परिचय

कॉपीराइट किसी कार्य का मालिकाना अधिकार है जिससे वह कार्य के उपयोग को नियंत्रित कर सकता है व उसके उपयोग से आर्थिक रूप से लाभान्वित होता है। इस तरह के कार्य साहित्यिक (संकलन और सॉफ्टवेयर सहित), नाटकीय, संगीत, कलात्मक, सिनेमैटोग्राफ फिल्मों और साउंड रिकॉर्डिंग के रूप में मानव मस्तिष्क का निर्माण हैं। कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत कॉपीराइट का प्रशासन किया जाता है, जिसमें समय-समय पर संशोधन करके विधि को तीव्र विकास के अनुरूप बनाया गया है।

1. कॉपीराइट कार्यालय:

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 9 (1) के अधीन कॉपीराइट कार्यालय की स्थापना 1958 में की गई थी। कॉपीराइट कार्यालय का मुख्य कार्य कॉपीराइट का पंजीकरण करना है। कॉपीराइट कार्यालय द्वारा कॉपीराइट के रजिस्टर का रख-रखाव किया जाता है जिससे आम जनता को कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के अधीन पंजीकृत कार्य के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। पंजीकरण के अलावा, रजिस्टर का निरीक्षण करने, विवरण में परिवर्तन, उसका सार लेने, कॉपीराइट सोसाइटी का प्रशासन इत्यादि जैसी सुविधाएं भी कॉपीराइट कार्यालय में उपलब्ध हैं।

जैसा कि कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 13 के तहत प्रावधान किए गए हैं, कॉपीराइट निम्नलिखित वर्ग अथवा कार्यों में निर्वाह करता है:

(i) मूल साहित्यिक, नाटकीय, संगीत व कलात्मक कार्य;

(ii) चलचित्र की फिल्में; और

(iii) ध्वनि रिकॉर्डिंग

किसी कार्य का निर्माण होते ही कॉपीराइट अस्तित्व में आ जाता है और कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए कोई औपचारिकता पूरी करने की आवश्यकता नहीं होती है। हालाँकि, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 48 के अनुसार, कॉपीराइट के पंजीकरण का प्रमाण पत्र और उसमें दर्ज प्रविष्टियाँ विधिक न्यायालय में कॉपीराइट के स्वामित्व से संबंधित विवाद के संदर्भ में *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के रूप में कार्य करती हैं।

आवेदन पत्र, शुल्क संरचना, कॉपीराइट नियम, 2013 के संबन्धित उद्धरण सहित पंजीकरण प्रक्रिया का विवरण कॉपीराइट की वेबसाइट अर्थात http://copyright.gov.in पर उपलब्ध हैं।

2. कॉपीराइट का स्वामित्व:

कॉपीराइट विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार विशिष्ट हैं यद्यपि ये सीमित अवधि के लिए हैं। ऐसे किसी भी कार्य का कार्य के स्वामी की प्राधिकृति/अनुमति के बिना उपयोग कानून का उल्लंघन अथवा कॉपीराइट का अतिलंघन हो सकता है (कॉपीराइट कानून के तहत कुछ सीमाएं व अपवाद प्रदान किए गए हैं)। विधि यह भी सुनिश्चित करती है कि एक बार इस विशिष्ट अधिकार की अवधि समाप्त होने के उपरांत, आम जनता की कार्य तक सहज पहुँच हो।

3. कॉपीराइट सोसाइटी:

भारत में पंजीकृत कॉपीराइट सोसाइटी निम्नलिखित हैं:

- इंडियन पर्फ़ॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी (आईपीआरएस) - संगीत कार्य व ऐसे संगीत कार्य से जुड़े साहित्यिक कार्यों के लिए।
- इंडियन रेप्रोग्राफिक राइट्स ऑर्गनाइज़ेशन (आईआरआरओ) - फोटोग्राफी कार्यों के लिए
- इंडियन सिंगर्स राइट्स असोशिएशन (आईएसआरए) - गायकों के अदाकारी के अधिकार तथा उनसे जुड़ी अन्य सहायक गतिविधियां

4. अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन/संधि/समझौते:

विदेशों में भारतीय कार्य को संरक्षा प्रदान करने के लिए, भारत कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों पर निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का सदस्य है:

- बर्न कन्वेन्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटररी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स
- यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेन्शन
- ट्रेड रिलेटिड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटलेक्चुयल प्रॉपर्टी राइट्स (ट्रिप्स) समझौता
- मरक्केश ट्रीटी टू फेसिलिटेट एक्सेस टू पब्लिश्ड वर्क्स बाय विज़ुयली इंपेयर्ड पर्सन्स एंड प्रिंट डिसेबिलिटीज़
- वायपो कॉपीराइट ट्रीटी (डबल्यूसीटी)
- वायपो परफोरमन्सेस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी (डबल्यूपीपीटी)

5. अभिनव विकास:

- **कॉपीराइट कार्यालय** ने आवेदनों की लंबितता को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं तथा तदनुसार, एक माह की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को छोड़कर लंबितता को घटाकर एक माह कर दिया गया हैं। पारदर्शिता और हितधारकों की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए, कॉपीराइट कार्यालय ने माह के दौरान प्राप्त आवेदनों को कार्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना प्रारम्भ किया है। आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन भी देख सकते हैं।
- इसके अलावा, विसंगति पत्र व कॉपीराइट का रजिस्टर (आर.ओ.सी.) अब www.copyright.gov.in. पर पंजीकृत ईमेल के माध्यम से आवेदक को प्रेषित किया जा रहा है। आवेदक अपने कॉपीराइट लॉगिन खाते का उपयोग करके विसंगति पत्र के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया भी अपलोड कर सकते हैं।
- कॉपीराइट कार्यालय ने साहित्यिक, कलात्मक, संगीत, ध्वनि रिकॉर्डिंग और सिनेमैटोग्राफ फिल्मों के परीक्षण के लिए अभ्यास और प्रक्रिया पुस्तिका प्रकाशित की है।

6. कॉपीराइट की प्रवृत्ति:

2019-20 के दौरान, कुल 21905 आवेदन प्राप्त हुए व 29670 आवेदन परीक्षित किए गए। परीक्षण के दौरान, प्रेक्षित विसंगतियों को सुधार के लिए आवेदकों को सूचित किया गया। 2019-20 में उत्पन्न

रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेट (आर.ओ.सी.) की संख्या 16029 रही। 2016-17 से 2019-20 तक के सांख्यिकीय आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

वर्ष	**कुल प्राप्त आवेदन**	**कुल परीक्षित आवेदन**	**उत्पन्न रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट (आरओसी)**	**कुल निपटान**
2016-17	16617	16584	3596	5444
2017-18	17841	34388	19997	39799
2018-19	18250	22658	14625	25943
2019-20	**21905**	**29670**	**16029**	**22516**

वर्ष 2019-20 के दौरान उत्पन्न कॉपीराइट का वर्गवार पंजीकरण (आरओसी)

क्र. सं.	**वर्ग**	**आरओसी**
1	कलात्मक	4710
2	चलचित्र फिल्म	272
3	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1057
4	साहित्यिक/नाटकीय	9106
5	संगीत	47
6	ध्वनि रिकॉर्डिंग	837
	कुल आरओसी:	**16029**

7. अंतरराष्ट्रीय संधियों में अधिमिलन:

वर्ष के दौरान, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के वायपो (डब्ल्यूआईपीओ) कॉपीराइट संधि और वायपो (डब्ल्यूआईपीओ) परफोरमर्स एंड फ़ोनोग्राम्स संधि में अधिमिलन को मंजूरी दी है, जो इंटरनेट और डिजिटल वातावरण में कॉपीराइट का विस्तार करता है। ये संधियाँ निम्नलिखित तरीकों से भारत की सहायता करेंगी:

- अंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट प्रणाली के माध्यम से अपने श्रम के फल का आनंद लेने के लिए रचनात्मक अधिकार धारकों को सक्षम करना, जिसका उपयोग उनके रचनात्मक कार्यों के

उत्पादन और वितरण में किए गए निवेश पर वापसी को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है,

- ➢ घरेलू अधिकारों के धारक को अंतरराष्ट्रीय संरक्षण प्रदान करना, उन्हें अन्य देशों में समान अवसर क्षेत्र उपलब्ध कराना क्योंकि भारत ने पहले ही अंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट आदेश के माध्यम से विदेशी कार्यों के लिए संरक्षण प्रदान किया है और ये संधियाँ भारतीय अधिकार धारकों को विदेशों में पारस्परिक संरक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाएँगी,
- ➢ निवेश पर प्रतिलाभ के साथ डिजिटल वातावरण में आत्मविश्वास और रचनात्मक कार्यों को वितरित करना,
- ➢ व्यावसायिक विकास में वृद्धि और एक जीवंत रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक परिदृश्य के विकास में योगदान।
- ➢ दोनों संधियाँ रचनाकारों और स्वत्वधारियों को उनके कार्यों के संरक्षण के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने और उनके उपयोग के बारे में जानकारी की संरक्षा प्रदान करने के लिए ढांचा प्रदान करती हैं, अर्थात् प्रोटेक्शन ऑफ टेक्नोलोजिकल मेज़र्स (टीपीएम) और राइट्स मेनेजमेंट इन्फोर्मेशन (आरएमआई)।

8. कॉपीराइट कार्यालय की प्रमुख उपलब्धियां:

(i) **सार्वजनिक इंटरफ़ेस में सुधार और वेबसाइट का पुर्नोत्थान**:

- दाखिल किए गए आवेदनों की स्थिति, अनुदानित पंजीकरण, कॉपीराइट आवेदन की स्थिति तथा पंजीकृत कार्य की खोज प्रदान करने के लिए डैशबोर्ड तैयार किया गया है।
- कॉपीराइट कार्यालय ने कार्यों के निर्बाध पंजीकरण की सुविधा के लिए अपने ऑनलाइन पोर्टल पर साहित्यिक / नाटकीय और कलात्मक कार्यों की सॉफ्ट कॉपी अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ अपलोड करने का प्रावधान समाविष्ट किया है।

(ii) प्रारूप कॉपीराइट (संशोधन) नियम की अधिसूचना:

हितधारकों की टिप्पणी के लिए कॉपीराइट नियम के प्रारूप संशोधन 30 मई, 2019 को अधिसूचित किए गए। संशोधनों का उद्देश्य है:

- वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा लाए गए परिवर्तनों को प्रभाव में लाना।
- संचार के इलेक्ट्रॉनिक साधनों को अपनाना।
- जवाबदेही, पारदर्शिता और कॉपीराइट सोसाइटी के सुचारू कामकाज से संबंधित प्रावधानों को लाना
- कंप्यूटर प्रोग्राम के पंजीकरण की प्रक्रिया में सुधार अथवा सुगमता प्रदान करना।

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री

परिचय

यह अध्याय अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम 2000 की धारा 88 के तहत अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री (एसआईसीएलडीआर) द्वारा की गई गतिविधियों के विषय में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 (एसआईसीएलडी अधिनियम) अर्धचालक एकीकृत परिपथ (आईसी) डिजाइनों को संरक्षण प्रदान करता है। अर्धचालक एकीकृत परिपथ अर्धचालकों, धातुओं, डाईइलेक्ट्रिक (इंसुलेटर) व अन्य सामग्री की कई परतों को मिलाकर सब-स्ट्रेट पर बनाए (फेब्रीकेट किए) जाते हैं। एसआईसीएलडी अधिनियम और नियम एकीकृत परिपथ अभिन्यास के रूप में इन परतों के त्रिआयामी विन्यास को संदर्भित करते हैं।

एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन के पंजीकरण के लिए मानदंड है कि वह होना चाहिए:-

- मूल
- विशिष्ट
- किसी भी अन्य अभिन्यास डिजाइन से अलग होने में सक्षम
- भारत में अथवा किसी भी कन्वेंशन देश में कहीं भी व्यावसायिक रूप से उपयोग नहीं किया गया है।

1. अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री (एसआईसीएलडीआर):

एकीकृत परिपथों के विन्यास डिजाइन संबंधी आवेदन बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्री में दाखिल किए जाते हैं। इस रजिस्ट्री का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण भारत है। अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन (एसआईसीएलडी) अधिनियम, 2000 तथा एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन (एसआईसीएलडी) नियम, 2001 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार

अब तक, अभिन्यास डिजाइन के लिए दो (2) पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं: (i) डिजाइन संख्या 1(I)/2013 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के नाम से दिनांक 20 जनवरी, 2015, शीर्षक - "8 पोर्ट माइक्रो-कंट्रोलर (बीई.80501)"; तथा (ii) डिजाइन संख्या 2(I)/2016 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के नाम से दिनांक 24 मई, 2016, शीर्षक - "50-60 गीगाहर्ट्ज सब हार्मोनिक आईक्यू मिक्सर"।

3. एससीआईएलडी रजिस्ट्री की जनशक्ति संरचना

एससीआईएलडी रजिस्ट्री में निम्नलिखित पद अनुमोदित हुए हैं:

क्र. सं.	पदनाम	पद (पदों) की संख्या	ग्रेड पे के साथ पूर्व संशोधित वेतनमान
1.	पंजीकार	एक	पीबी4 + जीपी रु. 8700
2.	तकनीकी अधिकारी	एक	पीबी2 + जीपी रु.5400
3.	निजी सचिव	एक	पीबी2 + जीपी रु.4600

रजिस्ट्री एकीकृत परिपथ के विन्यास डिजाइन का परीक्षण करती है व अर्धचालक एकीकृत परिपथ के मूल विन्यास डिजाइन को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करती है।

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम और अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री का प्रशासन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के नियंत्रण में था, किन्तु 17 मार्च, 2016 की अधिसूचना द्वारा अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 और अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री के प्रशासन को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) को स्थानांतरित कर दिया गया तथा कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न के नियंत्रण में लाया गया। अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री अब बौद्धिक सम्पदा भवन, द्वारका नई दिल्ली से कार्य कर रही है।

2. उपलब्धियां:

प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 के दौरान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बैंगलोर से ‘विक्रम 1601 माइक्रोप्रोसेसर’ पर एक (1) अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन आवेदन पंजीकरण हेतु प्राप्त हुआ है और आवेदक को परीक्षण रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है।

अध्याय XI

राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) व पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस)

परिचय

बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी गतिविधियाँ पिछले कई वर्षों से देश में निरंतर बढ़ रही हैं। बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के सृजन, उपयोग व सार्थक दोहन में कई जटिल समस्याएं शामिल हैं। देश में बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) के ज्ञान में सुधार लाने और आईपीआर में हितधारकों के कौशल को उन्नत करने के लिए राष्ट्रीय केंद्र की आवश्यकता को महसूस करते हुए भारत सरकार ने बौद्धिक सम्पदा अधिकार के क्षेत्र में प्रशिक्षण, प्रबंधन, शोध और शिक्षण हेतु उच्च कोटि के राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में नागपुर में राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) की स्थापना की है। आरजीएनआईआईपीएम एकस्व एवं अभिकल्प, व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन के परीक्षकों/अधिकारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूरा करता है। यह विभिन्न उपयोक्ता समुदायों हेतु बौद्धिक सम्पदा (आईपी) प्रशिक्षण/शिक्षण व बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

1. उद्देश्य:

आरजीएनआईआईपीएम को देश में बौद्धिक संपदा (आईपी) व्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ स्थापित किया गया है। वर्तमान में, आरजीएनआईआईपीएम का प्राथमिक उद्देश्य आईपी अधिकारियों व विभिन्न प्रकार के हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करना एवं आईपीआर विषय पर जागरूकता पैदा करना है। समस्त उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों की आंतरिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करना व उन्हें पूरा करना तथा बौद्धिक सम्पदा कार्यालय के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, तथा न्यायिक प्रशिक्षण आयोजित करना,

- विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों आदि में बौद्धिक सम्पदा जागरूकता पैदा करने और प्रशिक्षित आईपी जनशक्ति का सृजन करने के लिए सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति के उद्देश्यों को लागू करना,
- आईपी व्यावसायिकों, आईपी प्रबंधकों, अनुसंधान एवं विकास वैज्ञानिकों, सरकारी संस्थान व व्यक्तियों आदि जैसे आईपी उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना,
- बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) पर अल्पकालिक अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना,
- आईपी उपयोगकर्ताओं जिनमें विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थान और विभिन्न संगठन शामिल हैं उनके बीच आईपी प्रणाली की सामान्य जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना,
- उपयोक्ता समुदायों, सरकारी कर्मियों और बौद्धिक सम्पदा अधिकार के सृजन, वाणिज्यिकरण और प्रबंधन में शामिल हितधारकों को आधारभूत शिक्षा प्रदान करना,
- देश में सभी प्रकार के बौद्धिक सम्पदा हितधारकों के लिए स्वयं व प्रमुख संस्थानों के साथ मिलकर बौद्धिक सम्पदा अधिकार के प्रशिक्षण और शिक्षण की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।

2. आरजीएनआईआईपीएम में प्रशिक्षण कार्यक्रम:

आरजीएनआईआईपीएम बौद्धिक संपदा अधिकारों, अर्थात पेटेंट, डिजाइन, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन एवं कॉपीराइट (प्रतिलिप्याधिकार) आदि विषयों पर पेटेंट और अन्य आईपीआर प्रणालियों के वास्तविक और संभावित उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्यावसायिक, स्टार्ट-अप, विधि-व्यावसायिक, भावी पेटेंट/आईपीआर अभिकर्ता, वैज्ञानिक/ तकनीकी/ अनुसंधान एवं विकास संगठन, लघु व मध्यम उद्यमी, विश्वविद्यालय व्यावसायिक, छात्र, केंद्रीय/राज्य सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के व्यावसायिक, वैयक्तिक आविष्कारक व इच्छुक जनता आदि भाग लेते हैं।

आरजीएनआईआईपीएम निम्नलिखित के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है:

- नवनियुक्त बौद्धिक सम्पदा कार्यालय के अधिकारी (पेटेंट, व्यापार चिह्न आदि),

- बौद्धिक सम्पदा कार्यालय के अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम,
- बौद्धिक सम्पदा कार्यालय के अधिकारियों के लिए विधायी प्रशिक्षण,
- बौद्धिक सम्पदा पर अल्पकालिक सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम,
- संस्थानों, संगठनों , आईपीआर से संबन्धित संगठनों के लिए बौद्धिक सम्पदा विषय पर कार्यशालाएँ/ जागरूकता कार्यक्रम/ संगोष्ठियाँ,
- वायपो व अन्य संगठनों के साथ संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।

3. 2019-20 के दौरान उपलब्धियां

इस वर्ष में, नए भर्ती किए गए परीक्षक एकस्व एवं अभिकल्प के लिए बुनियादी व प्रवेश प्रशिक्षण पर विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त, वायपो के सहयोग से 3 अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम, अर्थात आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर में वायपो के सहयोग से वायपो-इंडिया समर स्कूल; वायपो-इंडिया पेटेंट सर्च एंड एक्जामिनेशन फॉर एशियन कंट्रीज़ तथा पेटेंट सरचिंग एंड एक्जामिनेशन ऑन सेंट्रलाइज्ड एक्सेस टू सर्च एंड एक्जामिनेशन पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, एसोचम के सहयोग से परीक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई।

विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा, आरजीएनआईआईपीएम द्वारा 2019-20 के दौरान आईपीआर विषय पर अनेक सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष में, आरजीएनआईआईपीएम ने विभिन्न अवधि के कुल 95 कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें रक्षा अधिकारियों के लिए 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

2015-16 से 2019-20 तक सार्वजनिक कार्यक्रम का विवरण

वर्ष	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम व अवधि										प्रतिभागी	कार्यक्रमों की कुल संख्या
	सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम						विभागीय प्रशिक्षण		अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम	सार्वजनिक संगोष्ठियाँ / कार्यशाला / जागरूकता कार्यक्रम		
	1 दिन	2 दिन	3 दिन	5 दिन	6 दिन	2 सप्ताह	6 सप्ताह	1-21 दिन				
2015-16	7	12	7	5	--	--	--	1	1	20	2293	53
2016-17	31	8	--	8	1	--	4	--	5	42 (3+39)	6177	99
2017-18	24	12	8	9	10	--	1	1	2	27 [26+1]	3021	94
2018-19	16	14	3	4	6	2	-	6	2	39	5763	92
2019-20	14	14	10	3	6	2	1	1	3	41 [31 + 9+1]	5655	95

4. संकाय के सदस्य:

प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संकाय सदस्य के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय, डिजाइन स्कन्ध, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री व कॉपीराइट कार्यालय के बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर विशेषज्ञ थे तथा देश के जाने-माने विभिन्न प्रसिद्ध संगठनों जिसमें आईपी न्यायवादी (अटर्नी), आईपी विशेषज्ञ आदि शामिल हैं वे थे।

5. 2019-20 के दौरान आरजीएनआईआईपीएम द्वारा कार्यक्रमों का विवरण:

क. **विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम:**

i) वर्ष के दौरान नए भर्ती हुए परीक्षक एकस्व एवं अभिकल्प के लिए विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसमें 181 नए परीक्षकों ने नागपुर के आरएनजीएनआईपीएम में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम को दो खंडों में विभाजित किया गया था, अर्थात बुनियादी प्रशिक्षण तथा प्रवेश प्रशिक्षण। बुनियादी व प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम इस तरह से बनाए गए थे कि परीक्षक अपने संबंधित कार्यालयों में प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम हों। प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने पर सभी नए भर्ती किए गए परीक्षक पेटेंट कार्यालय के संबंधित स्थानों पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।

ii) प्रशिक्षणार्थी परीक्षक एकस्व एवं अभिकल्प के लिए प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण 4 माह के लिए आयोजित किया गया है, जिसके दौरान आईपीओ के विशेषज्ञों (अर्थात एकस्व एवं अभिकल्प के वरिष्ठ परीक्षकों व नियंत्रकों) ने पेटेंट आवेदनों के परीक्षण पर कार्य प्रशिक्षण प्रदान किया है।

iii) इसके अतिरिक्त, असोचम के सहयोग से 2 दिसंबर, 2019 को परीक्षक एकस्व एवं अभिकल्प के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। श्री हरदीप सैनी, वरिष्ठ निदेशक, क्वालकोम, श्री वी क्वान, हुआवे और एरिक्सन के श्री नानजानसूद नरेंद्र उक्त कार्यक्रमों के लिए अतिथि वक्ता थे।

बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम

ख. सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम:

i] एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम:

1-दिवसीय कार्यक्रम में आईपीआर का संक्षिप्त परिचय, पेटेंट योग्य होने के मापदंड, पेटेंट कार्यवाही, पेटेंट खोज सूचना और पेटेंट विनिर्देश का मसौदा तैयार करना तथा आईपी लाइसेंसिंग, समनुदेशन, प्रवर्तन, आदि विषयों पर प्राथमिक जानकारी शामिल है।

ii] दो/तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम:

2/3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान, बौद्धिक सम्पदा अधिकार का महत्व, पेटेंट योग्य होने के मापदंड, पेटेंट आवेदनों के प्रकार, पेटेंट आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया, अनंतिम एवं पूर्ण विनिर्देश, पेटेंट विनिर्देश का लेख, फॉर्म व फीस, ई-फाइलिंग, पीसीटी प्रक्रिया आदि विषय होते हैं। तीन दिन के प्रशिक्षण में, पेटेंट विनिर्देश व्यवहार, दावा मसौदा तैयार करने और उनकी व्याख्या, पेटेंट आवेदन दाखिल करने के व्यवहार और अन्य दस्तावेज भी शामिल किए गए हैं, उन पर विशेष जोर दिया जाता है।

iii] पाँच/छः दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम:

यह कार्यक्रम पेटेंट प्रणाली के सभी पहलुओं पर विस्तार से ध्यान केंद्रित करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम इच्छानुसार 1/2/3/5 दिवसीय कार्यक्रमों में विभाजित करके भी आयोजित किया जाता है; जिससे यदि कोई अपनी रुचि के विषय के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना चाहे, तो वह दिनों का चयन कर सकता है। पेटेंट प्रणाली के सभी प्रमुख पहलू, अर्थात बौद्धिक सम्पदा अधिकार का परिचय, आईपी प्रबंधन, पेटेंट योग्य होने के मापदंड, पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया, प्रकाशन, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य व आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया, पेटेंट विनिर्देश का लेख व दावे, पेटेंट विनिर्देश का प्रारूपन, विरोध, उल्लंघन, लाइसेंस, पेटेंट खोज आदि विषय इस कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाते हैं।

iv] 2-सप्ताह का उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम:

यह विशेष रूप से तैयार किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम उन व्यावसायिकों के लिए है जो आईपी के क्षेत्र में अपनी जीविका को आगे बढ़ाने की इच्छुक हैं। यह विशेषज्ञ संकाय की मदद से आईपीआर के सभी पहलुओं पर उनकी धारणा को स्पष्ट करने में उनकी मदद करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में सभी बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) जैसे पेटेंट, डिज़ाइन, व्यापर चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन व कॉपीराइट आदि शामिल हैं, जिसमें भारत और विदेश में आवेदन दाखिल करना, पीसीटी अंतरराष्ट्रीय आवेदनों का प्रसंस्करण, पेटेंट विनिर्देश और दावे, विरोध, उल्लंघन, लाइसेंस, आईपीआर का वाणिज्यीकरण, आईपी प्रबंधन, आईपी खोज अभ्यास आदि शामिल हैं।

v) रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

पिछले कुछ वर्षों से रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रृंखला आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर में आयोजित की जा रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य उन्हें आईपी दाखिल करने व प्रक्रिया के विषय में जागरूक करना हैं और उनके आईपी के संरक्षण के लिए संगठन को प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष भी इस प्रकार के कुल 5 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

ग. अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण - वायपो-इंडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम:

आरजीएनआईआईपीएम ने वायपो के सहयोग से तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

i) वायपो इंडिया 2 सप्ताह समर स्कूल:

जून 17-28, 2019 के दौरान, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नागपुर के सहयोग से आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर में वायपो इंडिया दो सप्ताह समर स्कूल आयोजित किया गया जिसमें से यह प्रथम 2 सप्ताह के लिए समर स्कूल कार्यक्रम था, जहां कुल 62 प्रतिभागी थे जिसमें विदेशी कार्यालयों के प्रतिभागियों को मिलाकर कुल 66 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ii) एशियाई देशों के लिए वायपो भारत पेटेंट खोज कार्यक्रम:

वायपो के सहयोग से एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम 4-8 नवंबर, 2019 के दौरान आईपीओ दिल्ली में आरजीएनआईआईपीएम द्वारा एशियाई देशों के पेटेंट परीक्षकों के लिए "पेटेंट खोज व परीक्षण" विषय पर आयोजित किया गया, जिसमें कुल 22 प्रतिभागियों (12 विदेशी और 10 भारतीय पेटेंट परीक्षक) ने भाग लिया है।

iii) वायपो-इंडिया सेंट्रलाइज्ड एक्सैस टू सर्च एंड एक्ज़ामिनेशन (सीएएसई) कार्यशाला:

वायपो के सहयोग से आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर में 21-22 जनवरी, 2020 के दौरान एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 88 परीक्षकों ने भाग लिया।

समर स्कूल

एशियाई परीक्षक कार्यक्रम

WIPO-INDIA TRAINING COURSE
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)
In Collaboration with
RAJIV GANDHI NATIONAL INSTITUTE OF INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT (RGNIIPM)

सीएएसई कार्यशाला

घ. बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) पर कार्यशाला(एं):

वर्ष 2019-20 के दौरान, आरजीएनआईआईपीएम ने विभिन्न शैक्षिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संगठनों के लिए आईपीआर और पेटेंट प्रक्रियाओं पर प्रचार और जागरूकता के लिए 41 कार्यशालाओं का आयोजन किया है। ऐसी कार्यशालाओं से कुल 4350 प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं।

ङ. आरजीएनआईआईपीएम में आयोजित अन्य कार्यक्रम

i) विश्व बौद्धिक सम्पदा दिवस

आरजीएनआईआईपीएम में वीआईए और आर2आई, नागपुर के साथ संयुक्त रूप से 26 अप्रैल, 2019 को विश्व बौद्धिक सम्पदा दिवस मनाया गया, जिसमें उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के छात्र और आईपी उपयोगकर्ता उपस्थित थे।

II) आईपी नवाचार दीर्घा (आईपी इन्नोवेशन गैलरी):

आरजीएनआईआईपीएम परिसर में आईपी इनोवेशन गैलरी का आयोजन किया गया। मुख्य उद्देश्य आईपी मॉडल / रोलअप स्टैंडी को प्रदर्शित करके बौद्धिक सम्पदा (आईपी) जागरूकता की रचना था, ताकि आगंतुक नए नवाचारों से लाभान्वित हों और भविष्य में उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित हों।

iii) स्कूल में प्रायोजित कार्यक्रम:

18 जनवरी, 2020 को सोमालवार मा उमिया स्कूल, नागपुर में आविष्कारों / नवाचारों के संरक्षण के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 120

स्कूली छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन), प्रश्नोत्तरी, स्कूल परियोजनाओं का प्रस्तुतीकरण आदि गतिविधियाँ शामिल थीं।

विश्व आईपी-दिवस

आईपी नवाचार दीर्घा

स्कूल कार्यक्रम

6. पेटेंट सूचना पद्धति:

1980 में भारत सरकार ने नागपुर में, पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस) कार्यालय की स्थापना विश्व स्तर पर पेटेंट विनिर्देशों और पेटेंट से संबंधित साहित्य का विशद् संकलन बनाए रखने ताकि अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, उद्योगों, व्यवसायी उद्यमों, आविष्कारकों और भारत के अन्य उपयोक्ताओं की प्रौद्योगिकीय सूचना की आवश्यकता को पूरा करने व पेटेंट में निहित प्रौद्योगिकी सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की। पीआईएस कार्यालय में उपलब्ध पेटेंट दस्तावेजों की प्रतिलिपि उपयोगकर्ताओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान करने की सेवा प्रदान करता है।

MAKE IN INDIA
MAKE IN INDIA

(सीजीपीडीटीएम - जेपीओ, कार्य योजना पर हस्ताक्षर)

2. स्वीडिश इंटलेक्चुयल प्रॉपर्टी ऑफिस:

स्वीडिश बौद्धिक संपदा कार्यालय (स्वीडिश आईपीओ) और डीपीआईआईटी के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के प्रावधानों के अनुसार, वायपो महासभा के 51वें सत्र के अवसर पर कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न और स्वीडिश आईपीओ के बीच एमओयू के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए।

(सीजीपीडीटीएम - स्वीडिश पीआरवी, कार्ययोजना पर हस्ताक्षर)

3. इंटलेक्चुयल प्रॉपर्टी ऑफिस ऑफ द यूनाइटिड किंग्डम:

डीपीआईआईटी और यूकेआईपीओ के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार दिसंबर 2019 के माह में कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न और इंटलेक्चुयल प्रॉपर्टी ऑफिस ऑफ द यूनाइटिड किंग्डम (यूकेआईपीओ) के बीच एक नई कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यालयों ने कार्य योजना के तहत गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा की।

4. श्री ओ.पी. गुप्ता, महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न

5. डॉ आशीष कुमार, वरिष्ठ विकास अधिकारी, डीपीआईआईटी

6. डॉ. राजेश दीक्षित, उप नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प

7. श्री समीर कुमार स्वरूप, उप नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प

8. श्री एस.डी. ओझा, उप पंजीकार व्यापर चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन

INDE
IRAN
INDE
September 30, 2019
Plenary Session
will start at
10:00 am CEST

(वायपो महासभा के 51वें सत्र के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल - 2019)

6. वायपो महासभा में द्विपक्षीय सहचर बैठकें:

जिनेवा में वायपो मुख्यालय में सितंबर-अक्टूबर 2019 माह के दौरान आयोजित वायपो महासभा के 51वें सत्र के मौके पर, अन्य देशों के आईपी कार्यालयों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की गईं और जिनमें निम्नलिखित भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया:

1. श्री ओ.पी.गुप्ता, महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न
2. डॉ. आशीष कुमार, वरिष्ठ विकास अधिकारी, डीपीआईआईटी
3. डॉ. राजेश दीक्षित, उप नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प
4. श्री समीर कुमार स्वरूप, उप नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प
5. श्री एस.डी.ओझा, उप पंजीकार व्यापर चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन

निम्नलिखित आईपी कार्यालयों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की गईं:

1. अफ्रीकन इंटलेक्चुयल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइज़ेशन (ओएपीआई)

2. कनाडा (सीआईपीओ)
3. डेनमार्क (डीकेपीटीओ)
4. ईयूआईपीओ
5. फ्रांस (आईएनपीआई)
6. जापान (जेपीओ)
7. मेक्सिको (आईएमपीआई)
8. कोरिया गणराज्य (केआईपीओ)
9. स्वीडन (पीआरवी)
10. यूनाइटिड किंग्डम (यूकेआईपीओ)

(ओएपीआई- अफ्रीकन इंटलेक्चुयल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइज़ेशन)

(आईएनपीआई, फ्रांस)

(स्वीडन का बौद्धिक सम्पदा कार्यालय)

(जेपीओ, जापान)

(आईएमपीआई, मेक्सिको)

(केआईपीओ, कोरिया गणराज्य)

(यूकेआईपीओ)

7. पीसीटी कार्यकारी समूह:

11 जून से 14 जून, 2019 तक वायपो, जिनेवा में आयोजित पीसीटी कार्यकारी समूह के बारहवें सत्र में, भविष्य में आवश्यकतानुसार प्रशासनिक निर्देशों को अद्यतन करने के लिए नियमों में प्रावधानों को अनुमति देने के लिए लचीलापन रखते हुए, अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो के माध्यम से फीस अंतरण करने के लिए स्पष्ट आधार प्रदान करके कानूनी ढांचा तैयार करने का समर्थन किया गया। विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों के विश्वविद्यालयों के आवेदकों के लिए पीसीटी शुल्क में कटौती का ब्राजील के प्रस्ताव का भी सैद्धांतिक रूप में समर्थन किया गया।

सभी आवेदकों को उनके अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के खोज एवं परीक्षण के लिए सभी अंतरराष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरणों (आईएसए / आईपीईए) में से किसी एक को चुनने के लिए सक्षम बनाने के लिए कार्य समूह के विचारार्थ भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया। विद्यमान प्रणाली के तहत, पीसीटी करार राज्य का आवेदक सभी अंतरराष्ट्रीय खोज प्राधिकरणों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकता है। विद्यमान प्रणाली के तहत, प्रत्येक प्राप्तकर्ता कार्यालय (आरओ) को अंतरराष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरणों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है, जो उनके आवेदकों द्वारा ऐसे कार्यालय में दाखिल अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के खोज और परीक्षण के लिए सक्षम हों, जो आवेदकों के लिए उपलब्ध विकल्प को सीमित करता है। प्रस्ताव का उद्देश्य प्रक्रिया को सरल बनाना और आवेदक को अधिक विकल्प उपलब्ध कराना था।

8. पेटेंट विधि पर स्थायी समिति (एससीपी):

जिनेवा में 24 से 27 जून, 2019 तक आयोजित एससीपी के तीसवें सत्र में, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व कला, नवीनता, आविष्कारशील कदम, प्रकटीकरण, बहिष्कार और अपवादों और अधिकारों की सीमाओं के महत्वपूर्ण पहलुओं पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पेटेंट विधि के संकलन का समर्थन किया, बशर्ते कि इस तरह के संकलन सहस्वर्ता पर जोर न दें। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने यह भी प्रस्ताव दिया कि इस प्रकार के दावों के परीक्षण के साधनों को सुदृढ़ बनाने के लिए एससीपी में मार्कुश दावों पर अधिक अध्ययन किया जाए। पेटेंट की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद के लिए विपक्षी प्रणालियों पर एक अध्ययन आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा गया। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि पेटेंट प्रणाली को सार्वजनिक स्वास्थ्य और जनता तक कम कीमत पर दवाओं की पहुंच के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए।

9. पेटेंट सहयोग संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरणों की बैठक:

6 फरवरी और 7 फरवरी, 2020 को गेत्न्यु में आयोजित पेटेंट सहयोग संधि के तहत अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरणों (एमआईए) की बैठक के सत्ताईसवें सत्र में, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने एमआईए के विचारार्थ प्रस्ताव पेश किया, जिसमें सभी आवेदकों को उनके अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के खोज और परीक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरणों (आईएसए/आईपीईए) में से किसी एक को चुनने के लिए सक्षम बनाकर आवेदकों के लिए अन्य विकल्पों की पेशकश करने की मांग की गई। यह प्रस्ताव पीसीटी कार्यकारी समूह के बारहवें सत्र में भी प्रस्तुत किया गया।

10. व्यापार चिह्न, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक उपदर्शन विधि पर स्थायी समिति:

8 से 11 अप्रैल, 2019 को जिनेवा में आयोजित, व्यापार चिह्न, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक उपदर्शन विधि पर स्थायी समिति (एससीटी) के चालीसवें सत्र में, पेरिस समझौते के अनुच्छेद 11 के कार्यान्वयन के बारे में और "आधिकारिक या आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों" की व्याख्या कैसे की जाए, यह जानकारी संकलन के उद्देश्य से सदस्य राज्यों के बीच सर्वेक्षण का समर्थन किया गया।

11. कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों पर स्थायी समिति:

जिनेवा में 1 से 5 अप्रैल, 2019 तक कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों पर स्थायी समिति (एससीसीआर) के तीसवें सत्र में , भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सिग्नल-आधारित ट्रांसमिशन दृष्टिकोण के लिए समर्थन व्यक्त किया और मूलभूत मुद्दों पर सभी सदस्य राज्यों की चिंताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए मसौदा पाठ को अधिक संतुलित और स्वीकार्य बनाने के लिए और प्रसारण संगठनों की सुरक्षा के लिए संतुलित संधि को शीघ्र अंतिम रूप देने का भी समर्थन किया। इसके अलावा, शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों और अन्य विकलांग व्यक्तियों के लिए सीमाओं और अपवादों से संबंधित कार्यसूची मद पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि शिक्षा का अधिकार और सूचना का उपयोग संस्कृति, विज्ञान और शिक्षा के संवर्धन में प्रगति के लिए महत्वपूर्ण तत्व हैं और पुस्तकालयों और अभिलेखागार के लिए और शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों के लिए और अन्य विकलांग व्यक्तियों के लिए सीमाएं और अपवाद सभी व्यक्तियों के साथ-साथ समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

12. ब्रिक्स:

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक "ब्रिक्स आईपीआर कोपरेशन रोडमैप" कार्यक्रम के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी (आईएनपीआई) ब्राज़ील ने ब्रिक्स एचआईपीओ की अध्यक्षता की। अक्टूबर 2019 में आईएनपीआई - ब्राजील की अध्यक्षता में 59वें वायपो महासभा के दौरान जिनेवा, स्विटज़रलैंड में ब्रिक्स एचआईपीओ की बैठक हुई और इसमें उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ ब्राज़ील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका के आईपी कार्यालयों के प्रमुखों ने भाग लिया। श्री ओ पी गुप्ता, महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न ने ब्रिक्स एचआईपीओ बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठकों के दौरान, ब्रिक्स आईपी कार्यालयों ने सहयोग गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की और वायपो सामयिक मुद्दों से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की। वायपो महासभा के दौरान , ब्रिक्स देशों ने कार्यक्रम और बजट समिति और बौद्धिक संपदा विकास पर समिति (सीडीआईपी) के मामले में 2 संयुक्त बयान भी दिए।

फरवरी 2020 में रियो-डी-जेनेरो में, आईएनपीआई- ब्राजील ने अपनी अध्यक्षता में व्यापार चिह्न पर पहली बार 'ब्रिक्स परीक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम' का आयोजन किया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सीजीपीडीटीएम-भारत' कार्यालय की सुश्री शिखा दीवान और सुश्री सारिका कदम दोनों 'परीक्षक व्यापार चिह्न' के साथ-साथ ब्राज़ील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के आईपी कार्यालयों से अन्य परीक्षकों ने

भाग लिया। फरवरी 2020 में, रियो-डि-जेनेरो ब्राज़ील में, 'ब्रिक्स आईपी कोऑर्डिनेशन ग्रुप मीटिंग' भी आयोजित की गई और श्री सूबेन्दु कुंडू, उप नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प बैठक में शामिल हुए। ब्रिक्स हिप्पो बैठक की प्रारम्भिक बैठक के भाग के रूप में, ब्रिक्स आईपी कार्यालयों में मध्यम, लघु और सूक्ष्म आकार के उद्‌यमों, डाटा विनिमय और सूचना सेवाओं की आईपी रणनीति के मुद्‌दों, अति-सघन पेटेंट आवेदनों का प्रबंधन, डिजिटलीकरण के मुद्‌दों पर संभावित सहयोग तथा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग को सुदृढ़ करने के मुद्‌दों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। ब्रिक्स आईपी कार्यालयों ने वायपो में पीसीटी के भारतीय प्रस्ताव पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया, जिसमें आवेदकों द्‌वारा आईएसए/ आईपीईअए के चयन के संबंध में, वायपो के मानक और वायपो बैठकों से संबंधित अन्य सामयिक मुद्‌दे जैसे एससीपी आदि शामिल थे।

आईएनपीआई- ब्राज़ील अध्यक्षता के तहत अंतिम 12वीं ब्रिक्स एचआईपीओ की बैठक मार्च 2020 में रियो-डी-जेनेरो, ब्राज़ील में होने वाली थी, परंतु कोविड-19 महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया।

1. विश्वविद्यालय जैसे विधि विश्वविद्यालय/तकनीकी संस्थान/महिला विश्वविद्यालय
2. प्रवर्तन एजेंसी
3. नवाचार केंद्र/स्टार्ट अप/ सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम
4. विद्यालय

वर्ष के दौरान कुल 102 कार्यक्रम आयोजित किए गए जो नीचे दिए गए हैं:

1	विश्वविद्यालय	35
2	नवाचार केंद्र व स्टार्ट अप, औद्योगिक समूह, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम(एमएसएमई)	14
3	प्रवर्तन एजेंसी	05
4	विद्यालय	48
5	**कुल**	**102**

3. 2019-20 में बौद्धिक सम्पदा-जागरूकता कार्यक्रम:

i) अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बौद्धिक संपदा और नवाचार प्रबंधन पर जागरूकता का निर्माण करने के उद्देश्य से, वर्ष 2019-20 में औद्योगिकी संगठनों के साथ 54 कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। जहां कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, उन हितधारकों की सूची निम्नवत है:

औद्योगिक संगठन	आयोजित कार्यक्रम			
	विश्वविद्यालय/तकनीकी संस्थान/महिला विश्वविद्यालय	स्टार्टअप/नवाचार केंद्र/एमएसएमई/ औद्योगिक समूह	प्रवर्तन एजेंसी	कुल
सीआईआई	05	02	00	07
पीएचडी चैम्बर	08	03	01	12
सीडबल्यूईआई	08	02	01	11
एफ़आईसीसीआई	02	00	00	02
एसोचेम	08	04	01	12
आईसीसी	05	03	01	10
कुल	36	14	04	54

ii. पेटेंट कार्यालय द्वारा विद्यालयों में आयोजित आईपीआर जागरूकता कार्यक्रमों का सारांश इस प्रकार है।

पेटेंट कार्यालय का नाम	प्रत्येक पेटेंट कार्यालय द्वारा विद्यालयों/ अटल टिंकरिंग लैब्स में आयोजित कार्यक्रम
कोलकाता	15
मुंबई	15
चेन्नई	15
नई दिल्ली	02
आरजीएनआईआईपीएम	01
कुल	48

अतः, वर्ष 2019-20 में सीजीपीडीटीएम कार्यालय द्वारा कुल 102 जागरूकता कार्यक्रम और बर्हि-क्रियाकलाप गतिविधियों का आयोजन किया गया है।

4. भारत और विदेश में अंतरराष्ट्रीय मंच पर बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिकारियों की भागीदारी

क्रम सं.	प्रशिक्षण / सेमिनार / कार्यशाला / कार्यक्रम में भाग लिया	देश जिसका दौरा किया गया	अधिकारियों की संख्या जिन्होंने भाग लिया
1.	वायपो-एनआईपीओ पेटेंट गुणवत्ता कार्यक्रम ओस्लो 25 मार्च 2019 - 5 अप्रैल 2019 (12 दिन)	नॉर्वे	1
2.	1-5 अप्रैल, 2019 तक कॉपीराइट व संबंधित अधिकार (एससीसीआर) पर वायपो की स्थायी समिति का 38वां सत्र	जेनेवा	1
3.	8-9 अप्रैल, 2019 तक बौद्धिक संपदा पर आरसीईपी कार्य समूह के भौगोलोक उपदर्शन पर अनौपचारिक मंथन बैठक	सिंगापुर	1
4.	वियना, में 11-12 अप्रैल, 2019 तक ईस्ट मीट्स वेस्ट	वियना, ऑस्ट्रिया	1
5.	14-16 अप्रैल, 2019 तक स्टेलेनबोश, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स एचआईपीओ बैठक	दक्षिण अफ्रीका	2
6.	08-11 अप्रैल 2019 तक व्यापार चिह्न, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक उपदर्शन (एससीटी) के विधान पर वायपो की स्थायी समिति का 41वां सत्र	जेनेवा	1

7.	"भविष्य का आईपीओ" -19 और 20 मई, 2019 को बोस्टन, मैसाचुसेट्स, यूएसए में आईएनटीए की वार्षिक बैठक के दौरान विशेषज्ञ समूह की बैठक	बोस्टन, यूएसए	1
8.	25-29 मई, 2019 तक बैंकॉक, थाईलैंड में 5वीं अंतर्सत्रीय आरसीईपी बैठक व संबंधित बैठकें	बैंकॉक, थाईलैंड	1
9.	"20वीं ब्रिक्स सीजीईटीआई बैठक" में भाग व भारत सरकार का प्रतिनिधित्व 29-30 मई 2019 तक ब्राजील में वार्ता।	ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील	1
10.	11 से 14 अप्रैल, 2019 तक जिनेवा में वायपो मुख्यालय में आयोजित पीसीटी कार्यकारी समूह का 12वां सत्र	जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड	1
11.	24-27 जून, 2019 तक वायपो, जेनेवा में पेटेंट विधान पर वायपो की स्थायी समिति (एससीपी) का 30वां सत्र	जेनेवा	1
12.	समर स्कूल सीईआईपीआई, स्ट्रैसबॉर्ग, 2019 में 01.07.2019 से 12.07.2019 तक फ्रांस में भागीदारी	स्ट्रैसबॉर्ग, फ्रांस	1
13.	1 से 5 जुलाई, 2019 तक जेनेवा में वायपो स्टैंडर्ड्स पर समिति (सीडबल्यूएस) का 7 वां सत्र	जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड	1
14.	22-26 जुलाई, 2019 तक जिनेवा में कानूनी विकास पर कार्यदल के 17 वें सत्र में भागीदारी	जेनेवा	1
15.	05/08/2019 से 09/08/2019 तक 2019 के लिए सार्वजनिक जागरूकता के लिए जेपीओ/आईपीओ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	जापान, टोक्यो	2
16.	20 से 29 अगस्त, 2019 तक अकादमिक-उद्योग सहयोग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जेपीओ/आईपीआर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	जापान, टोक्यो	2
17.	26 से 29 अगस्त 2019 तक वायपो एस्पेक हैड्स ऑफ आईपी ऑफिस कॉन्फ्रेंस (एचआईपीओसी) और जीएफ़आईपी में भागीदारी	सिंगापुर	1
18.	27-30 अगस्त 2019 को ब्राजील के ब्राजीलिया में आर्थिक और व्यापार मुद्दों (सीजीईटीआई) पर ब्रिक्स संपर्क समूह की 21वीं बैठक में भागीदारी	ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील	1
19.	टीआईएससी को राष्ट्रीय और संस्थागत नीतिबद्ध ढांचे में एकीकृत करने के लिए वायपो की अंतर्राज्यीय बैठक - बीजिंग (2 और 3 सितंबर, 2019)	बीजिंग, चीन	1
20.	आसियान और सार्क सदस्य राज्यों के लिए पीसीटी क्षेत्रीय सेमिनार एक्सचेंज के लिए पीसीटी प्रणाली और फोरम का बढ़ा उपयोग वायपो, सिंगापुर कार्यालय 3 से 5 सितंबर, 2019	सिंगापुर	1

21.	2 सितंबर से 6 सितंबर 2019 तक दक्षिण कोरिया में कोरियाई बौद्धिक संपदा कार्यालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण और संवर्धन कार्यक्रम में भागीदारी	दक्षिण कोरिया	5
22.	9 से 13 सितंबर, 2019 तक टोक्यो, जापान में बौद्धिक संपदा सेमिनार	टोक्यो, जापान	2
23.	औषधियों और बौद्धिक संपदा अधिकारों तक पहुँच पर क्षेत्रीय कार्यशाला - जकार्ता, 18-19 सितंबर 2019	जकार्ता, इंडोनेशिया	1
24.	18 सितंबर से 8 नवंबर, 2019 से प्रारम्भ जेपीओ / आईपीआर ऑपरेशनल पेटेंट परीक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (ओपीईटी)	जापान, टोक्यो	2
25.	टोक्यो, जेपीओ में 19 से 26 सितम्बर 2019 तक पेटेंट परीक्षण प्रबंधन पर जेपीओ/आईपीआर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम - के संबंध में	जापान, टोक्यो	2
26.	30 सितंबर 2019 से 4 अक्टूबर 2019 तक जिनेवा में आयोजित वायपो महासभा की 59वीं श्रृंखला, ब्रिक्स एचआईपीओ बैठक और द्विपक्षीय बैठकें	जेनेवा	2
27.	जिनेवा में 30 सितंबर से 9 अक्टूबर, 2019 तक आयोजित असेम्बलीज़ ऑफ द मेम्बर स्टेट्स ऑफ वायपो सेशन ऑफ द पेटेंट कोपरेशन ट्रीटी पीसीटी यूनियन असेंबली की 59वीं शृंखला - के संबंध में	जेनेवा	1
28.	30-09-2019 से 9-10-2019 तक जिनेवा में आयोजित मीटिंग्स ऑफ द असेम्बलीज़ ऑफ द मेम्बर स्टेट्स ऑफ वायपो इंक्लुडिंग द सेशन ऑफ द मैड्रिड यूनियन असेंबली की उनसठवीं शृंखला	जेनेवा	1
29.	टोक्यो, जेपीओ में 3-9 अक्टूबर, 2019 तक आयोजित पेटेंट परीक्षण दिशानिर्देशों की स्थापना पर जेपीओ/आईपीआर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	जापान, टोक्यो	2
30.	22-23 अक्टूबर 2019 तक ब्राजील के ब्राज़ीलिया में आर्थिक और व्यापार मुद्दों (सीजीईटीआई) पर ब्रिक्स संपर्क समूह की 22वीं बैठक	ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील	1
31.	जेपीओ/आईपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम वित वर्ष 2019 (भारत के लिए) के तहत 06.11.2019 से 12.11.2019 तक टोक्यो, जेपीओ में आयोजित सूचना प्रौद्योगिकी पर जेपीओ / आईपीआर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कार्यक्रम	जापान, टोक्यो	1
32.	18 से 22 नवंबर, 2019 तक वायपो मुख्यालय जिनेवा में आयोजित विकास और बौद्धिक संपदा पर समिति (सीडीआईपी) पर चौथा सत्र।	जेनेवा	1

33.	21 नवंबर से 3 दिसंबर, 2019 तक जेपीओ, टोक्यो, जापान में आयोजित व्यापार चिह्न के मौलिक परीक्षण के लिए जेपीओ / आईपीआर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	टोक्यो, जापान	1
34.	2 से 3 दिसंबर, 2019 तक आयोजित घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (आईपी) पंजीकरण प्रणाली के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों पर क्षेत्रीय कार्यशाला	सिंगापुर	2
35.	3 और 5 फरवरी, 2020 को एमआईए गुणवत्ता उपसमूह और 6 और 7 फरवरी, 2020 को पीसीटी (पीसीटी / एमआईए) के तहत अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरणों की बैठक का 27वां सत्र।	गेटन्यू, कनाडा	1
36.	10 से 14 फरवरी, 2020 में आयोजित 5वा आईपी ब्रिक्स परीक्षक प्रशिक्षण और 13 फरवरी से 14 फरवरी, 2020 तक 2020 आईपी ब्रिक्स समन्वय समूह की बैठक	ब्राज़ील	3

मानव संसाधन

परिचय

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न के अधीक्षण एवं प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत पेटेंट कार्यालय, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री, पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस)/ राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) अपनी गतिविधियाँ निष्पादित करते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, भारत सरकार द्वारा आवेदनों के परीक्षण व निपटान में पिछले शेष कार्य को कम करने के लिए एकस्व कार्यालय और व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री (परीक्षक और नियंत्रक/पंजीकार) में अतिरिक्त जनशक्ति की भर्ती के लिए कदम उठाए गए हैं।

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने 12वीं योजना के तहत "बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण" (एमएसआईपीओ) के लिए सीजीपीडीटीएम कार्यालय में 481 पदों (एकस्व कार्यालय के लिए 373 और व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के लिए 108) के सृजन को मंजूरी दी थी, जिसमें एकस्व परीक्षक के 252 पद, नियंत्रक के 76 पद (पर्यवेक्षी अधिकारी) और व्यापार चिन्ह परीक्षक के 62 पद शामिल हैं। इसके अनुसरण में, सीजीपीडीटीएम कार्यालय ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) के साथ एक समझौता किया जिसके अनुसार, 459 एकस्व परीक्षक जिसमें पूर्व में रिक्त अग्रेनीत पद शामिल है, की भर्ती फरवरी 2016 में प्रतियोगी परीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से पूरी की गई। चयनित उम्मीदवारों में से, 458 उम्मीदवारों ने एकस्व कार्यालय में परीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

31 मार्च, 2018 तक, पेटेंट कार्यालय में तकनीकी अधिकारियों की कार्य शक्ति 572 परीक्षक और 134 नियंत्रक है। परीक्षकों के सहायक नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प के पद पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप, पेटेंट कार्यालय में परीक्षकों की कार्य क्षमता कम होकर 449 हो गई और 31 मार्च, 2019 को नियंत्रकों की संख्या बढ़कर 246 हो गई।

भारत सरकार ने और कुशल सेवाओं के प्रदान हेतु कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न में और 362 पदों (219 पेटेंट कार्यालय के लिए व 143 व्यापार चिह्न कार्यालय के लिए) को स्वीकृत किया है। इसमें एकस्व परीक्षक के 84 पद व व्यापार चिह्न परीक्षक के 38 पद शामिल हैं।

एकस्व कार्यालय में परीक्षकों की भर्ती हेतु किए गए समझौते के अनुसार राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) ने अखिल भारतीय परीक्षा आयोजित की और परीक्षक एकस्व एवं अभिकल्प के विज्ञापित 220 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया, जिनमें से 181 उम्मीदवारों ने वर्ष 2019-20 के दौरान कार्यालय में प्रवेश किया।

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री में भी जनशक्ति की वृद्धि हुई। 31 मार्च, 2020 को व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री में 68 परीक्षक, 36 वरिष्ठ परीक्षक और 19 पंजीकार थे।

पेटेंट और व्यापार चिह्न में जनशक्ति की स्थिति नीचे दिए गए अनुलग्नकों में दर्शाई गई है।

विभिन्न बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों में मानव संसाधन:

1. **महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प व व्यापार चिह्न कार्यालय, मुंबई:**

31 मार्च, 2020 तक महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न कार्यालय के तहत अनुमोदित और नियोजित व कार्मिक शक्ति का विवरण:

क्र. सं.	**पदनाम**	संस्वीकृत कार्मिक संख्या	कार्यरत कार्मिक संख्या
1	महानियंत्रक	1	1
2	निजी सचिव	1	1
3	स्वागतकर्ता	1	1
4	स्टाफ कार ड्राइवर	1	1
5	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	1	0
	कुल	5	4

2. **पेटेंट कार्यालय में मानव संसाधन:**

पेटेंट कार्यालयों की कार्मिक शक्ति **परिशिष्ट-क** में दर्शायी गई है, जो चारों पेटेंट कार्यालयों में 31 मार्च, 2020 को संस्वीकृत कार्मिक संख्या के साथ-साथ कार्यरत कार्मिक संख्या की भी सूचना प्रदान करता है।

3. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में मानव संसाधन:

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की कार्मिक शक्ति **परिशिष्ट ख** में दर्शाई गई है, जो पांचों व्यापार चिह्न कार्यालयों में 31 मार्च, 2020 को संस्वीकृत कार्मिक संख्या के साथ-साथ कार्यरत कार्मिक संख्या की भी सूचना प्रदान करता है।

4. भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री में मानव संसाधन:

परिशिष्ट-ग भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री की 31 मार्च, 2020 को संस्वीकृत कार्मिक संख्या के साथ-साथ कार्यरत कार्मिक संख्या की भी सूचना प्रदान करता है।

5. पीआईएस/आरजीएनआईआईपीएम में मानव संसाधन:

31 मार्च, 2020 को पीआईएस / आरजीएनआईआईपीएम में संस्वीकृत कार्मिक संख्या के साथ- साथ कार्यरत कार्मिक संख्या का विवरण **परिशिष्ट-घ** में दिया गया है।

परिशिष्ट क

31 मार्च, 2020 तक पेटेंट कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारियों की कार्मिक शक्ति का विवरण

क्र. सं.	पद का नाम	वर्ग	संस्वीकृत कार्मिक संख्या					कार्यरत कार्मिक संख्या				
			कोलकाता	मुंबई	चेन्नई	दिल्ली	कुल	कोलकाता	मुंबई	चेन्नई	दिल्ली	कुल
1	वरिष्ठ संयुक्त नियंत्रक, एकस्व व अभिकल्प	समूह क	1	1	1	2	5	0	0	0	0	0
2	संयुक्त नियंत्रक, एकस्व व अभिकल्प	समूह क	3	2	3	3	11	0	2	1	2	5
3	निदेशक	समूह क	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
4	उप सचिव	समूह क	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
5	उप नियंत्रक, एकस्व व अभिकल्प	समूह क	14	8	14	15	51	14	6	14	13	47*
6	प्रधान व्यवस्था विश्लेषक	समूह क	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
7	सहायक नियंत्रक, एकस्व व अभिकल्प	समूह क	35	25	49	87	196	35	25	49	86	195
8	वरिष्ठ व्यवस्था विश्लेषक	समूह क	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
9	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	समूह क	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
10	परीक्षक, एकस्व व अभिकल्प	समूह क	154	37	128	292	673^	154	37	128	292	611*
11	सहायक निदेशक (राभा)	समूह क	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
12	वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी	समूह क	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
13	प्रशासनिक अधिकारी	समूह क	1	1	1	1	4	0	1	0	0	1
14	व्यवस्था विश्लेषक सह कंप्यूटर प्रोग्रामर	समूह क	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0
	कुल		**209**	**78**	**196**	**408**	**953**	**204**	**72**	**192**	**393**	**861**

1	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	समूह ख (राजपत्रित)	1	2	1	2	6	1	1	1	1	4
2	सहायक पुस्तकाध्यक्ष व सूचना अधिकारी	समूह ख (राजपत्रित)	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2
3	निजी सचिव	समूह ख (राजपत्रित)	1	1	1	1	4	1	0	1	0	2
4	वित्त अधिकारी	समूह ख (राजपत्रित)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
5	भंडार अधिकारी	समूह ख (राजपत्रित)	1	1	1	2	5	0	0	0	0	0
6	वरिष्ठ अनुवादक	समूह ख (राजपत्रित)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	कुल		**4**	**6**	**3**	**6**	**19**	**3**	**2**	**2**	**1**	**8**
1	कार्यालय अधीक्षक	समूह ख (अराजपत्रित)	26	14	14	22	76	25	12	10	11	58
2	पुस्तकालय एवं सूचना सहायक	समूह ख (अराजपत्रित)	1	1	1	2	5	0	0	0	1	1
3	क.हिन्दी अनुवादक	समूह ख (अराजपत्रित)	0	1	1	1	3	0	0	1	1	2
4	आशुलिपिक वर्ग-1	समूह ख (अराजपत्रित)	4	2	2	2	10	1	1	1	0	3
5	लेखाकार	समूह ख (अराजपत्रित)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
6	विधि सहायक	समूह ख (अराजपत्रित)	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0
	कुल		**32**	**20**	**19**	**28**	**99**	**26**	**13**	**12**	**13**	**64**
1	फोटोग्राफी सहायक	समूह ग	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4
2	प्रवर श्रेणी लिपिक	समूह ग	20	14	14	19	67	19	0	10	13	42

3	आशुलिपिक - वर्ग II	समूह ग	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2
4	डाटा इंट्री ऑपरेटर	समूह ग	1	4	0	5	10	1	3	0	5	9
5	स्वागतकर्ता	समूह ग	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
6	निम्न श्रेणी लिपिक	समूह ग	9	13	10	12	44	6	9	5	10	30
7	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	समूह ग	31	5	10	14	60	20	4	9	10	43
	कुल		**62**	**38**	**35**	**53**	**188**	**47**	**18**	**25**	**41**	**131**

* 1 उप नियंत्रक और 1 परीक्षक आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर में नियुक्त हैं

^ बाद में वितरण किया जाएगा

परिशिष्ट-ख

31 मार्च, 2020 तक व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के अधिकारी व कर्मचारियों की कार्मिक शक्ति का विवरण

क्र.सं.	पद का नाम	संस्वीकृत कार्मिक संख्या						कार्यरत कार्मिक संख्या					
	समूह 'क'	**मुम्बई**	**कोलकाता**	**चेन्नई**	**दिल्ली**	**अहमदाबाद**	**कुल**	**मुम्बई**	**कोलकाता**	**चेन्नई**	**दिल्ली**	**अहमदाबाद**	**कुल**
1	वरिष्ठ संयुक्त पंजीकार, व्यापार चिह्न व भौ. उ.	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	संयुक्त पंजीकार, व्यापार चिह्न व भौ.	2	1	1	1	0	5	1	0	0	0	0	1
3	उप पंजीकार, व्यापार चिह्न व भौ. उ.	6	2	2	4	1	15	3	2	1	2	1	9
4	सहायक पंजीकार, व्यापार चिह्न व भौ. उ.	10	2	5	10	4	31	3	0	2	1	1	7
5	वरिष्ट परीक्षक, व्यापार चिह्न व भौ. उ.	39	3	9	20	3	74	9	3	8	12	3	35
6	सहायक निदेशक (राभा)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
7	लेखा अधिकारी	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	कुल	59	8	17	36	8	128	16	05	11	16	5	53

क्र. सं.	पद का नाम	संस्वीकृत कार्मिक संख्या						कार्यरत कार्मिक संख्या					
		मुम्बई	कोलकाता	चेन्नई	दिल्ली	अहमदाबाद	कुल	मुम्बई	कोलकाता	चेन्नई	दिल्ली	अहमदाबाद	कुल
1	परीक्षक, व्यापार चिह्न व भौ.उ.	98	8	13	29	12	160 100*	39	5	4	12	5	65 80*
2	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	2	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0
3	सहायक पुस्तकालय व सूचना अधिकारी	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
4	निजी सचिव	2	0	1	0	0	3	2	0	1	0	0	3
5	भंडार अधिकारी	1	1	1	1	1	5	0	0	0	0	0	0
	कुल	**104**	**9**	**15**	**31**	**13**	**172 100***	**47**	**3**	**5**	**12**	**5**	**69 80***

* संविदा के आधार पर परीक्षक, व्यापार चिह्न

क्र. सं.	**पद का नाम** **समूह ख (अराजपत्रित)**	**संस्वीकृत कार्मिक संख्या**						**कार्यरत कार्मिक संख्या**					
		मुम्बई	कोलकाता	चेन्नई	दिल्ली	अहमदाबाद	कुल	मुम्बई	कोलकाता	चेन्नई	दिल्ली	अहमदाबाद	कुल
1	कार्यालय अधीक्षक	8	1	1	2	1	13	2	0	1	0	0	3
2	पुस्तकालय व सूचना सहायक	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
3	आशुलिपिक समूह I	3	2	2	2	1	10	2	1	2	1	1	7
4	सहा. परीक्षक, व्या. चिह्न व भौ. उ.	14	2	3	7	6	32	3	1	1	2	1	8
5	कनिष्ठ अनुवादक	1	0	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0
6	लेखाकार	1	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0
	कुल	**28**	**6**	**7**	**13**	**8**	**62**	**8**	**2**	**4**	**3**	**2**	**19**

क्र. सं.	पद का नाम समूह 'ग'	संस्वीकृत कार्मिक संख्या						कार्यरत कार्मिक संख्या					
		मुम्बई	कोलकाता	चेन्नई	दिल्ली	अहमदाबाद	कुल	मुम्बई	कोलकाता	चेन्नई	दिल्ली	अहमदाबाद	कुल
1	सहायक अधीक्षक	7	1	1	1	1	11	3	1	1	1	1	7
2	रोकड़िया	1	1	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0
3	प्रवर श्रेणी लिपिक	25	5	6	5	3	44	21	3	3	1	0	28
4	आशुलिपिक समूह II	2	2	0	7	0	11	2	1	0	7	0	10
5	अवर श्रेणी लिपिक	20	3	7	5	3	38	7	2	4	4	1	18
6	डाटा इंट्री ऑपरेटर	0	2	1	4	2	9	0	2	0	3	1	6
7	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	25	4	7	9	4	49	11	2	5	4	3	25
	कुल	**80**	**18**	**23**	**32**	**13**	**166**	**44**	**11**	**13**	**20**	**6**	**94**

परिशिष्ट ग

31 मार्च, 2020 तक भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री में कार्मिक शक्ति का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	संस्वीकृत कार्मिक संख्या	कार्यरत कार्मिक संख्या
1.	वरिष्ठ संयुक्त पंजीकार, व्यापार चिह्न व भौ.उपदर्शन	1	0
2.	सहायक पंजीकार, व्यापार चिह्न व भौ.उपदर्शन	1	0
3.	वरिष्ठ परीक्षक, व्यापार चिह्न व भौ.उपदर्शन	1	1
4.	आशुलिपिक वर्ग II	1	1
5.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	1	1
	कुल	**5**	**3**

परिशिष्ट - घ

31 मार्च, 2020 तक पीआईएस और आरजीएनआईआईपीएम के अधिकारियों और कार्मिक शक्ति का विवरण

क्र.सं.	पद का नाम	संस्वीकृत कार्मिक संख्या	कार्यरत कार्मिक संख्या
1	वरिष्ठ प्रलेखन अधिकारी	1	0
2	कार्यालय अधीक्षक	1	0
3	वरिष्ठ प्रलेखन सहायक	1	0
4	कनिष्ठ अनुवादक	1	1
5	आशुलिपिक वर्ग I	1	1
6	भंडार सहायक	1	1
7	कनिष्ठ रिप्रोग्राफी सहायक	3	3
8	सहायक अधीक्षक	1	1
10	शेल्फ सहायक	1	1
11	प्रवर श्रेणी लिपिक	3	3
12	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	2	2
14	अवर श्रेणी लिपिक	3	3
15	हिंदी टंकक	1	1
16	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	4	3
	कुल	**24**	**20**